खण्ड-197, अंक-4
सोमवार, 10 भाद्रपद, शक संवत् 1880
(28 अगस्त, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 197 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २८ अगस्त, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---३७७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस०अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईन्दी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौराराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबला शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोशी, श्री

ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
ट.क.र.म पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुधारी पांडेय, श्री
धनदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री

परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धूलाल, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
ब्रजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अवमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री

राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामग्रधार तिवारी, श्री
रामग्रभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
राजजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री

लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री

श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २८ अगस्त, १९५८

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

रबी आन्दोलन को सफल बनाने के उपाय

१--श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार की ओर से रबी आन्दोलन कब से प्रारम्भ हुआ है और इस योजना को सफल बनाने के लिये सरकार ने अब तक क्या कदम उठाया है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)--इस विषय का स्वतः सम्पूर्ण विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३४५ पर)

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रबी आन्दोलन में राज्य के पैमाने पर उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और २ अक्तूबर से जो क्रियात्मक कार्यवाही होने वाली है उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां--माननीय सदस्य की मेज पर जो स्टेटमेंट रखा है उसके पढ़ने से उन्हें मालूम होगा कि किस तरीके पर यह काम चलाया जायगा। उसमें उसका सब हाल दिया हुआ है और २ अक्तूबर से जो आन्दोलन चलाया जा रहा है उसमें यह ख्वाहिश है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हम पैदावार बढ़ा सकते हैं वह बढ़ायें।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस आन्दोलन के संबंध में बीज, रासायनिक खादों और यंत्रों की जो व्यवस्था सरकार कर रही है उसमें कोई ऐसी भी योजना है कि गरीब किसान भी उनका प्रयोग कर सकें और क्या उन्हें कोई रियायत दी जायगी ?

श्री सुल्तान आलम खां---जितनी भी कोशिश की जा रही है वह इसीलिये की जा रही है कि जो गरीब काश्तकार हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हम सहूलियत बहम पहुंचायें और वह मेहनत कर के यहां की पैदावार बढ़ायें।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस रबी आन्दोलन से कितनी पैदावार बढ़ेगी सूबे की ? इसका कोई टारगेट रखा गया है कि कितने मन या कितने टन पैदावार बढ़ने का आशा है ?

श्री सुल्तान आलम खां---इस के लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---उन जिलों में जहां रबी की फसल पिछले साल कमजोर हुई थी वहां के बीज का कोई अंदाजा किया गया है और उसके लिये कोई प्रबन्ध क्या किया जा रहा है ?

श्री सुल्तान आलम खां---इसमें से ९,००,००० मन बीजों का आयोजन पंजाब व कश्मीर से किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ ३५,००० टन खाद की मांग केंद्रीय सरकार से की जा रही है, यह सब इसी रबी आन्दोलन के सिलसिले में किया जा रहा है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो काश्तकार रबी आन्दोलन के सिलसिले में ज्यादा पैदावार करके देंगे उनको लगान और आबपाशी में कोई छूट दी जायगी ?

श्री सुल्तान आलम खां---ऐसी कोई तजवीज विचाराधीन नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी जैसा चन्द्रजीत जी ने बतलाया मैकेनाइज्ड मदद देने की बात, तो इसमें किस किस्म की मशीनों की मदद दी जायगी ?

श्री सुल्तान आलम खां---इसमें मशीनों की बात नहीं है। कुछ बीज मंगा कर दिये जाने का सवाल है और इसके अलावा २ अक्तूबर से जो आन्दोलन हम शुरू कर रहे हैं उसमें हम लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी गैर-सरकारी लोगों पर रख रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---यंत्रों के लिये लिखा गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां---उनको जो सहायता इस सिलसिले में हम दे सकते हैं, देंगे।

श्री गेंदासिंह---इस रबी आन्दोलन के सिलसिले में हम लोग माननीय मुख्य मंत्री जी के ट्रूस वाले प्रस्ताव को अमल में लाना चाहते हैं। तो क्या सरकार हमसे यह कहना पसंद करेगी कि वह किस प्रकार का आन्दोलन चला रही है और हम लोगों से किस प्रकार का सहयोग चाहती है ?

श्री सुल्तान आलम खां---जो आन्दोलन चलाया जा रहा है रबी के सिलसिले में उसका मंशा यह है कि इस सूबे को ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़े ताकि जो पैदावार कम हो जाने की वजह से दिक्कतें हो रही हैं गल्ले वगैरह की, वह खत्म हो जायं और इसमें सरकार यह चाहती है कि हर शख्स खवाह वह किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो या उसके कुछ भी खयालात हों, वह इसमें पूरा कोआपरेशन दे और हम सब मिलकर इस आन्दोलन को आगे चलायें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किस प्रकार के यंत्रों को सहायता दी जायगी ?

श्री सुल्तान आलम खां---किसानों के औजारों को सहायता दी जायगी। ज्यादा तफसीलात मंगा कर दी जा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष---वह यह जानना चाहते हैं कि ट्रैक्टर वगैरह की सहायता होगी या छोटे औजारों की ?

श्री सुल्तान आलम खां---हल, वगैरह, छोटे औजारों की इमदाद होगी।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---इस बात को देखते हुये कि प्रदेश के पूर्वी अंचल में कुछ जगहों पर रबी का बीज जो सरकारी गोदामों से मिला था खराब होने के कारण फसल खराब हो गई, इस विषय में सरकार ने क्या किया है कि ऐसा बीज न बंटे ?

श्री सुल्तान आलम खां---यह सरकार के विचाराधीन है और मुनासिब कार्यवाही की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---रबी आन्दोलन में कुल कितना व्यय होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---काफी खर्च होगा।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---इस रबी आन्दोलन में कौन-कौन से विभाग काम करेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां---प्लानिंग विभाग के अलावा, सहकारिता, सिंचाई, कृषि, पी० डब्ल्यू० डी०, एजूकेशन, इन सबके हेड्स ने अपने-अपने कर्मचारियों को आदेश दे दिये हैं कि इसमें पूरा सहयोग दें।

श्री अध्यक्ष---मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि प्रश्न बहुत उठ रहे हैं और सबको दिलचस्पी है, आपने जो स्टेटमेंट दिया है वह केवल एक ही सफे का है, बहुत बड़ा तो नहीं है, इसलिये अगर उसे पढ़कर सुना दें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री सुल्तान आलम खां---राज्य सरकार की ओर से रबी आन्दोलन का शिक्षण कार्यक्रम पहली अगस्त से प्रारम्भ हुआ है जिसके अन्तर्गत मंडल स्तर पर गोष्ठियां आयोजित की गई हैं। इन गोष्ठियों में अधिकारियों को रबी कार्य-क्रम की पूर्ण जानकारी कराई जा रही है और साथ ही साथ प्रत्येक ब्लाक व जिले का कार्यक्रम व लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इन गोष्ठियों में कार्यक्रम संबंधी व्यावहारिक ज्ञान कराने हेतु प्रदर्शन भी आयोजित किये गये हैं। यह कार्यक्रम इस मास के अन्त तक सभी मंडलों में समाप्त हो जायगा।

ग्राम स्तर के कार्यकर्त्ताओं, ग्राम सहायकों, प्रधानों तथा सहकारी समितियों के सरपंचों का प्रशिक्षण १५ अगस्त से आरम्भ हो गया है और १५ सितम्बर तक समाप्त हो जायगा।

इसके पश्चात् गांव सभाओं की बैठकें आयोजित की जावेंगी जिनमें कि किसानों को रबी कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी कराई जायगी और उन्हें इस कार्यक्रम को अपनाने के लिये प्रेरित किया जायगा।

रबी आन्दोलन का क्रियात्मक कार्य २ अक्तूबर, १९५८ से प्रारम्भ होगा।

इस योजना को सफल बनाने के लिये विकास संबंधी सभी विभागों के अध्यक्षों ने अपने कार्यकर्त्ताओं को इस कार्यक्रम में पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ कार्य करने के आदेश दिये हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में बीज, रासायनिक खादों तथा यंत्रों की जो आवश्यकता होगी उसका भी प्रबन्ध किया जा रहा है और सितम्बर के अन्त तक सभी आवश्यक सामग्री जिलों

[श्री सुल्तान आलम खां]

में पहुंचाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। उन्नतिशील बीजों की कमी दूर करने के लिये लगभग ९ लाख मन बीजों का आयोजन पंजाब व काश्मीर से किया जा रहा है। साथ ही साथ रासायनिक खादों के लिये केन्द्र से ३५ हजार टन की और मांग की गई है। इस आन्दोलन के व्यापक प्रचार व जानकारी के लिये आवश्यक प्रचार सामग्री भी तैयार की गई है तथा सरकारी और गैरसरकारी कार्यकर्त्ताओं के पास प्रेषित की जा चुकी है।

इस आन्दोलन में पंचायतों व सहकारी समितियों के सहयोग के साथ-साथ ग्राम सहायकों को प्रशिक्षित कर गैरसरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों को इसका उत्तरदायित्व संभालने के लिये तैयार किया जा रहा है जिससे शनैः शनैः कृषि उत्पादन वृद्धि का कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम बन सके।

श्री चन्द्रजीत यादव---इस ९ लाख मन बीज में जो पंजाब और काश्मीर से मंगाया जा रहा है, किस प्रकार का बीज सम्मिलित है ?

श्री सुल्तान आलम खां---इसमें वे सब बीज शामिल हैं जो रबी के जमाने में बोये जाते हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या इस आन्दोलन में अच्छी नस्ल के बैल भी किसानों को दिये जावेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---फिलहाल नहीं।

श्री रामजीसहाय (जिला देवरिया)---रबी आन्दोलन में मुख्यतः मटर की फसल पहले बोई जाने की संभावना अधिक है, क्या इसके बीज के स्टाक का सरकार ने ध्यान रखा है ?

श्री सुल्तान आलम खां---जी हां, रबी मे जितनी चीजें बोई जाती हैं उन सबका ध्यान रखा गया है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---क्या यह सही है कि इस आन्दोलन की मार्फत सरकार का यह टारगेट है कि कम से कम २,५०० किसानों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाय ?

श्री सुल्तान आलम खां---हमारे बी० एल० डब्ल्यूज० को यह ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस आन्दोलन को कामयाबी के साथ चलावें, औरों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है।

श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)---क्या सरकार छोटे काश्तकारों के लिये कम कीमत के ट्रैक्टर भी ईजाद करने की सोच रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां---अभी यह बात जेरे गौर नहीं है।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रबी आन्दोलन की उपज को सफल बनाने के हेतु सरकार रबी की उपज को किसी तरह से सबसिडाइज करने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सबसिडाइज करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

श्री राजनारायण---क्या सरकार उन लोगों को भी जो दूसरों के खेत लेकर जोतते हैं, अपने खेत उनके पास नहीं होते, उन आसामियों को भी बीज देने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोशिश की जायगी।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ९ लाख मन बीज जो काश्मीर और पंजाब से आ रहा है उसमें कितनी मटर, कितना जौ, और कितना गेहूं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार इस बात की व्यवस्था कर रही है कि लोग खाद्यान्न बोयें, कैश क्राप न बोयें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---रबी में कौन सी कैश क्राप बोई जाती है, यह हमारी समझ में नहीं आया।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---अलसी वगैरा जो तिलहन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---किसान यह सब जानते हैं कि कौन सी चीज बोनी चाहिये, उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि रबी आन्दोलन में 'अधिक अन्न उपजाओ' का बात को ध्यान में रखते हुए ईख वगैरह के क्षेत्र में कमी करने का सुझाव सरकार देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---किसानों के डिस्क्रिशन में हम कोई इंटरफियरेंस नहीं करना चाहते।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि सदन में इस बात में काफी दिलचस्पी है, विरोधी पक्ष का कान्फीडेंस गेन करने की कृपा करेगी और विरोधी पक्ष से इस बारे में बातचीत करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बात करने से कान्फीडेंस गेन नहीं होता है, काम करने से होता है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन किसानों की अलाभकर जोत हैं, जिनके पास कुएं नहीं हैं, नहर नहीं है, उनके लिये क्या प्रबंध किया जायगा ?

श्री सुल्तान आलम खां---यह सब आन्दोलन इस लिये चलाया जा रहा है कि जो किसान ऐसे हैं, जिनकी हालत खराब है, उनकी हालत अच्छी हो और उनके जरिये वे अपनी पैदावार को बढ़ायें।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---क्या सरकार सस्ते बीज भी बेचने का प्रबंध करेगी, जिस प्रकार सरकार सस्ता गल्ला देने का प्रबंध कर रही है ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है।

देवरिया, सलेमपुर तथा हाटा की कचेहरियों में 'घेरा डालो आन्दोलन' के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां

****२---श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)---क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक ९-८-५८ को देवरिया, सलेमपुर तथा हाटा की कचेहरियों पर १२,००० अकालग्रस्तों ने सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में रोटी की मांग के लिये घेरा डाला था? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---९ अगस्त को देवरिया, सलेमपुर व हाटा की कचेहरियों के सामने क्रमशः ८००, १५० व ५० व्यक्तियों ने घेरा डाला न कि १२,००० व्यक्तियों ने, देवरिया कचेहरी के सामने १८ व्यक्तियों को आई० पी० सी० की धारा २९०/४४७ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि देवरिया की कचहरी पर जिन अकालग्रस्तों ने सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में घेरा डाला था, उनकी मांगें क्या थीं ?

श्री कैलाशप्रकाश---वैसे तो इस बारे में माननीय सदस्य मुझ से अच्छी प्रकार से जानते हैं क्योंकि उन्होंने ही वह घेरा डलवाया था, लेकिन मांग उनकी यह थी कि गल्ले की कमी है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ९-१० की रात्रि को पुलिस ने ४००-५०० नर नारियों को ले जाकर ५०-६० मील दूर जंगल में छोड़ दिया ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, यह ज्ञात है कि यह बात सही नहीं है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि अन्न की समस्या के समाधान के लिये १२ मांगों का परिपत्र सोशलिस्ट पार्टी की ओर से सरकार को दिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---दिया होगा । इस समय सूचना नहीं है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को मालूम है कि गरीब किसान जो घेरा डालने गये थे उनकी मांग थी कि रोटी दो या रोटी न दे सको तो जेल दो ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, ऐसे नारे तो लगते ही रहते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि देवरिया में १८ आदमियों के गिरफ्तार करने के अलावा इन तीन जगहों में से किसी जगह उसने और भी कोई कार्यवाही की ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि ये जो १,००० आदमी इस कचेहरी में आये थे, वे क्यों आये थे और १८ आदमियों की गिरफ्तारी के बाद वे कहां चले गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---लोगों के बहकाने से आये थे और अपने-अपने घर चले गये ।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि घेरा डालने का तरीका क्या है और उसमें औरतें भी शामिल हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---ये लोग आये और वहां तहसील के सामने नारे लगाये । उसमें औरतें भी शामिल हैं क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई उसमें एक औरत भी थी ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला वाराणसी)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि घेरा डालने वालों का हृदय परिवर्तन कराने के लिये वह क्या प्रयत्न करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह फिलहाल उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वे अपने हृदय को बदलें ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि घेरा डालने वाले कचेहरी में जाकर इजलासों से कागज-पत्र और मैजिस्ट्रेटों से कागज-पत्र भी छीनने लगे थे ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह अल्पसूचित प्रश्न है, इसका पूरा ब्योरा इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि गिरफ्तार शुदा १८ आदमियों में २ औरतें थीं और उनसे ९ तारीख को हम लोग जेल में जाकर मिले भी थे ?

श्री अध्यक्ष---कौन-कौन मिलने गये थे ?

श्री राजनारायण---डाक्टर राममनोहर लोहिया और राजनारायण ।

श्री अध्यक्ष---इसकी इजाजत मैं नहीं देता क्योंकि मिलने के बारे में आप उनसे सवाल न पूछ कर अपने से ही पूछें। पहले हिस्से की इजाजत मैं देता हूं ।

श्री कैलाशप्रकाश---इसकी जो सूचना मुझे प्राप्त है वह यह कि ९ तारीख को घेरा डालो आन्दोलन के सिलसिले में जो गिरफ्तारी हुई उसमें १ महिला थी ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह भी सूचना प्राप्त हो चुकी अल्पसूचित प्रश्न के संबंध में कि, जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें से किसी को भी लारी में चढ़ा कर किसी दूसरी जगह नहीं भेजा गया ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, यह सूचना प्राप्त है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी यहां कहा था ।

तारांकित प्रश्न

जिला भ्रष्टाचार-विरोधी समितियों के अध्यक्ष सम्मेलन में स्वीकृत सुझाव

*१---**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर सन् १९५७ के प्रथम सप्ताह में जिला भ्रष्टाचार निवारण समितियों के चेयरमैनों का कोई सम्मेलन हुआ था जिसमें भ्रष्टाचार निवारण समितियों को चलाने के निमित्त कुछ सुझाव सरकार के सामने दिये गये थे ?

*२---यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन सुझावों को सरकार कहां तक कार्यान्वित करने का विचार कर रही है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जी हां, प्रदेश के विभिन्न डिवीजनों में भ्रष्टाचार-विरोधी समितियों के अध्यक्षों के सम्मेलन हुये थे । उक्त सम्मेलनों में जो सुझाव दिये गये थे उन पर विचार हो रहा है और यथोचित आदेश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे ।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सुझाव दिये गये हैं उनमें मुख्य-मुख्य क्या हैं और सरकार उन सुझावों को सदन के सामने रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, यह इतनी मोटी पोथी है, अब इनमें से मुख्य मुख्य सुझाव मैं क्या सामने रखूं, जब विचार होगा तभी कुछ कह सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष---मैं ज्यादा ब्योरे के उपस्थित करने की इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं, क्या सरकार ने उन सुझावों के बारे में जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित कुछ अधिकारियों की भी राय मांगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उस सम्मेलन में कमिश्नर लोग मौजूद थे ही और जब कमिश्नर लोगों ने उन सुझावों को भेजा है तो अपनी राय के साथ ही और सरकारी अधिकारियों की राय भी उसके साथ भेजी होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या कोई सुझाव सम्मेलन में ऐसा भी दिया गया है कि जिला ऐंटी करेप्शन कमेटीज को वैधानिक अधिकार दिये जायं, और उस सम्बन्ध में लेजिस्लेशन लाया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, कुछ सुझाव ऐसे भी हैं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)--क्या डिस्ट्रिक्ट एंटी करप्शन कमेटीज के अधिकारों में सरकार कुछ वृद्धि करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैंने निवेदन किया कि इन सुझावों पर गौर करने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि जो एंटी करप्शन कमेटीज का बनाने का सुझाव है इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या विचार किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी तो विचार हो रहा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या भ्रष्टाचार निवारण समिति के चेयरमैनों ने यह भी राय दी है कि यह समितियां निरर्थक हैं और इनको भंग कर दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ठीक मालूम नहीं, मुमकिन है किसी ने ऐसी राय भी दी हो।

श्री चन्द्रजीत यादव--यह जो सम्मेलन हुआ था इसके समक्ष सरकार ने अपनी तरफ से भी कोई इन समितियों के सुधार की योजना प्रस्तुत की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार के पास ऐसी राय आई थी कि इस सम्बन्ध में सम्मेलन किया जाय और सरकार ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं थी।

*३--श्री मुक्तिनाथराय--[११ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४--श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)--[हटा दिया गया।]

बलिया जिले में उद्योग धंधों के लिए सहायता

*५--श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में १९५६-५७ में कितनी सहायता किन-किन उद्योग धंधों को चलाने के निमित्त सरकार ने दी है ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)--सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गंगाप्रसादसिंह--मैंने इस प्रश्न को बहुत पहले पूछा था, लेकिन अब तक सूचना एकत्रित नहीं हुई। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि आखिर सूचना एकत्रित करने में सरकार के सामने क्या दिक्कत है ?

श्री रऊफ जाफरी--दिक्कत यह है कि हमारे कार्यालय में जिलेवार सूची नहीं रहती। हमारे यहां पूरे उद्योगों के हिसाब से जैसे चर्म उद्योग, सूत उद्योग आदि के नाम से सूची रहती है। जब जिलेवार सवाल होता है तो हमको उसकी इत्तला जिले से मांगनी पड़ती है। वह अभी तक नहीं आई है।

श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या यह सही है कि १९५६-५७ में सरकार द्वारा उद्योग धंधों के लिये बलिया में कोई भी इमदाद नहीं दी गयी ?

श्री रऊफ जाफरी--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी। यह इत्तला अभी आई नहीं।

*६--श्री गंगाप्रसादसिंह--[हटा दिया गया।]

अल्मोड़ा जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन को स्टेडियम के लिए मांग

*७--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को स्पोर्ट्स कौंसिल एवं बोर्ड के पास अल्मोड़ा जिला स्पोर्ट्स एसोसियेशन को अल्मोड़े में स्टेडियम बनाये जाने की मांग आयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री सुल्तान आलम खां--जी हां । प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश कौंसिल आफ स्पोर्ट्स लखनऊ के विचाराधीन है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि स्टेडियम बनाने के लिये कोई सर्वे भी हुआ है ?

श्री सुलतान आलम खां--सरकार को यह जानकारी है कि जिला स्पोर्ट्स ऐसोसियेशन, अल्मोड़ा ने ७ फरवरी, १९५८ की बैठक में अल्मोड़े में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव पारित किया था और इस विषय में एसोसियेशन ने उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कौंसिल से ५०,००० रुपये मांगे हैं । म्युनिसिपल बोर्ड और श्रमदान के द्वारा ८०,००० रुपये खर्च किये गये हैं और अब यह मामला सरकार के सामने विचाराधीन है । वहां जो कुछ भी किया जा रहा है वह वहां के म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है क्योंकि उसे इस चीज में ज्यादा दिलचस्पी है । स्पोर्ट्स एसोशियेशन ने जो मांग की है उस पर गवर्नमेंट उसको कितनी मदद दे सकती है यह उसके विचाराधीन है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने यू० पी० स्पोर्ट्स कौंसिल के जिम्मे कुछ रुपया लम्प सम में जमा किया ह जो स्टेडियम बनाने के लिये खर्च हो ? यदि हां, तो कितना ?

श्री सुल्तान आलम खां--यह बात तो सवाल में पूछी नहीं गयी थी इसलिये इस इत्तला को देने के लिये मुझे नोटिस की जरूरत होगी ।

इण्डस्ट्रियल इस्टेट के सम्बन्ध में जानकारी

*८--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष भारत सरकार ने जो ३० Industrial Estates मंजूर की हैं उनमें से उत्तर प्रदेश में कितनी स्थापित होंगी ?

श्री रऊफ जाफरी--इस वर्ष भारत सरकार से इस प्रदेश को कोईIndustrial Estate प्राप्त नहीं हुई है ।

*९--श्री गनेशीलाल चौधरी--यह प्रदेश के किन भागों में और कहां-कहां कायम होंगी ?

श्री रऊफ जाफरी--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने इस वर्ष भारत सरकार से इंडस्ट्रियल इस्टेट इस्टेब्लिश करने के लिये कोई मांग की है ?

श्री रऊफ जाफरी--इस किस्म की मांग कभी प्रादेशिक सरकार की तरफ से नहीं होती है, लेकिन वहां प्लानिंग कमीशन पूरे हिन्दुस्तान की जरूरतों को देखते हुए यह एलाटमेंट करता है ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह बतलाना सम्भव है कि सरकार की तरफ से गवर्नमेंट आफ इंडिया से कितने इंडस्ट्रियल इस्टेट्स की मांग की गई थी और कब की गई थी और उसके लिए क्या उत्तर भारत सरकार ने दिया ?

श्री रऊफ जाफरी---यह ब्यौरा इस वक्त नहीं दिया जा सकता ।

झांसी जिले में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की बसें

*१०---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या परिवहन राज्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश की कितनी सरकारी और कितनी प्राइवेट बसें झांसी जिले में किस-किस रूट पर चलती हैं ?

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३४६ पर)

*११---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (अनुपस्थित)---क्या परिवहन राज्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की कितनी सरकारी और प्राइवेट बसें झांसी जिले से मध्य प्रदेश में किस-किस रूट पर चलती हैं ?

डाक्टर सीताराम---उत्तर प्रदेश सरकार की कोई सरकारी बस झांसी जिले से मध्य प्रदेश के किसी मार्ग पर नहीं चलती है । प्राइवेट बसों से सम्बन्धित आवश्यक सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई ह ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३४७ पर)

*१२-१३---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---[हटा दिये गये ।]

*१४---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)---[हटा दिया गया ।]

*१५-१६---**श्री मदन पांडेय**---[११ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१७---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (अनुपस्थित)---[हटा दिया गया ।]

देवरिया जिले की पडरौना तहसील में कुछ समय तक एस० डी० एम० का न रहना

*१८---**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि तहसील पडरौना, जिला देवरिया में लगभग पांच महीने से कोई एस० डी० एम० नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---स्थानीय प्रबन्ध कर दिया गया था । ३ जुलाई, १९५८ से यह स्थान भर दिया गया है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतने दिनों तक स्थान खाली क्यों रहा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने कहा खाली नहीं था वहां पर स्थानीय प्रबन्ध कर दिया गया था यानी कोई न कोई अफसर वहां पर कार्य कर रहा था ।

जौनपुर जिले के लिए उद्योग ऋण

*१९--कुंवर श्रीपाल सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५२ से अब तक प्रत्येक वर्ष पृथक्-पृथक् जौनपुर शहर में इन्डस्ट्री बढ़ाने के निमित्त किन-किन उद्योगों की उन्नति के लिये कितना -कितना ऋण दिया गया ?

श्री रऊफ जाफरी--सूचना एकत्र की जा रही है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि यह सूचना एकत्रित हो जाने के बाद इसकी एक प्रति मेरे पास भी भेज देंगे ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां ।

बुलन्दशहर जिले में नीम नदी के बांध की सुरक्षा

*२०--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिवाई से कर्णवास को जाने वाली सड़क पर श्रमदान व पी० आर० डी० द्वारा नीम नदी का लगभग ५० फीट लम्बा २५ फीट ऊंचा और ३० फीट चौड़ा जो बांध जिला बुलन्दशहर में बांधा गया है अब उसको बरसात में कटने से रोकने के लिये क्या किया गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां--अंतरिम जिला परिषद् की ओर से एक गैंग निरन्तर इस बांध की मरम्मत का कार्य कर रहा है और बांध अब तक सुरक्षित है ।

श्री हिम्मतसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह गैंग कब रखा गया और रोज उस पर कितना खर्चा आ रहा है ?

श्री सुल्तान आलम खां---जनवरी सन् १९५८ में तो श्रमदान सप्ताह में पी० आर० डी० ने इसको बनाया ही था। उसके बाद यह गैंग रखा गया। सही तारीख चाहें तो मुझे नोटिस दे दें, मैं मंगा दूंगा ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो गैंग रखा गया है उसमें कितने आदमी काम करते हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां---गैंग में जितने आदमी होते हैं उतने ही इस गैंग में भी आदमी काम करते हैं।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बांध की सुरक्षा के लिए इंजीनियर्स को दिखलाकर राय ले ली गई है ?

श्री सुल्तान आलम खां---इस बांध के मुताल्लिक यह तय किया गया है कि बरसात खत्म होने के बाद इस पर कंकड़ से पिचिंग करके इसको और मजबूत कर दिया जायगा ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह बांध कितना लम्बा, कितना चौड़ा और कितना ऊंचा है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उत्तर में ही दिया हुआ है ।

सीतापुर में रम्पा व लक्ष्मी टाकीज पर इण्टरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स कमिश्नर का छापा

*२१---डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ९ मार्च, १९५८ को उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स कमिश्नर ने छापा मार कर सीतापुर शहर की रम्पा व लक्ष्मी टाकीज में जाली टिकट तथा बिना टिकट या पास के आदमी सिनेमा देखते पाये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- जी हां।

*२२---**डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा**---क्या सरकार को यह मालूम है कि उपर्युक्त टाकीज में एग्जास्ट फैन्स की जगह उल्टे बिजली के पंखे लगाये गये हैं तथा नियमानुसार बिजली के पंखे नहीं हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, इन सिनेमा घरों में एग्जास्ट फैन लगे हुये हैं और उनमें नियमानुसार बिजली के पंखे भी लगे हैं।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--- क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कमिश्नर साहब ने जब यह छापा मारा, उसके बाद से क्या कार्यवाही हो रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- जहां तक मुझे मालूम है, मुकदमा अदालत में है।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--- क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों सिनेमाज के लाइसेंस सस्पेंड करने के ऊपर सरकार कोई विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- इस वक्त तो ऐसा कोई सवाल हमारे सामने नहीं है।

*२३---**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (अनुपस्थित)---[११ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*२४---२६---**श्री श्रीकृष्ण गोयल** (जिला बदायूं)---[११ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७---**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)---[हटा दिया गया।]

मेरठ जिले के देहाती क्षेत्र में कुटीर उद्योग केन्द्र खोलने की प्रार्थना

*२८---**कुमारी श्रद्धा देवी शास्त्री** (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ में देहातों में कुटीर उद्योगों के केन्द्र खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं।

कुमारी श्रद्धा देवी शास्त्री---क्या सरकार बतायेगी कि कुटीर उद्योगों की ट्रेनिंग देने के लिये जिला स्तर पर शिक्षकों की क्या व्यवस्था है?

श्री रऊफ जाफरी---मेरठ जिले में हमारी कई योजनायें चल रही हैं, जैसे वहां के औद्योगिक शिक्षालय के मातहत कई एक ट्रेनिंग क्लासेज हैं, चर्मशोधन योजना चल रही है, हथ-कर्घा योजना चल रही है। इसके अलावा ताड़ गुड़ योजना चल रही है। इन सब के मातहत काम हो रहा है।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री---क्या सरकार बतायेगी कि यदि जिला मेरठ में महिलाओं को कुछ कुटीर उद्योग सिखलाये जायं तो उन उद्योगों को सिखलाने के लिये महिला शिक्षकायें मिल सकती हैं?

श्री रऊफ जाफरी---जी हां। वहां लेनो ब्लाक के अन्दर सिलाई और कढ़ाई वगैरह के काम को जब सीख लें तो दूसरे को भी सिखला सकती हैं।

*२९---**श्री केशव पांडेय** (जिला गोरखपुर)---[११ सितम्बर, १९५८ के लिय स्थगित किया गया।]

राजकीय ट्यूशनल क्लास चर्मकला स्कूल, खलीलाबाद के विद्यार्थियों को विलम्ब से छात्रवृत्ति मिलना

*३०--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय ट्यूशनल क्लास चर्मकला स्कूल, खलीलाबाद के शिक्षार्थियों को जो १५ रुपये छात्रवृत्ति मिलने की व्यवस्था है वह ५ महीने से नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी--(क) कथित क्लास के शिक्षार्थियों को बकाया छात्रवृत्ति दे दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजाराम शर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह रुपया छात्रों को प्रश्न करने के बाद दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, हुआ तो ऐसा ही है। इस महीने की १२ तारीख को दिया गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव---मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरकार भविष्य में कोई ऐसा प्रबन्ध करने जा रही है कि उन्हें यह छात्रवृत्ति मासिक मिल जाया करे ?

श्री रऊफ जाफरी---जी हां, कोशिश इसकी होती है। असल बात देर होने की यह थी कि जो छात्रवृत्ति की रकम थी वह फरवरी तक पहले दे दी गई थी। उसके बाद मार्च के महीने में रुपया खत्म हो गया था। फिर बजट पास हुआ रिलीज होने में कुछ देर होती है इसलिये देर होती है वरना कोशिश यही होती है कि हर महीने मिल जाया करे।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त विद्यालय में कितने छात्र हैं जिन्हें स्कालरशिप दिया जाता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री कृष्णदास माथुर, स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर का हरदोई जिले में तीन वर्ष से अधिक कार्य-काल

*३१--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में ऐसे गजटेड आफीसर कौन-कौन तथा कितने हैं जिन्हें जिले में तीन वर्ष से अधिक हो गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---केवल एक। श्री कृष्ण दास माथुर, स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर।

*३२-३३---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---[११ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*३४---**श्री छत्तर सिंह** (जिला बुलन्द शहर)---[हटा दिया गया।]

*३५-३६---**डाक्टर तारादेवी** (जिला जौनपुर)---[हटा दिये गये।]

हाथरस में औद्योगिक शिक्षालय खोलने की योजना

*३७---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस के जिला उद्योग केन्द्र घोषित होने पर इस समय किन-किन नये उद्योगों के शिक्षण तथा उत्पादन कन्द्र खोले जा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हाथरस में ४ औद्योगिक शिक्षालय निम्नलिखित शिल्पों के सिखाने के लिये खोले जाने का योजना है :

१--लोहकला,

२--महिला सिलाई तथा कढ़ाई,

३--साबुन बनाना।

४--पीतल के वर्तन तथा इमारती सामान।

*३८--**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन केन्द्रों की उत्पादन शक्ति क्या होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--औद्योगिक शिक्षालयों का मुख्य लक्ष्य शिल्पों में समुचित शिक्षा देना है। अनुमानत: प्रति शिक्षालय के अन्तर्गत प्रतिवर्ष शैल्पिक शिक्षा देने के क्रम में लगभग १,५०० रुपये का औसत उत्पादन होने की सम्भावना है।

गोरखपुर में प्रशिक्षित ग्राम सेवकों की नियुक्तियां

*३९--**श्री श्री नाथ** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण गोरखपुर में अगस्त, १९५६ से दिसम्बर, १९५७ तक हुआ था उनमें से अब तक कितने ग्राम सेवकों की नियुक्तियां हो गई हैं और कितने शेष हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अगस्त, १९५६ से दिसम्बर, १९५७ तक गोरखपुर में प्रशिक्षित ग्राम-सेवकों मेंसे ४८ की नियुक्तियां की जा चुकी हैं; तथा ४२ ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी है।

*४०--**श्री श्रीनाथ** (अनुपस्थित)--क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जब तक प्रशिक्षित व्यक्तियों को ग्राम सेवकों के पद पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है तब तक उन्हें किसी और विभाग में काम दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--शेष प्रशिक्षितों को सहकारी विभाग के अन्तर्गत कोआपरेटिव सुपरवाइजर के पद पर तथा पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत पंचायत मन्त्री के पद पर नियुक्त करने का निर्णय किया जा चुका है।

रजिस्ट्रेशन विभाग के सब-रजिस्ट्रार

*४१--**श्री रामजीलाल सहायक** (जिला मेरठ)--क्या परिवहन राज्य-मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में रजिस्ट्रेशन विभाग में कितने सब-रजिस्ट्रार कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम--इस समय इस प्रदेश में २०८ सब-रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन विभाग में काम कर रहे हैं।

श्री रामजी लाल सहायक--माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन सब-रजिस्ट्रार्स में कितने सब-रजिस्ट्रार्स ऐसे हैं जो विभागीय पदोन्नति द्वारा बनाये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम--इसमें ४४ हैं।

श्री रामजीलाल सहायक--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन में हरिजन वर्ग के कितने सब-रजिस्ट्रार हैं ?

†**डाक्टर सीताराम**--हरिजन वर्ग के सब-रजिस्ट्रार ५ हैं। अभी एक डेढ़ महीना हुआ है सब-रजिस्ट्रार पदोन्नति द्वारा रखे गये हैं जिनमें से एक हरिजन वर्ग है।

श्री रामजीलाल सहायक--क्या मंत्री जी हरिजन वर्ग के संरक्षण को पूरा करने के लिये कोशिश करेंगे ?

---

†२६ सितम्बर, १९५८ को दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

डाक्टर सीताराम--- सरकार द्वारा तो १८ प्रतिशत के लिये आदेश समयानुसार जाते ही रहते हैं, यह ४४ जो रखे गये हैं वह सन् १९५० के बाद रखे गये हैं, लेकिन इस वक्त जो दो तीन आदमी रखे गये हैं उनमें से एक हरिजन भी है।

श्री रामशरण यादव---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ४४ नियुक्तियां सन् १९५० की हैं इनमें से बैकवर्ड क्लासेज के कितने आदमी हैं?

डाक्टर सीताराम---इसके लिये नोटिस चाहिये।

*४२---**श्री रामजीलाल सहायक**---[११ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

गढ़वाल जिले में बागबानी के विस्तार के लिए काम

*४३---**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी** (जिला गढ़वाल)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह गढ़वाल जिले में बागवानी के विस्तार के लिये क्या कर रही है?

उद्योग उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---इन कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३४८ पर)

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी---क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि योजना काल के अन्दर गढ़वाल जिले में कुल कितने और कहां कहां पर पौधालय और उद्यान लगाये गये और वहां कितने किस्म के फल तैयार किये गये हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---भूमि का डिफारेस्टेशन पौरी में ५३ एकड़ और टेहरी में १६ एकड़ किया गया, मदर प्लान्ट्स का प्लान्टेशन पौरी में ६८६ और ठटेहरी में ५७०, प्रोडक्शन आफ फ्रूट प्लान्ट्स पौरी में १३,७५० और गढ़वाल में ९,१८८; बेजेटिल ऐन्ड पुटेटों सीड प्रोडक्शन पौरी में ५,५५२ पौण्ड और गढ़वाल में ४,९८१ पौण्ड, सेफरन बल्ब्ज प्लान्ट्स एण्ड केसर गढ़वाल में २,१७२ पौधे और टेहरी में २,८३० पौधे।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--- क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लम्बी अवधि का ऋण कितने और किन व्यक्तियों को दिया गया है और इस मद पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---१९५७-५८ में एक एक लाख रुपया हर एक जिले को दिया गया था और इससे पहले की जानकारी के लिये नोटिस चाहिये।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या मंत्री जी को मालूम है कि फलों के संरक्षण की उचित व्यवस्था न होने के कारण बुढ़ौनी और जोशीमठ जैसे स्थानों में उद्यानों के मालिक अपने सेव को २ आने सेर तक बेचने के लिये मजबूर हो जाते हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इन दोनों जगहों पर फ्रूट कैनिंग की एक एक छोटी सी फक्टरी है।

श्री नरेन्दसिंह भंडारी---अब तक कितने व्यक्तियों को और किस किस स्थान पर फल संरक्षण की ट्रेनिंग दी जाती है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह सचल दल होता है और स्थान स्थान पर पहुंचता है और उनको ट्रेनिंग देता रहता है।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले में सरकार की तरफ से बागवानी लगाने का जो प्रयास हो रहा है, इसी प्रकार का कुमायूं डिवीजन के अन्य जिलों में भी सरकार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, सभी पर्वतीय जिलों में है।

श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)-- क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १ लाख रुपया तकावी के रूप में दिये जाने के लिये मंजूरी हुई थी वह सब बांट दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो मैंने पहले ही बताया कि अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल, टेहरी इन सब में एक एक लाख रुपया दिया गया।

श्री सूरतचन्द रमोला--वह बांट दिया गया या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जो सैफ़रन की खेती गढ़वाल में करने का उद्योग किया गया है, उसमें कहां तक कामयाबी हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैंने आप से बताया कि गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल, दोनों में लगभग ढाई हजार के लगभग उन्होंने लगाये हैं और इसी साल लगाये हैं। उसकी प्रगति अगले साल बतायी जायगी।

*४४--**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी**--[२ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

शाहजहांपुर में सदर बाजार थाने के अन्तर्गत एक तलाशी में मालखाना पुलिस के सामान की बरामदगी

*४५--**श्री देवनारायण भारतीय**--क्या सरकार को ज्ञात है कि शाहजहांपुर शहर में थाना सदर बाजार के अन्तर्गत २३-६-५८ को नगर आबकारी इंसपेक्टर ने कुछ ऐसा सामान तलाशी में बरामद किया है जो मालखाना पुलिस से चोरी गया था ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि २३-६-५८ को जब इस किस्म का माल तलाशी में बरामद हुआ कि जो मालखाने का सीलबन्द था, तो उसी दिन तार के जरिये से जिलाधीश को यह सूचना दी गई कि कि इस प्रकार का माल बरामद हुआ है और उसको जिलाधीश अपने संरक्षण में ले लें ?

डाक्टर सीताराम--इस सामान के साथ तो और भी सामान बरामद हुआ और वह मालखाने में रखा हुआ है।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि २४-६-५८ को, तार देने के अगले रोज, जिलाधीश को एक प्रार्थना-पत्र भी दिया गया कि इस किस्म का माल बरामद हुआ है और वह सील-बन्द है मालखाने की मुहर से और वह चोरी से बाहर निकला था, वह बरामद हुआ है, जिलाधीश उस माल को अपने संरक्षण में ले लें ?

डाक्टर सीताराम---जितना भी सामान मिला वह तो मालखाने में रखा हुआ है और जैसा प्रश्नकर्ता ने कहा है उसके बारे में मुझे इत्तला नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आबकारी के सामान की बरामदगी के साथ दूसरा कौन-कौन सा माल बरामद हुआ है ?

डाक्टर सीताराम---५ मुहरबन्द शराब की बोतलें, २ लपेटकर बन्द की हुई शराब की बोतलें, ३ मुहरबन्द खाली बोतलें, १ मुहरबन्द खाली टीन, १ मुहरबन्द पोटली जिसमें ताला और चाबी हैं, १ मुहरबन्द भांग की पोटली, १ मुहरबन्द गांजे की पोटली; १ देशी पिस्तौल जिसके साथ ६ कारतूस और १२२ छर्रे हैं।

श्री देवनारायण भारतीय---मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि मालखाने के अन्दर जो मुकदमों से संबंधित माल सील मुहर-बन्द था वह मालखाने के बाहर एक व्यक्ति के यहां, जिसके यहां तलाशी ली गयी, उसके यहां से कैसे बरामद हुआ ?

डाक्टर सीताराम---इसके बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं है। उस आदमी के घर जिसके यहां पिस्तौल भी बरामद हुआ है और अन्य सामान बरामद हुआ है, उसके बाद की कोई इत्तला हमें नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतायेगी कि यह सामान किसकी तलाशी में बरामद हुआ है और किसके यहां से ?

डाक्टर सीताराम---एक्साइज इंसपेक्टर ने बरामद किया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---किस जगह से तलाशी किस की ली गयी, जहां से बरामद हुआ है ?

डाक्टर सीताराम---श्री भीम, जो भारतीय ईसाई हैं और सदर बाजार के रहने वाले हैं उनके यहां से तलाशी लेकर इन सामानों को निकाला गया।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सामान बरामद करके उस आदमी को भी गिरफ्तार किया गया और उसकी तुरन्त जमानत ले ली गयी ?

डाक्टर सीताराम---एक्साइज ऐक्ट के सेक्शन ६० के मुताबिक सब कार्यवाही की जा रही है।

श्री दर्शनसिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस "भीम" ने १५-२० दिन पहले इस तरह की सूचना दी थी कि उसके यहां पुलिस ने जबरदस्ती सामान बरामद करने की चेष्टा की है और एक रिवाल्वर उसके यहां रखा दिया है ?

डाक्टर सीताराम---इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बतायेगी कि मुलजिम के यहां से सामान बरामद होने के कितने समय बाद पुलिस के मालखाने में सामान जमा किया गया। इसकी तारीख और समय बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम---२३-६-५८।

बदायूं जिले में सिंचाई के कुंओं के लिए तक़ावी

*४६---**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में १९५६-५७ में सिंचाई के कुओं के लिये कितने किसानों को तकावी दी गई और क्या उनके बनजाने की सूचना सरकार को मिल गई ?

श्री सुल्तान आलम खां—जिला बदायू में सन् १९५६–५७ में ८२ कुओं के लिये तकावी दी गयी । उनमेंसे ९ के बन जाने की सूचना अब तक प्राप्त हुई है ।

श्री टीकाराम—यह जो ७३ कुएं बनने बाकी हैं इसका क्या कारण है ?

श्री सुल्तान आलम खां—माननीय सदस्य ने पिछले साल भी एक सवाल किया था और उनको जानकारी करा दी गयी थी । सूरत यह है कि जो कुयें बनाये जाते हैं उनमें एक साल के अन्दर बनने की शर्त रखी जाती है कि एक साल के अन्दर बन जायें । लेकिन खास-खास सूरतों में एक साल के बजाय दो साल भी कर दी जाती है तो जैसा भी केस हो उतनी मुद्दत के बाद वेरीफिकेशन होता है और जब वेरीफिकेशन हो जाता है तो हम इस पोजीशन में होते हैं कि यह बतला सकें कि कितने कुयें बन गये और कितने नहीं बने हैं ? जो वेरीफिकेशन हुआ है उसका नतीजा यह है कि इतने बनकर तैयार हुए हैं ।

श्री उग्रसेन—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो लोग दो साल में भी कुआं नहीं बनायेंगे उनसे रुपया वापस करने की कार्यवाही की जायगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—जो दो साल में नहीं बनायेंगे उनसे रुपया वापस कराने की कार्यवाही की जायगी ।

*४७–४८—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—[स्थगित किये गये ।]

*४९–५०—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—[८ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या २९–३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

खण्डसारी चीनी की ओपेन पैन फैक्टरी

*५१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खंडसारी चीनी की कितनी ओपेन पैन फैक्टरी इस प्रदेश में चल रही हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—७३ ।

लखनऊ–सुल्तानपुर सड़क का चौबीसी बस स्टेशन

*५२—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर चौबीसी बस स्टेशन रह चुका है ? यदि हां, तो स्टेशन क्यों हटा दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं । हटाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

*५३—श्री जंगबहादुर वर्मा (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि चौबीसी में बस स्टेशन से चढ़ने वालों को इनहौंना का टिकट दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, इनहौना का टिकट अब नहीं दिया जाता है ।

सिंगारामऊ–जौनपुर सड़क पर बस का किराया रेल से अधिक होना

*५४—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन जगहों पर रोडवेज की बसें और रेल गाड़ियां दोनों चलती हैं वहाँ बसों का किराया रेलगाड़ी के किराये के बराबर पर रखा जाता है या कम ?

डाक्टर सीताराम—मैदानी क्षेत्रों में रोडवेज बसों का किराया साढ़े सात पाई प्रति यात्री प्रति मील साधारण श्रेणी (लोअर क्लास) का है । कुछ मार्गों पर विशेष कारणों से इस दर से कम किराया भी लिया जाता है । रेलगाड़ी के किराये से रोडवेज का किराया कहीं अधिक, कहीं कम और कहीं बराबर भी है । रेलगाड़ी के किराये से रोडवेज के किराये का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

*५५—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार सिंगरामऊ से जौनपुर सड़क पर चलने वाली बसों का किराया रेलगाड़ी के किराये से अधिक रखने का कारण बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—इस मार्ग पर किराया अनुसूचित किराये की दर के अनसार लिया जाता है जो रेलगाड़ी के किराये से अधिक है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मन्त्री जी उन विशेष कारणों को बतायेंगे जिनके कारण रेल से कम किराया लिया जाता है ?

डाक्टर सीताराम—यात्रियों की सुविधा के लिये ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि जहां रेल नहीं चलती है वहां किराया कम करने पर विचार कर रही ह ?

डाक्टर सीताराम—वहां पर कास्ट आफ आपरेशन को ध्यान में रखते हुए लोअर का साढ़े सात पाई मील किराया लिया जाता है और अपर का ९ पाई मील लिया जाता है । भारत में बहुत सी जगहों के मुकाबिले में हमारे यहां किराया बहुत कम है ।

नैनीताल जिले में कत्थे की फैक्टरी खोलने का लिए कथित प्रार्थना-पत्र

*५६—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के तराई, भावर, कालागढ़, लैन्सडाउन, भाखरा, तथा हल्द्वानी डिवीजनों में कत्था मिल लगाने की आज्ञा चाहने वाली कितनी दरख्वास्तें सन् १९५५ से अब तक आईं ? उनमें से कितनी मंजूर की गयीं तथा कितनी नामंजूर हुईं तथा किन आधारों पर मंजूरी या नामंजूरी दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कत्था मिल लगाने की कोई दरख्वास्त सन् १९५५ से अब तक नहीं आई है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—यह पत्र जो उन्होंने लिखा जिसके जरिये दरख्वास्त रिजेक्ट की तो वह क्या बिना दरख्वास्त आये ही रिजेक्ट कर दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने जो उत्तर दिया चूंकि कत्था इंडस्ट्री जो है वह शेड्यूल्ड इंडस्ट्री नहीं है डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन ऐक्ट, १९५१ के मुताबिक इसलिये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में कोई दरख्वास्त नहीं आई । यह जरूर है कि कत्थे के पेड़ लेने के लिये फारेस्ट डिपार्टमेंट में कई अर्जियां आई हैं । २२ अर्जियां आई हैं । उनमें से १८ रिजेक्ट हो गयी हैं । ४ पर विचार कर रहे है कि कत्थे के पेड़ दें या न दें । यह प्रश्न उद्योग से सम्बन्ध नहीं रखता । उनके यहां वन विभाग में आयी होंगी ।

ऐल्मिनियम प्लाण्ट और लोकोमोटिव कम्पोनेण्ट्स फैक्टरी लगाने की योजना

*५७—श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐल्मिनियम प्लान्ट और लोकोमोटिव कम्पोनेण्ट्स फैक्टरी के लगाने का निश्चय हो गया है ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—लोकोमोटिव का निश्चय हो गया है । ऐल्मिनियम के सम्बन्ध में बात चीत चल रही है परन्तु आशा है कि यह भी खुल जायगा ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या माननीय मुख्य मन्त्री कृपया बतायंगे कि लोकोमोटिव कम्पोनेन्ट्स फैक्टरी कहां लगायी जा रही है उस पर कितना व्यय होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह बनारस में लगायी जा रही है । खर्चा, चूंकि पब्लिक सेक्टर में ह इसलिये सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा मालूम है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एल्मिनियम प्लान्ट का साइट ठीक हो गया है ? यदि हां, तो कहां ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जहांतक एल्मिनियम प्लान्ट का सवाल है, हेवी इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर मनुभाई शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लगेगा । बिड़ला ने दरख़्वास्त दी है लेकिन अभी तक लाइसेंस की बात नहीं हुई है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या एल्मिनियम प्लान्ट यू० पी० में लगाने के लिये सरकार की बात चीत प्राइवेट लोगों से चल रही है ? यदि हां, तो किस से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह उत्तर प्रदेश की करने की बात नहीं । इसके लिये लाइसेंस केन्द्रीय सरकार देती है । केन्द्रीय सरकार बिड़ला से बात कर रही है ।

श्री गेंदासिंह---लोकोमोटिव कारखाने के सिलसिले में जमीन का झगड़ा चल रहा था क्या जमीन का झगड़ा तय हो गया है ? अगर नहीं तय हुआ है तो सरकार क्या उसे जल्द तय करने की कोशिश करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वह तो जमीन एक्वायर हो चुकी है ।

सरकारी कर्मचारियों को दहेज में प्राप्त सामान की सूचना देने का आदेश

*५८---**श्री गंगाप्रसादसिंह**---क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार के मन्त्री परिषद् (cabinet) ने राजकीय कर्मचारियों के लिये कोई ऐसा आदेश निकाला है कि वे विवाह में प्राप्त दहेज का हिसाब-किताब प्रस्तुत करें ? यदि हां, तो क्या सरकार इस आदेश की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां । इस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३४९--३५१ पर ।)

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या माननीय मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे क्या सरकारी कर्मचारी की परिभाषा में सरकारी आर्डरली और पिएन भी आते हैं ? यदि हां, तो क्या यह नियम उन पर भी लागू होंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरा खयाल तो ऐसा है, लेकिन कानूनी बात है । मैं ठीक कह नहीं सकता कि वह इसके अन्दर आते हैं या नहीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---यह आदेश कब दिये गये और इस आदेश के देने के बाद किसी तरह की सूचनाएं प्राप्त हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आदेश की तारीख है २७ जून । मैं समझता हूं कि सूचनाएं आयी होंगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारी इस आदेश का ठीक से पालन करें, इसको पालन कराने के लिये सरकार किस बात का ध्यान रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार को अपने कर्मचारियों की इमानदारी पर पूरा भरोसा है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दहेज के हिसाब-किताब में जेवर भी शरीक है जो उनको दहेज में मिला करता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो कानूनी सवाल है। जो दहेज के अन्दर मिला करता होगा सभी होगा।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह आदेश सरकारी कर्मचारियों के किस स्तर पर लागू है या सब पर लागू है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गवर्नमेंट सर्वेन्ट कंडक्ट्स रूल्स जिन पर लागू हैं उन सब पर यह लागू हैं।

श्री गेंदासिंह---इस प्रकार का आदेश सरकार को देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---दहेज के खिलाफ कोई कानून तो है नहीं। लेकिन ऐसी आशा की जाती है कम से कम सरकार अफसर तो लोगों के सामने एक अच्छी मिसाल रखें। इसके पहले भारत सरकार ने किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया है। इससे कुछ थोड़ी बहुत रोकथाम होगी ही, ऐसी आशा की जाती है।

कुमायूं रोडवेज रीजन के पुनस्संगठन पर विचार

*५९---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुमायूं रोडवेज रीजन के तोड़े जाने के कारण प्रति वर्ष औसतन कितनी बचत हुई ? ?

डाक्टर सीताराम---कोई खास बचत नहीं हुई है।

*६०---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार उक्त रीजन के पुनःसंगठन हेतु पुनर्विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां।

नैनीताल जिले में नियोजन विभाग द्वारा निर्मित जल-प्रणालियों की मरम्मत के लिए प्रार्थना

*६१---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि नैनीताल जिले में नियोजन विभाग द्वारा निर्मित पटोड़ी, जोशीखोला, हल्द्वानी एवं खेड़ा पेय जल योजनाओं के अनुसार निर्मित जल प्रणालियों में पानी नहीं चल रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त प्रणालियों की मरम्मत हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, वर्तमान समय में इन जल-प्रणालियों में पानी नहीं चल रहा है।

जहांतक इन प्रणालियों के मरम्मत का प्रश्न है, इसका विभाग अथवा सरकार से कोई संबंध नहीं है। यह योजनायें नियोजन विभाग के कोष से अनुदान प्राप्त कर "आत्मनिर्भरता योजनाओं" के अन्तर्गत संबंधित ग्रामवासियों द्वारा निर्मित हुई है। इस प्रकार योजनाओं की देख रेख वह मरम्मत का भार संबंधित ग्राम वासियों पर है। फिर भी उक्त दोनों योजनाओं के निरीक्षण हेतु प्राविधिक सहायक (Technical Assistant) को भेजकर उनकी मरम्मत का तखमीना तैयार करने के पश्चात् ग्रामवासियों को मरम्मत करने के हेतु प्रोत्साहित किया जायगा।

कुछ विधायकों का कश्मीर जाना

*६२---श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि न्याय उप मन्त्री के अधिनायकत्व में सदन में सदस्यों का एक दल कश्मीर के मुख्य मन्त्री के निमन्त्रण पर कश्मीर की यात्रा को गत ग्रीष्म ऋतमें गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

नोट:---तारांकित प्रश्न संख्या ५८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री परमात्मानन्दसिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, कल श्री परमात्मानन्द सिंह के देहान्त के समाचार को पाकर सदन ने अपने काम को बन्द कर दिया था। आज मेरा यह दुखद कर्तव्य है कि मैं उनके निधन के सम्बन्ध में कुछ बातें सदन के सामने रखूं। श्री परमात्मानन्द सिंह का जन्म १८६५ में हुआ था। इस समय उनकी आयु ६३ वर्ष की थी। सम्भवतः जो माननीय सदस्य थोड़े दिनों से ही इस सदन के सदस्य हैं वे उनको पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और डिप्टी मिनिस्टर के रूप में ही जानते होंगे परन्तु यहां कई ऐसे सज्जन हैं जिनका कि उनसे कई वर्षों का सम्बन्ध रहा है और वे उनको एक पुराने कर्मठ कार्यकर्त्ता के रूप में जानते हैं।

१६२१ में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन आरम्भ हुआ तब परमात्मानन्दसिंह जी उसमें सम्मिलित हुये। उसके बाद १६४२ तक के हमारे आन्दोलनों में वे शरीक होते रहे। इस सिलसिले में उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त और भी क्षेत्रों में उन्होंने काफी भाग लिया। इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के वह दो बार सदस्य रहे। अपने जिले बलिया में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य रहे और म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य और चेयरमैन रहे। विधान परिषद् में भी वह २, ३ बार सदस्य रह चुके हैं और इस वक्त भी सदस्य थे। पहले उन्होंने सदस्यता के रूप में और बाद में पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी के रूप में प्रदेश की सेवा की और फिर हाल ही में माल विभाग में डिप्टी मिनिस्टर का काम करते थे।

उनके व्यवहार और सौजन्य से यहां सभी लोग परिचित होंगे। इधर कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था। करीब दो महीने से वह अस्पताल में पड़े हुये थे। आंव की बीमारी से वह पीड़ित थे जिसको मैं कोई घातक बीमारी नहीं समझता था, लेकिन पीछे जरूर उनकी हालत खराब होती गई। कोई ३ दिन पहले जब मैं उनको देखने गया तो वह बोल नहीं सकते थे। केवल उनका दिमाग काम करता था। उंगली के इशारे से मुझको उन्होंने यह सूचित किया कि मैं बोल नहीं सकता। उसी वक्त हम लोग उनके जीवन से निराश हो चले थे और कल दोपहर को उनका देहान्त हो गया।

अभी वह काफी कच्ची गृहस्थी छोड़ गये हैं, लेकिन दैव के आगे कोई चारा नहीं है। उनके निधन से हमारे विधान मंडल का नुकसान हुआ, प्रदेश के शासन का नुकसान हुआ और इस प्रदेश का एक अच्छा पुराना पारंगत कार्यकर्त्ता हमारे बीच से चला गया। मैं इसके सिवाय अब और क्या कहूं कि आप हम सब लोगों की समवेदना उनके व्यथित परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, कल जब इस सदन की कार्यवाही चल रही थी उस बीच में परमात्मानन्दसिंह जी के निधन का दुखद समाचार हमें प्राप्त हुआ। यह मेरा दुर्भाग्य था कि वह इस नगर में पिछले दो मास से अस्पताल में दाखिल थे, लेकिन उनके अस्वस्थ होने की किसी प्रकार की सूचना मुझे नहीं थी। पुराने साथी थे। मान्यवर, मुझे यह भी गौरव प्राप्त हुआ कि मैं बलिया नगर में उनके निवास-स्थान पर ठहर सकूं। कम बोलने वाले किन्तु अपने विचारों के दृढ़, सौजन्यता के नमूना! सदा इस बात का ध्यान रखते थे कि किसी की राय उनसे भिन्न क्यों न हो, किन्तु आपस के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कड़वापन या मनमुटाव पैदा न होने पाए। ऐसे व्यक्ति साधारण तौर पर देखने में नहीं आते। उनके न रहने से इस प्रदेश का एक पुराना सच्चा समाजसेवी उठ गया। माननीय नेता सदन ने उनके सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और मान्यवर से यह निवेदन करता हूं कि मेरी ओर से और इस आदरणीय सदन के इस ओर बैठने वाले अन्य सदस्यों की ओर से जो उद्गार उनके प्रति यहां प्रकट किये गये हैं, उन्हें उनके कुटुम्बियों को सूचित कराने की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से हूं कि जिन्हें स्वर्गीय परमात्मानन्दसिंह जी के साथ बहुत दिनों से परिचित होने का सौभाग्य प्राप्त है। आज से लगभग ३० वर्ष से ज्यादा पहले से, जब मैं कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी चुना गया था, तब से मुझे उन्हें जानने का सौभाग्य प्राप्त है और जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, मुझे भी एक से अधिक बार बलिया में उनके यहां आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। वह उन लोगों में से थे, जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा, कि उन्होंने हमारे साथ बराबर सन् १९२० से देश के स्वाधीनता संग्राम में सैनिकों की तरह कंधे से कंधा मिला कर काम किया और उसमें योग दे रहे थे और जैसा विरोधी दल के नेता ने कहा है, मतभेद के कारण अथवा पद प्राप्ति के कारण उनकी सज्जनता में, उनके सौजन्य में, उनके आपसी सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कभी नहीं आया।

मैं एक बात उनके सम्बन्ध में और विशेष रूप से कहना चाहता हूं और वह यह कि हमारे प्रदेश में जो हिन्दी राजभाषा बनी उसका श्रेय खास तौर पर उनको इसलिये है कि ११ सितम्बर, १९४७ में उन्होंने ही विधान परिषद् में हिन्दी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव पश किया था और उसके स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप हिन्दी राजभाषा करार दी गयी। तो ऐसे साथी और सज्जन को स्वर्गीय कहते हुए भी दुःख होता है, लेकिन उन बातों पर मनुष्य का कोई बश नहीं है और जिन पर हमारा कोई वश न हो उनको सिवाय सहन करने के कोई चारा नहीं है।

उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति, अपने और अपने दल की ओर से मैं समवेदना प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी यह समवेदना उनके परिवार वालों तक पहुंचा दी जाय।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, कल जब मैं इस सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये लन्च के बाद आ रहा था तो यकायक मुख्य द्वार पर ही मुझे ज्ञात हुआ कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो गयी है क्योंकि श्री परमात्मानन्दसिंह जी का निधन यकायक हो गया है। उनके निधन के समाचार से मुझे महान् कष्ट हुआ।

परमात्मानन्द सिंह जी के साथ बैठकर मुझे लगातार कई घंटों तक देश और प्रदेश की समस्याओं पर विचार विनिमय करने का अवसर मिला था। उनके दिल में एक ख्वाहिश थी कि समाज में किस प्रकार से परिवर्तन हो। जब कभी उनसे तर्क-वितर्क होता तो मुझे ऐसा लगता कि वह वही चाहते हैं और बहुत दूर तक चाहते हैं जो कि हमारी विचारधारा के ही अनुरूप है और इसी प्रकार से काम करें, लेकिन उनकी बेबसी थी। वह क्या बेबसी थी? इसको वे ठीक प्रकार से प्रकट नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि समाज में इस प्रकार का परिवर्तन हो जिसमें हर मनुष्य अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन कुछ बेबसी के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते थे।

जब हम प्रदेश में अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन इस तीव्रता के साथ ले चल रहे हैं तो ऐसे अवसर पर परमात्मानन्दसिंह का निधन हो जाना एक बहुत बड़ी क्षति हमें दिखायी देती है। मैं उस संबंध में ज्यादा नहीं कहना चाहता।

इसके पूर्व भी वह एक बार बीमार पड़े थे और मैं उनको बलरामपुर अस्पताल में कई बार देखने गया था। एक बार उनकी तबियत ज्यादा खराब भी हो गयी थी, लेकिन फिर संभल गयी। इस बार मुझे आश्चर्य है कि वे इतने दिनों से बलरामपुर अस्पताल में पड़े थे, लेकिन मुझे सूचना नहीं मिल पायी कि परमात्मानन्द जी की तबियत इतनी खराब है। इसलिये इस बार मैं उनको देखने न जा सका और जो कुछ भी उनको रोग के बारे में जानकारी हासिल करा सकता या उनको सहयोग दे सकता, वह भी न कर सका।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

श्री परमात्मानन्दसिंह जी का नाम सन् १९४२ की उथल-पुथल के जमाने में हम लोगों के बीच में आदर के साथ लिया जाता था और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि १९२१ के स्वतंत्रता संग्राम के वे वीर सैनिक थे । सेनानी के रूप में उन्होंने काम किया, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में उन्होंने काम किया, यह सही है । वे कुशल व्यक्ति थे और उन्होंने अपने सरल स्वभाव के कारण यह गुण अवश्य प्राप्त कर लिया था कि वे अपने विरोधियों के साथ बैठकर भी बातें कर सकते थे और विचारों का आदान-प्रदान कर सकते थे । ऐसे सज्जन आज हमारे बीच से उठकर चले जा रहे हैं, इससे हमें महान् कष्ट है । हम अपनी और सोशलिस्ट पार्टी की सहानुभूति और सद्भावना आपके द्वारा उनके परिवार वालों के पास भेजने का निवेदन करते हैं ।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री परमात्मानन्द सिंह जी की मृत्यु का दुखमय समाचार कल सदन में मालूम होकर बड़ा दुःख हुआ । श्रीमन्, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक-एक करके हमारे प्रदेश के रत्न उठते चले जाते हैं । आज उनके न रहने से सदन सूना सा लगता है । मान्यवर, माननीय नेता सदन ने, विरोधी दल के नेता ने तथा अन्य साथियों ने जो शोकोद्गार प्रकट किये हैं, मैं अपने को और अपने जनसंघ के दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह मृतात्मा को अपने निकट स्थान दे और आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी ओर से और जनसंघ की ओर से हमारी श्रद्धांजलि उनके परिवार को पहुंचा दें ।

*श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, श्री परमात्मानन्दसिंह जी के निधन से हमें बड़ी व्यथा हुई है । महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित आन्दोलन की पहली पांति में हमारे देश के कोने-कोने से हजारों लोग जो अपनी सर्वस्व आहुति देकर आगे बढ़े थे, हमारे प्रदेश के विशेषकर पूर्वी अंचल के वे एक प्रमुख योद्धा थे । मेरा उनका साक्षात्, गहरा परिचय सन् १९५२ में इसी सदन में आने के बाद हुआ था । मेरे हृदय पर उनकी जो छाप पड़ी उसको अधिक न कह कर एक शब्द में ही मैं कह देना चाहता हूं कि साइलेंट वर्कर होना चाहिए । वे साइलेंट वर्कर थे, आत्म विज्ञापन की लालसा कभी भी मैंने उनके जीवन में नहीं देखी । माननीय मंत्री हों, उपमंत्री हों, राज्य मंत्री हों या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हों, मेरा खयाल है कि सभी से वे अपने को अलग रखते थे । वे इतने साइलेंट वर्कर थे कि वे कहां रहते हैं, क्या करते हैं, किस कमरे में रहते हैं, इसका पता बहुतों को नहीं लग पाता था । इसका उदाहरण मैंने यही देखा कि बलरामपुर अस्पताल में वे कब गये इतनी बात तक का पता मुझे नहीं लग सका । मैं दो बार उनसे बलरामपुर अस्पताल में जाकर मिल आया था और उनको देखकर जब मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि अब वे हमारे बीच में फिर लौट कर नहीं आ सकेंगे ।

माननीय माल मंत्री जी के मुख्य सहयोगी के रूप में वे इधर वर्षों से काम करते रहे थे और मैं समझता हूं कि आदरणीय चरणसिंह जी की उनके निधन से व्यक्तिगत हानि हुई है जिसकी अनुभूति वे क्षण-क्षण करते होंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं इससे अधिक न कहकर अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से आपके द्वारा उनके परिवार और उनके परिजनों तक श्रद्धांजलि भेजना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को उनके दुखी परिवार और शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---श्री परमात्मानन्दसिंह जी के कल आकस्मिक निधन होने पर हम सबको ही काफी आश्चर्य हुआ और हृदय को बड़ा धक्का लगा । मैं उन लोगों में हूं जिनको कल तक यह पता नहीं था कि वे बीमार भी पड़े हैं । जैसा कि माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि वे इतने साइलेंट वर्कर थे, इतने चुपचाप सेवा करने के आदी थे कि वे कभी न अपनी बीमारी के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बारे में, न इसके बारे में कि वे क्या उपाय कर रहे हैं, इसकी चर्चा किसी से न करते थे। यही कारण है कि कई लोगों को इसका ज्ञान भी नहीं था कि वे बीमार भी हैं। मैं तो करीब १०, १५ रोज के बीच में एकाध दफा बलरामपुर अस्पताल जाता हूं और मैं १३ और २३ तारीखों में गया भी था। जब कभी वहां जाता हूं तो कुछ लोग बतला देते हैं कि वहां पर इस आदरणीय सदन के कौन सदस्य बीमार होकर किस कमरे में बलरामपुर अस्पताल में है। यदि ऐसी सूचना मिलती थी कि कोई सदस्य वहां है तो मैं मिल भी आता रहा हूं। लेकिन अबकी दफा दुर्भाग्य की बात है कि मुझसे किसी ने कहा भी नहीं। मुझे इसी कारण कल बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे ऐसी घटना हो गयी और उनसे मैं मिल भी नहीं सका जब कि हमारा उनका इतना प्रेम रहा। पिछले १०, १२ वर्षों में उनसे मिलने का मुझे कई दफा मौका आया था। पहले से भी मैं उनके नाम को तो सुनता ही रहा क्योंकि वे उन बहादुर सेनानियों में थे जो कि सन् १९२१ में ५५ कांग्रेसी सदस्य गिरफ्तार हुए थे और प्रसिद्ध हैं। उन ५५ की गिरफ्तारी से ही हम समझते हैं कि हमारे प्रान्त में वह आग लगी जिससे सत्याग्रह आन्दोलन का श्रीगणेश इस प्रान्त में हुआ था और बड़े जोर का उफान उठा था। क्योंकि प्रान्त के सब बड़े-बड़े नेता उस वक्त एक साथ गिरफ्तार किये गये थे। इतने पुराने देश के कार्यकर्ता वे थे तो भी इस घटना को मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग जानते होंगे। वे उस घटना की चर्चा नहीं करते थे कि कब और क्या काम उन्होंने किये हैं। वे इलाहाबाद में जवाहरलाल जी के साथ म्युनिसिपैलिटी के सदस्य रहे। यह बात भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगी। इसके अतिरिक्त भी उनकी कई सेवायें स्वायत्त शासन के क्षेत्र में रही हैं। इस सदन की स्वायत्त शासन की कमेटियों में वे रहे और मैं स्वयं जानता हूं कि कितने संजीदा उनके विचार रहते थे। कमेटियों में वे बड़े विचारपूर्वक और जिम्मेदारी से सलाह दिया करते थे। मेरा उनका सम्पर्क वर्षों से इसी तरह से स्टैंडिंग कमेटीज के कार्य में रहा है जहां मैंने उनकी श्रेष्ठता को जाना है।

ऐसे पुराने कार्यकर्त्ता, ऐसे सज्जन पुरुष और सौजन्यपूर्ण व्यक्ति हमारे बीच में से चले जायं यह बड़ी दुःख की घटना है। जो भावनायें सदन के नेता तथा अन्य नेता दलों ने व्यक्त की हैं उन सबके साथ मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं इन सब भावनाओं और सहानुभूति को जो व्यक्त की गई हैं उनके व्यथित कुटुम्बियों के पास भेज दूंगा और अब हम खड़े होकर २ मिनट परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शान्ति प्राप्त हो।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

बाढ़ के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—कई कामरोको प्रस्ताव आज मेरे पास आये हैं। बाढ़ से सबन्धित प्रस्तावों को मैंने वित्त मन्त्री जी के पास भेज दिया है और अपना जो वक्तव्य वे देंगे उसमें वे उन जिलों को भी शामिल कर लें और जो बाढ़ की परिस्थिति हो वह बतलायें। इन प्रस्तावों की अनुमति मैं नहीं देता हूं।

जिला इटावा व फतेगढ़ में अन्न व महंगाई समस्या से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक, दो कामरोको प्रस्ताव और हैं जो कि अन्न की समस्या के बारे में हैं। मंहगाई बढ़ गयी है उसके विषय में हैं। इन विषयों के सम्बन्ध में कामरोको प्रस्तावों पर जिक्र पहले भी हो चुका है तथा पहले भी अन्न की समस्या पर बहस हो चुकी है। इसलिये कामरोको प्रस्ताव का विषय वह फिर से नहीं बन सकता। तो इन कामरोको प्रस्तावों की भी मैं इजाजत नहीं देता।

वाराणसी जिला परिषद् की बैठक में अवैधानिक कार्यवाही के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--जिला परिषद् की बैठक के सिलसिले में श्री राजनारायण जी का एक कामरोको प्रस्ताव है। कुछ कथित अवैधानिक कार्यवाही हो रही है उसके विषय में यह कामरोको प्रस्ताव है। यह भी कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता क्योंकि अन्तरिम जिला परिषद् स्थानीय संस्था का एक स्वरूप है। उसके लिये यही कार्यवाही हो सकती है कि जो सम्बन्धित मंत्री हैं उनसे शिकायत की जाय, या प्रश्न पूछ कर कोई कार्यवाही करने की जरूरत हो तो की जाय, लेकिन कामरोको प्रस्ताव का विषय यह भी नहीं बन सकता। इस कारण अनुमति नहीं दी जाती है।

कन्नौज में पुलिस द्वारा अभिकथित लाठीचार्ज तथा गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव श्री द्वारिका प्रसाद दोहरे का है--

गत २५ अगस्त को कन्नौज (फर्रुखाबाद) में उप मन्त्री श्री सुल्तान आलम खां के आगमन के समय सुगन्ध कुटीर उद्योग संघ के शान्त प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज तथा २० व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा राहगीरों को आतंकित करने से उत्पन्न असन्तोष पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।

यह गृह मन्त्री जी के पास भेज दिया गया था। मैं समझता हूं कि वह अगर सूचना कुछ देना चाहें सदन को इस विषय में तो दे सकते हैं।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, २५ अगस्त को जिसका कि उल्लेख इस कामरोको प्रस्ताव में है ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। एक ऐसी घटना १९ अगस्त को जरूर हुई जिसमें कि लाठी चार्ज की तो कोई बात है नहीं। दो आदमी गिरफ्तार किये गये क्योंकि वह काले झंडे का प्रदर्शन करना चाहते थे १५ अगस्त के अवसर पर, इंडिपेंडेंट डे के दिन जबकि माननीय उप मन्त्री कन्नौज के सुगन्ध कुटीर उद्योग संघ के एक समारोह में जा रहे थे। तो वहां जहां मीटिंग होने वाला था वहां १५, २० आदमी इकट्ठे थे और दूसरी तरफ से जो लोग मीटिंग करने वाले थे, मीटिंग का आयोजन कर रखा था। यह देखकर के कि इनमें टक्कर हो जाने का डर है जो पन्द्रह बीस आदमी वहीं खड़े थे उनको हटाने की कोशिश की गई और लोग तो चले गए, लेकिन दो आदमी थे जिन्होंने हटने से इनकार किया। तो उनको दफा १५१ सी० आर० पी० सी० में गिरफ्तार कर लिया गया। बस यह वहां की एक स्थानिक घटना है।

श्री अध्यक्ष--तो अनिश्चितता के कारण इसकी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री मुहम्मद नसीब खां 'बेखुद' की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री अब्दुल रऊफ लारी ने एक प्रस्ताव भेजा है--

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुहम्मद नसीब खां, 'बेखुद' कार्यकर्त्ता किसान मजदूर प्रजा पार्टी जो २१-८-५८ से आमरण अनशन नौगढ़ जिला बस्ती में कर रहे थे, को सरकार ने कल अचानक अनावश्यक और गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार कर लिया है जिससे वहां की जनता में क्षोभ पैदा हो गया है।" इत्यादि

तो यह कुछ लोगों की गिरफ्तारी के ऊपर है और विषम परिस्थिति का इसमें कोई सवाल नहीं है। महत्व का भी नहीं है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

कुछ अन्य कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---कुछ और कार्य स्थगन प्रस्ताव आये हैं। लेकिन वह बाद में भेजे गये और उनको एक ही प्रति भेंजी गई। दो प्रतियां भेजने का आवश्यकता थी। लेकिन उनमें भी विषय ऐसे हैं कि जो कामरोको प्रस्ताव के विषय नहीं हो सकते।

एक उसमें इस बारे में है कि किसी अखबार ने यह छाप दिया कि परमात्मानन्दसिंह जो तीन रोज से बलरामपुर अस्पताल में थे हालांकि वह महीने भर से वहां थे। अतः कामरोको प्रस्ताव इस कारण आया है कि उक्त सूचना कहा जाता है कि इन्फार्मेशन डाइरेक्टोरेट से अखबारों को भेजी गयी थी। श्री विश्वेश्वरानन्द जी का यह प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि ऐसी फुटकर बातों के ऊपर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता। महत्व का न होने से उसे अस्वीकृत किया गया।

(श्री शिवप्रसाद नागर के खड़े होने पर)

आप का प्रस्ताव ११ बजे के बाद आया था। इसलिये मैंने उसको लिया नहीं। आप कृपा करके बैठें।

२७ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न ४७-४८ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में श्री राजनारायण द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष---श्री राजनारायण जी के सम्बन्ध में कल कुछ प्रश्न पूछे गये थे। उसमें यहां पर जो उत्तर दिये गये सरकार की तरफ से उनके बारे में उनका कहना यह है कि उससे गलतफहमी उनके बारे में हो सकती है। कभी गिरफ्तार वह हुए थे, अदालत में गये थे, कुछ जुर्माने के सम्बन्ध में प्रश्न था कि जुर्माना उन्होंने अदा किया और किस क्लास में रखे गये, इस सम्बन्ध में उत्तर दिया गया था। तो ऐसे विषयों के जो उत्तर दिये गये माननीय राजनारायण कहते हैं कि उनको गैरहाजिरी में वे उत्तर दिये गये। इसलिये परसनल एक्सप्लेनेशन के लिये मैं उनको इजाजत दे सकता हूं कि संक्षेप में वह स्पष्टीकरण दें। इसकी वजह यह है कि प्रश्न जो पूछा गया था उसमें किसी का नाम नहीं था। अगर राजनारायण जी का नाम मूल प्रश्न में होता और उत्तर दिया गया होता तो मैं यह कह सकता था कि राजनारायण जी को उपस्थित होना आवश्यक है जब कि उत्तर दिये जायं। और वह उत्तर सुनते और प्रश्न पूछ लेते। लेकिन उस प्रश्न में गोल बात थी कि कितने आदमी गिरफ्तार थे, किनको क्या, क्या क्लास दी गई थी और फिर पूरक प्रश्न में नाम पूछा गया उसमें उनका नाम आया। इसलिये उपस्थित होने के लिये राजनारायण जी को कोई इशारा नहीं मिला और कल को गैरहाजिरी के लिये मैं उनको जिम्मेदार नहीं समझता और उनके बारे में प्रश्न पूछा गया और उत्तर दिया गया जिसके कारण संभवतः गलतफहमी हो गई तो ऐसी विशेष परिस्थिति में परसनल एक्सप्लेनेशन के लिये मैं उनको इजाजत देता हूं और इस तरह की इजाजत पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार दी भी जाती है। इसलिये माननीय राजनारायण जी, संक्षेप में जो आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं दें, सही वाकयात को बता दें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करने का अवसर प्रदान किया। मुझे ज्ञात हुआ है कि जेल मन्त्री ने बताया है कि १९५७ के सत्याग्रह के सम्बन्ध में मैंने जुर्माना अदा किया है। इस सम्बन्ध में मैं आप को बताऊ कि सन' १९५७ का सत्याग्रह १० मई, १९५७ से आरम्भ हुआ था। मुझे १५ महीने की सजा और ३०० रुपये जुर्माना की सजा हुई थी और जुर्माना न देने के ४ महीने की सजा और थी, इसी प्रकार मिलाकर १९ महीने की सजा हुई थी बनारस में। मैं कानपुर जेल से २४ नवम्बर को छूटा सेशन जज के आदेशानुसार। सेशन् जज ने अपने फैसले में साफ लिख दिया था यदि यह लोग जुर्माना जमा किये हों तो वापस कर दिया जाय। तो न तो सत्याग्रह

[श्री राजनारायण]

के सम्बन्ध में मैं जुर्माना अदा किया और न मुझसे मांगा गया था और न सरकार को फिर वापस करने को आवश्यकता है । इसलिये मन्त्री जी का यह कथन कि सत्याग्रह के सम्बन्ध में मैंने कोई जुर्माना अदा किया यह निराधार और असत्य है ।

श्रीमन्, एक और निवेदन कर दूं कि ५० रुपये जुर्माना अदा किया, ऐसी बात आयी। उस सम्बन्ध में मैं बताऊं कि गोरखपुर में, वहां पर शहीद दिवस मनाया जाता है २५ अप्रैल को, तो १९५५ में मैं वहां गया था और शहीदों के स्मारक पर फूल चढ़ाने गया था और मेरी गिरफ्तारी दफा १४४ के अन्तर्गत हुई थी और १०० रुपया जुर्माना या न देने पर एक महीने की सजा भी हुई थी । मैंने कह दिया था कि मैं जुर्माना नहीं दूंगा, मैं सजा भुगतने के लिये तैयार हूं । बनारस में २३ मई को मुझे सजा सुनाई गई । तो बनारस के मैजिस्ट्रेट ने हमको अपने आदेश में गोरखपुर में जो एक महीने की सजा हुई थी उसको साथ-साथ चलने की आज्ञा दी थी । इसलिये जब मैं कानपुर जेल से २४ नवम्बर, १९५७ को छूटने लगा तो तो मेरे सामने न जुर्माना अदा करने की बात आयी और न मुझसे मांगा गया और न मैंने अदा किया । मेरा रुपया वहां पर जमा था, जो जेल जाने से पहले जमा करा लिया जाता है, वह करीब ५० से ऊपर हो रहा होगा । अगर जुर्माना जमा करने की बात आयी होती तो सबसे पहले मेरे रुपये में से ही लिया जाता ।

श्री अध्यक्ष--आप बहस न करिये ।

श्री राजनारायण--बाद में मुझे मालूम हुआ । जब यह चर्चा चलने लगी तो मैंने जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट से पूछा . . . .

श्री अध्यक्ष--५० रुपया आप ने वापस ले लिया ?

श्री राजनारायण--वह तो मेरा पर्सनल रुपया था । जब मैं २४ तारीख को छूटा था तो जो रुपया जेल गेट पर जमा करा लिया जाता है वह मैंने वापस ले लिया ।

श्री अध्यक्ष--तो आप वापस ले चुके हैं ।

श्री राजनारायण--जी हां, इसलिये कह रहा हूं क्योंकि वह ५० रुपया सुपरिन्टेन्डेन्ट से जब पूछा तो उसने जवाब दिया . . . .

श्री अध्यक्ष--आप यह कह रहे हैं कि आप ने अदा नहीं किया । वह रुपया आपको वापस मिल गया ?

श्री राजनारायण--जो कोई गिरफ्तार होता है उसके पास जो रुपया होता है . . . .

श्री अध्यक्ष--आपका जो रुपया जमा था वह आपने ले लिया ।

श्री राजनारायण--जी हां, मगर वहां पर ५० रुपये एक दूसरे व्यक्ति ने बाद में जमा किये हैं । बीच के तथ्य को स्पष्ट कर दें . . . . ।

श्री अध्यक्ष--अब आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन पूरा दे चुके हैं ।

श्री राजनारायण--न तो मैंने जमा किया, न मेरी जानकारी में जमा हुआ और, हमारा जो गेट पर रुपया जमा हुआ था वह हमने वापस ले लिया, श्रीमन्, आपको भी मालूम होगा आप भी स्वयं जेल गये हैं ।

दूसरा तथ्य है सुपीरियर क्लास के बारे में । आप देखेंगे कि हमारी पूरी डायरी है, बनारस जेल में हम साढ़े तीन मास तक रहे, इसकी जानकारी माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी है और महामान्य गवर्नर महोदय को भी है । मैंने लिख कर अपनी क्लासिफिकेशन को छोड़ा

था क्योंकि जेल वाले कहते थे कि सुपीरियर क्लास के बन्दी अलग रखे जायंगे और ग्राडिनरी क्लास के अलग रखे जायंगे । मैंने जेल में सभी बन्दियों के साथ एक प्रकार से, एक स्थान पर, एक मेस में, एक प्रकार का, भोजन किया ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, तो आप ने स्वयं सुपीरियर क्लास स्वीकार नहीं किया दोनों बातें स्पष्ट हो गयीं ।

श्री राजनारायण—मैंने, श्रीमन्, २४ अक्तूबर को एक चिट्ठी लिखी, उसकी कापी मौजूद है, उसमें सुपीरियर क्लास छोड़ने के बाद ही सभी बन्दियों का साथ रहना सम्भव हुआ ।

श्री अध्यक्ष—आप तो खुद अपने ऊपर शक कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई शक करे तो आप यह सबूत पेश करें ।

श्री राजनारायण—कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो जेल नहीं गये हैं, उनको जेल के कायदे कानून नहीं मालूम हैं.....

श्री अध्यक्ष—यह सब कह कर, ऐसी शंकाएं उठाकर, आप अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं ।

विभिन्न जिलों में बाढ़ सम्बन्धी सूचना

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बाढ़ के विषय में कई कार्य-स्थगन प्रस्ताव आ चुके हैं और घाघरा व राप्ती आदि नदियां फिर बढ़ रही हैं, हम चाहते हैं कि बाढ़ के विषय में १–२ दिन और बहस हो जाय ताकि स्थिति की सफाई हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये तो मैंने एक दूसरा रास्ता निकाल दिया है कि इस विषय में माननीय वित्त मंत्री जी हफ्ते में एक बार अपना वक्तव्य दे दिया करें । यदि आज वह तैयार हों तो सदन को इस सम्बन्ध में संक्षेप में सूचना दे दें ।

*वित्त मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बाढ़ के सम्बन्ध में जो २० तारीख तक की स्थिति थी उसके बारे में मैंने २१ तारीख को एक बयान दिया था और उस वक्त मैंने यह कहा था कि अब सब जगह की नदियां घट रही हैं सिवा गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और बाराबंकी के, लेकिन जिस वक्त मैं यहां उस दिन बयान दे रहा था तो बस्ती और आजमगढ़ की नदियां नार्मल आ चुकी थीं । यहां जो खबरें आती हैं वे एक दो दिन पहले की आती हैं । बाकी, गोरखपुर, देवरिया, और बाराबंकी के ३ जिलों में इस हफ्ते नदियां चढ़ती उतरती रही हैं । इन तीनों जिलों की लेटेस्ट स्थिति यह है कि बड़ी गंडक और कुछ नदियां तहसील महाराजगंज और नदी घाघरा बांसगांव, गोरखपुर में फिर चढ़ने लगी हैं, लेकिन बाकी सब उतार पर हैं । आदमी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है । देवरिया में राप्ती, छोटी गंडक और बड़ी गंडक उतर रही हैं, लेकिन घाघरा जो उतरना शुरू हुई थी वह फिर चढ़ने लगी है । वहां भी कोई पशु या मनुष्य की जान का नुकसान नहीं हुआ है । राप्ती और गंडक ने ३ गांवों को घेर लिया है और १२ गांवों का कृषि क्षेत्र भी पानी के नीचे आ गया है, नावों का इन्तजाम वहां सब जगह कर दिया गया है और सहायता पहुंचाई जा रही है । बाराबंकी में सब नदियां उतर रही हैं । लेकिन घाघरा औसत दर्जे की बाढ़ से कुछ ऊपर है । इस नदी में एक बांध था जो चौकाघाट रेलवे स्टेशन से उत्तर पूरब

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चरणसिंह]

की ओर है, उसको इसने २५ फीट काट लिया है। यह दो बांधों के बीच में है और रेलवे अधिकारी जरूरी मरम्मत का कार्य कर रहे हैं। बाकी कोई खतरे की बात नहीं कही जा सकती। उस जगह २६ नावें काम कर रही हैं, और भी सहायता पहुंचाई जा रही है।

इस सप्ताह में ३ नये जिलों में बाढ़ आई, सुल्तानपुर, जौनपुर और नैनीताल। इस तरह से अब प्रभावित जिलों की संख्या ४० तक पहुंच गयी है। जौनपुर में गोमती और कुछ नदियां बढ़ीं, लेकिन उसको नार्मल फ्लड कहा जा सकता है, उससे कुछ नुक्सान नहीं हुआ। फिर भी, ५,००० रुपया अहेतुक सहायता के तौर पर तकसीम किया गया। सुल्तानपुर में गोमती ने पिछले साल के रेकार्ड को तोड़ दिया। वहां फ्लड काफी आया, लेकिन अब पानी वहां भी नीचे गिर गया है और इस वक्त स्टेशनरी है। नुकसान कितना हुआ है, उसका अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कहना यह है कि बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। नैनीताल से जो कल हमारे पास खबर आयी है, जिसके सिलसिले में प्रताप सिंह जी जानना चाहते थे, हल्द्वानी में हैबर के इलाके में नन्धौर नदी में पहाड़ पर बहुत वर्षा होने के कारण बहुत पानी आ गया और इस समय उसने थोड़ा सा अपना कोर्स चेन्ज कर दिया, जिसकी वजह से ४ उपगांवों (हेमलेट्स) को नुकसान पहुंचा है और २९ कुटुम्बों और २०० एकड़ जमीन को नुकसान हुआ है, किसी आदमी की जान जाया नहीं हुई है। वहां ५०० रुपया अहेतुक सहायता के रूप में और १,६०० रुपया तकावी के तौर पर तकसीम किया जा चुका है। जिलाधीश की रिक्वेस्ट पर १,००० रुपया कल टेलिग्राफिकली वहां के लिए सेंक्शन कर दिया गया है और मुफ्त लकड़ी देने का, झोंपड़ी और मकान बनाने के लिए इन्तजाम किया जा रहा है। कलेक्टर ने यह कहा कि डर यह है कि यह नदी अगर अपना रास्ता बदलती है तो और २-३ छोटे गांवों को नुकसान पहुंचेगा। मुहकमे नहर के असिस्टेंट इंजीनियर मौके पर चले गये हैं और खुद जितना उनसे हो सकता है वह कोशिश कर रहे हैं कि नुकसान ज्यादा न हो। उनको सस्ते गल्ले की दुकानों से गल्ला भी पहुंचाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, ६ और जिलों में जिनमें कि पहले भी बाढ़ आ चुकी थी, फिर इस हफ्ते में बाढ़ आयी, लेकिन जितनी बाढ़ इन जिलों में पहले आयी थी उस हद तक वह बाढ़ नहीं पहुंची। हरदोई की बाबत यह मालूम हुआ है कि २३ अगस्त को फिर बाढ़ आ गयी और गंगा, रामगंगा और गर्रा और कुंडा दो छोटी नदी हैं और एक गौरैया नाले में बाढ़ आ गयी और १३३ गांवों पर असर हुआ।

श्री अध्यक्ष—इटावा का प्रस्ताव भी मैंने आपके पास भेजा है।

श्री चरणसिंह—इटावा की कोई खबर नहीं है।

तो वहां पर २ मकानों को नुकसान हुआ और कोई आदमी की जान नहीं गयी। जरूरी सहायता पहुंचाई जा रही है। खीरी का जहां तक सम्बन्ध है, २३ तारीख को यह खबर मिली थी कि सर्यू में पानी घट रहा है, लेकिन शारदा नदी अपना कोर्स बदल रही है। फिर शारदा में पानी बढ़ने की वजह से बाढ़ आयी है और बनबसा में बहुत वर्षा हुई है और वहां से ज्यादा पानी इस शारदा में आया है, इस वजह से नुकसान हुआ। बरेली में भी फिर बाढ़ आयी। पानी पहले घट चुका था, लेकिन रामगंगा, सौखा और देवरनियां जो ३ नदियां हैं तहसील बरेली में इनमें २३-२४ की रात में पानी बहुत बढ़ा और १० गांवों की ६०० एकड़ जमीन को नुकसान पहुंचा। दोहरा, संघैया, नगला, बेहगुल, जो तहसील बहेड़ी में और देवहा जो नवाबगंज में है, इनमें पानी आया, लेकिन अब इन नदियों में पानी घट रहा है। इनसे ३,०१९ एकड़ जमीन और ३,१२५ आदमी प्रभावित हुए हैं। गोंडे का जहां तक सम्बन्ध है, वहां २० तारीख तक पानी घट चुका था, लेकिन फिर घाघरा में पानी आया और उसने मीडियम फ्लड लेविल का कोर्स कर लिया। उन्नाव का जहां तक सम्बन्ध है, १८ अगस्त को गंगा ३७२ फीट जो कि खतरे का बिन्दु है उससे १.६ फीट नीचे गिर चुकी थी।

अब कल की जो खबर आयी है वह यह है कि गंगा फिर बढ़ गयी, और खतरे के बिन्दु से २ इंच नीचे हैं। स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है पलड पोस्ट्स पर पहुंचने के लिए और वह काम कर रहे हैं। छठा जिला मेरठ है। यमुना में, जैसा कि माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा, फिर दोबारा २३ अगस्त को बाढ़ आयी और १३ गांवों में फिर पानी आया। १,१३५ एकड़ जमीन और ३,००० आदमियों पर असर पड़ा और ३५ मकानों को नुकसान पहुंचा है। किसी आदमी की जान नहीं गयी है। नावें काम कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, इससे यह मालूम होगा कि यह जो दोबारा बाढ़ों का सिलसिला आया तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और कोई बात चिन्ता की नहीं है। जहां तक ओवर-आल पोजीशन है हमारे सूबे की और नुकसान वगैरह की, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ आंकड़ों की मीजान सुनाये देता हूं। वह यह है कि कुल प्रभावित हुए जिले हैं ४० और कुल एरिया जो प्रभावित हुआ वह है २४,०७,८०३ एकड़। कुल गांवों को जिनको नुकसान हुआ उनकी संख्या ११,६०० है, जन संख्या जो प्रभावित हुई वह है ३०,८०,८०१। मकानों को जिनको नुकसान पहुंचा है या गिर गये हैं वे हैं ४३,७८७। ३३ आदमी मरे हैं और ८३५ जानवर गायब हैं या मर गये। गवर्नमेंट ने ग्रेटुइटस रिलीफ और सब्सीडी इत्यादि के सिलसिले में ६,६२,५०० रुपया दिया और तकावी के तौर पर ५,८५,००० रुपया दिया।

पेश्तर इसके कि मैं अपने भाषण को समाप्त करूं, मैं कुछ बताना जरूरी समझता हूं। जैसा कि मैंने उस रोज अर्ज किया था, नदवा का जो रिंग बन्ध है वह २० तारीख को ९ बजे के लगभग टूटा और रिटायर्ड मैलोनी बान्ध जो उसके पास था वह भी डेढ़ घंटे बाद टूट गया जिससे ब्रीच होने पर ३०,३०० एकड़ जमीन पर जो कि ७० गांवों में थी और ५०,१०० आदमियों पर उसका असर पड़ा। १,००० आदमी वहां से निकाले गये, १२ नावें वहां काम कर रही हैं। एक मोटर बोट और ३ जाकी बोट भी काम कर रही हैं। वहां के लोगों के लिए गल्ले और जरूरी सामान का इन्तजाम किया गया। चीफ इंजीनियर और कलेक्टर मौके पर जा चुके हैं और जितनी कोशिश हो सकती है, जो बांध टूट गया था और २४-८-५८ को २०० फीट चौड़ा ब्रीच हो गया था उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि अब राप्ती नदी की लेविल गिर गयी है, अब उसको बन्द करने में आसानी हो गयी है। पानी रामगढ़ ताल में बहुत आया था, लेकिन अब कोई खतरे की बात नहीं है और जो ब्रीच हो गयी थी वह जल्दी ठीक कर दी जायगी। माननीय मुख्यमंत्री, जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा, वहां जा चुके हैं और गोरखपुर डिवीजन के चारों कलेक्टरों से बातचीत कर चुके हैं। यह मैलोनी बांध में क्यों ब्रीच हुआ, इसके सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। खयाल यह है कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उस बांध को तोड़ा। अध्यक्ष महोदय, २ और बांध इसी जिले के अन्दर ब्रीच हुए। एक मखनहा बांध, जो रोहिनी नदी पर था और एक कोटा रखत बांध है, इनके टूटने से २५ गांवों को नुकसान हुआ और बांसगांव में २३ मकानों को नुकसान हुआ। इसके अलावा और कोई बड़ा नुकसान बांध के टूटने से नहीं हुआ। यह संक्षेप में मेरे पास इत्तला है। अब एक मेरे पास आपके यहां से ऐजर्नमेंट मोशन राजेन्द्र सिंह जी की तरफ से आया है। इटावा की कोई इत्तला नहीं है। कलक्टर से मैं मालूम कर लूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के बारे में श्री शिवप्रसाद नागर द्वारा व्यवस्था का प्रश्न

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल शाम को यहां पर रीसेंट अफरेंस की एक चीज हो गई है यानी एक डकैती हो गई है और जिसमें कई औरतें घायल हो गई हैं और बच्चे भी घायल हुये हैं। ११ बजे मुझे यह इत्तला मिली और काम रोको प्रस्ताव इत्यादि लिखने में तीन मिनट लग गये और ११ बज कर ३ मिनट पर

[श्री शिवप्रसाद नागर]

मेरा प्रस्ताव आपके यहां पहुंचा। आज के बाद सदन तीन दिन के लिये बंद हो जायगा तो जब सोमवार को आप इसे लेंगे तो रोसेंट अकरेंस की चीज मानेंगे या नहीं, इसके संबंध में मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप इस सम्बंध में मेरे कमरे में बातचीत कर लें। ऐक्सीडेंट उस समय हुआ और आपको बाद में मालूम हुआ जब समय के बाद आपने कल मेरे पास उसे भेजा। यह तो माना नहीं जायगा कि प्रस्ताव आज दिया है, इसलिये उसे सोमवार के दिन दिया जाय।

द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति के प्रथम प्रतिवेदन का तृतीय भाग**

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति द्वारा दिये गये अधिकार के अनुसार प्रथम प्रतिवेदन का तृतीय भाग सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। श्रीमन्, द्वितीय भाग मैं प्रस्तुत कर चुका हूं और तृतीय भाग पेश करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था वही दुहराता हूं कि सरकार की जो प्रगति रही है वह बहुत ढीली रही है और इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को कार्य कुशल बनाने के लिये जो आश्वासन सदन के सामने दिये, जनता के सम्मुख दिये, सरकार ने तो सरकार का फिर यह एक पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि उनकी पूर्ति के लिये कदम उठाये।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि दो साल से ज्यादा बीत गये हैं लेकिन अभी तक पिछले आश्वासन ही चल रहे हैं। ३० अप्रैल, १९५६ को जो आश्वासन दिये गये उनका विवरण इस प्रकार है कि ३१८ आश्वासन दिये गये जिनमें से कुल २५६ पूरे हुये हैं और ६२ अभी बाकी हैं यानी एक चौथाई पूरे नहीं हुये हैं। सरकार के अनेक विभाग हैं जो इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अर्ज करूंगा कि माल विभाग और इर्रीगेशन विभाग हैं उन....

श्री अध्यक्ष--आप ज्यादा ब्योरे में न जायं क्योंकि सब बातें प्रतिवेदन में उपस्थित हैं।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह--अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे आशा है कि जो प्रतिवेदन मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है सरकार उसकी ओर विशेष ध्यान देगी और विभागों के अधिकारियों को आदेश देगी कि वह अपने कर्त्तव्य के पालन में इस ओर ध्यान दें।

*इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७

खंड ७ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--अब इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार जारी होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त जी के संशोधन, "खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16-A की उपधारा (4) को निकाल दिया जाय" के संबंध में अपने विचार सदन के समक्ष उपस्थित करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, कल जब इस खंड में इस संशोधन पर विचार हो रहा था तो माननीय नवलकिशोर जी ने फरमाया था कि अध्यापकगण राष्ट्रीयकरण चाहते थे कि उनकी सेवाओं का राष्ट्रीयकरण हो।

**छापा नहीं गया।

*२१ जुलाई, १९५८ को कार्यवाही में छपा है।

†२७ अगस्त, १९५८ की कार्यवाही से।

श्रीमन्, मैं फिर बड़े जोर से दुहराना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण का जो ख्वाब माननीय नवल किशोर जी इस विधेयक में देखते हैं वह राष्ट्रीयकरण नहीं है बल्कि सरकारीकरण है। राष्ट्रीयकरण और सरकारीकरण इन दोनों में फर्क हुआ करता है और यह दो भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं। राष्ट्रीयकरण में जहां सभी वर्गों के हित का ध्यान रखा जाता है वहां सरकारीकरण में केवल सरकारी हित का ही ध्यान रखा जाता है।

श्रीमन्, बहुत पहले की बात है कि इंग्लैंड में एक सरकार आई थी और उसने भी अनजाने में कुछ सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया था। नाम तो राष्ट्रीयकरण का था, लेकिन उसका सरकारीकरण हुआ और वहां का राष्ट्रीयकरण फेल हुआ जिसके खिलाफ वहां की जनता ने आवाज उठायी। मैं माननीय नवलकिशोर जी से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जब स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन विद्यालयों की ओर से तैयार हो कर डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के यहां जायगी तो वह तब तक रखी रहेगी जब तक डाइरेक्टर अपना अंतिम आदेश न दे दें। वह उसमें अदल बदल कर सकता है। बिना उसके आदेश के वह उसके दफ्तर से निकल नहीं सकती। तो किस तरह से स्कीम आफ मैनेजमेंट बनाने वाले लोगों की इच्छाओं की पूर्ति होती है? कतई उसकी पूर्ति नहीं होती है। इसमें क्या होगा, श्रीमन्? हम लोग लेबर यूनियन्स में काम करते रहे हैं। लेबर यूनियन्स में अपनी यूनियन को रजिस्ट्री कराने के लिये एक तरीका होता है कि श्रमायुक्त की तरफ से प्रस्तावित विधान हर यूनियन को वितरित कर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप भी अपनी यूनियन का ऐसा ही विधान बना लें, उसमें थोड़ा बहुत हेरफेर करके। लेकिन अगर यह उपधारा (४) न निकाली गयी तो क्या होगा? इससे यह होगा कि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के दफ्तर से एक प्रस्तावित विधान, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि एकरूपता होनी चाहिए, भेज दिया जायगा और उसमें कुछ रद्दोबदल करके अगर मगर का एक स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन भेज दिया जायगा और सारे प्रदेश में इस तरह से इस स्कीम आफ मैनेजमेंट को लागू कर दिया जायगा। इसलिए इस उपधारा (४) का निकालना बहुत जरूरी है।

दूसरी बात जो मुझे इस सम्बंध में अर्ज करनी है वह यह है कि इसमें डाइरेक्टर आफ एजूकेशन एक आदमी को काफी अनलिमिटेड पावर बिना किसी रोकथाम के दे दी जाती है। यह कहा गया है कि अगर छः महीने तक स्कीम पड़ी रहे और उसके ऊपर कोई आदेश न हो तो स्कीम आफ मैनेजमेंट का विधान पास समझा जायगा। लेकिन इसकी भी गुंजायश है कि अगर सरकारी पक्ष के लोग यह चाहें कि कोई विधान बिना उसके विरुद्ध आदेश के पास हो जाय तो ६ महीने वहां लटकाया भी जा सकता है। जिस तरह से प्रिजन्स ऐक्ट में सुपरिन्टेन्डेंट जेल्स को अनलिमिटेड पावर दे दी गयी है मैं समझता हूं कि उसी तरह से डाइरेक्टर आफ एजूकेशन को यह अनलिमिटेड पावर है। इसमें बहुत पक्षपात की गुंजायश है। जनतांत्रिक देश में ऐसा विधान बनाया जाता है कि जिसमें इस तरह के पक्षपात की गुंजायश न हो।

माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि बजाय इसके कि एक आदमी के हाथ में सारी शक्ति दे दी जाय अपीलेट कमेटीज बनाएं रीजनल आधार पर। उसको यह काम दे देना चाहिए। वह देखें कि उस क्षेत्र की स्थानीय मांगें क्या हैं; वहां का वातावरण और समस्याएं क्या हैं। उसको देख कर वह उसकी मंजूरी दे। जहां तक हम लोगों को सम्बन्ध है आदरणीय सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि जो चिट्ठियां डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के यहां लिखते हैं बहुत सी चिट्ठियों का जवाब दो दो महीने में आता है। मैं नहीं जानता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जो इतना बड़ा अधिकार उनको दे रहे हैं, किस तरह से स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन एक हजार से अधिक विद्यालय जो उत्तर प्रदेश में हैं उनकी स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन को देख कर समय से स्वीकृति दे दिया करेंगे और वहां का काम रुका नहीं रहेगा। तो श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब जनतंत्र के सिद्धान्तानुकूल मूलभूत सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है तो फिर उस हालत में इस तरह से एक आदमी को सत्ता देना कहां तक

[श्री उग्रसेन]

न्यायोचित है । इस सम्बन्ध में बहुत सी जनतंत्र की बातें उठाई गई है उसके संबंध में मैं आपकी आज्ञा से बलवन्तराय मेहता कमेटी रिपोर्ट की २, ३ लाइनें पढ़ देना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी किस तरह से सफल होती है:—

"It is therefore necessary that there should be a devolution of power and a decentralisation of machinery and that such power be exercised and such machinery controlled and directed by popular representatives of the local area."

श्रीमन्, यह जो स्थानीय प्रतिनिधि होंगे उनकी इच्छा की पूर्ति एक आदमी के हाथ में सत्ता देने से नहीं हो सकती है । जब यह मामला किसी चुनी हुई कमेटी के हाथ में दिया जाय तब ही उनकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है । शिक्षा का ध्येय यही होता है कि वह देश सभ्यता में कितना आगे बढ़ता है । इस बात को दृष्टि में रखते हुये यह बहुत जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो डाइरेक्टर आफ एजूकेशन हो उसको यह पावर न दी जाय । हमने तो बहुत पहले इसके लिये मांग की थी लेकिन दुख का विषय है कि यह इन्टरमीडियेट एजूकेशन बिल इतनी देर से आ रहा है । इसके भी जो अध्यक्ष हैं, इस बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वह डाइरेक्टर आफ एजूकेशन ही माने गये हैं । यह जनतान्त्रिक सरकार के लिये उचित नहीं मालूम होता है कि इन अधर्म सरकारी संस्थाओं के लिये इस तरह से अपना अध्यक्ष बनाये । मेरा तो सरकार से यह निवेदन है कि इस क्लाज को निकाल दिया जाय । इसमें तो अब चेंजेज के स्थान पर चेन्ज कर दिया गया है । पहले तो इसमें एक तब्दीली हो सकती थी लेकिन अब तो मतलब यह है कि इसमें कोई तब्दीली की गुंजायश नहीं रह गयी है । इससे मालूम होता है कि जो स्थानीय प्रतिनिधियों की मांग होगी उस की पूर्ति नहीं हो सकती है क्योंकि उसका एप्रूवल होना जरूरी है । इन शब्दों के साथ मैं नारायण दत्त जी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय नारायण दत्त तिवारी का जो संशोधन है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । कल से इसके विषय पर विरोधी बातें और तर्क सुन रहा हूं । जो हमारे विरोधी भाई हैं या तिवारी जी हैं वह इसमें जो डाइरेक्टर का एप्रूवल दिया हुआ है और उसकी एप्रूवल के बाद यह स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन लागू होगी वे इससे क्यों भड़कते हैं? इस बात पर उनको गौर करना जरूरी है और अगर वह इस बिल को देखें तो इसका मन्शा यह है कि इन्टरमीडियेट एजूकेशन के स्तर पर क्या-क्या जरूरी चीजें हैं और क्या-क्या भूतकाल में नतीजे निकले हैं उनके संचालन से । तो उन्हीं की तहत में उसमें सुधार लाया जा रहा है । आप देखेंगे कि अगर इसको निकाल दिया जाय तो जो मौजूदा बिल है उसकी जान खत्म हो जाती है । क्योंकि अभी तक ऐसा है कि अपने प्रदेश में हर स्कूल में मैनेजमेंट कमेटी है और वह उसका संचालन करती है, लेकिन उसका एप्रूवल माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं से नहीं होता । इस प्रकार उस में एक निरंकुशता है और इसकी वजह से ही, अगर आप श्रीमन्, मुझे समय दें तो मैं बता सकता हूं कि प्रदेश के हजारों छात्रों के जीवन पर और तमाम अध्यापकों के जीवन पर कोई निश्चित स्कीम न होने के कारण असर पड़ रहा है । तमाम मैनेजमेंट में आपस में झगड़े हैं । तमाम सस्पेंड हैं । मजबूरन उनको सस्पेंड किया गया । कहीं-कहीं दो मैनेजमेंट बन गये । न जाने कितने प्रकार के झगड़े हैं जिनको समय नहीं है कि कह सकूं । तो इन सब का ध्यान रखते हुये, उनमें सुधार करने के नाते यह जरूरी है कि उनका एप्रूवल कराया जाय और इस संशोधन को न माना जाय । कहा गया कि जो स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट देगा उसमें चेंज कर देने से डाइरेक्टर के इच्छा-पूर्ति न होगी । मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि कोई नियंत्रण नहीं है इस के कारण ही स्कूलों में गड़बड़ी है । आज ६३ मैनेजमेंट्स की तो ग्रान्ट्स सस्पेंड हैं प्रदेश में, २७ में झगड़े चल रहे हैं, ४१ ऐसे मैनेजमेंट हैं कि जिनमें आपस में झगड़ा है । इसके अलावा ७८६ ऐसे अध्यापक हैं कि जिनकी जिन्दगी मैनेजमेंट के आपसी

*वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

झगड़ों के कारण घपले में है। इसके अलावा १८,३८० ऐसे छात्र हैं कि जो इन झगड़ा-ग्रस्त मैनेजमेंट में चलने वाले स्कूलों में पढ़ रहे हैं और २३७ ऐसे अध्यापक हैं उन स्कूलों के कि जिनकी दरख्वास्तें उनको रेमिडी या रिलीफ देने के लिये डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स के लेविल पर फैसले के लिये पड़ी हुई है। जब इतनी गड़बड़ी है एक नियंत्रण न होने के कारण और ऐसी बातें पैदा होती है तो मैं नहीं समझता कि यह तर्क कहां तक सही ठहरता है कि इसको न किया जाय। अगर यह नहीं किया जायगा तो इस बिल की जान ही खत्म हो जायेगी।

दूसरी बात यह है कि इसमें आगे नारायण दत्त जी का एक अमेंडमेंट है जिसमें उन्होंने डिस्पैरिटी का सवाल उठाया है। मैं मानता हूं कि आज वह ही, नहीं बल्कि इस प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति समय के अनुसार चाहता है कि समाज में पैरिटी लायी जाय, डिस्पैरिटी समाप्त की जाय। मैं समझता हूं कि उन्हीं के इस उसूल के मातहत अगर स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक जगह से नियंत्रित होगी तो इसमें बहुत कुछ गुंजायश इस बात की है कि स्थानीय बातों का ध्यान रखते हुये उसमें एक संतुलन होगा। तो इसलिये भी यह जरूरी है।

इसके साथ ही साथ यह कहा गया कि यह राष्ट्रीयकरण नहीं बल्कि सरकारीकरण है। यह इसलिये कि चूंकि डाइरेक्टर से एप्रूवल लेना होगा और वह एक सरकारी आदमी हैं। इसलिये यह कहा गया। मुझे तो बड़ा दुख होता है इस बात को सुनकर यदि हमारे माननीय सदस्य श्री उग्रसेन जो, जो काफी तेज हैं और बहुत बोलते हैं, मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट को पढ़े होते तो उन्हें मालूम हुआ होता कि डाइरेक्टर की पोजीशन को मुदालियर कमीशन ने किस स्तर पर ले जाने के लिये रेकमेंडेशन की है। मुदालियर कमीशन ने सिफारिश की है कि एजूकेशन की लाइन में डाइरेक्टर एग्जीक्यूटिव हेड होगा। यह नहीं है कि वह केवल अपने ही मस्तिष्क से शिक्षा का संचालन करेगा बल्कि एक बोर्ड भी होगा जैसा कि हमारे यहां इन्टरमीडिएट बोर्ड बना हुआ है। उस बोर्ड में आफिशल और नान-आफिशल दोनों तरह के सदस्य होंगे और उस की बनाई हुई पालिसी से, उसकी सलाह से, डाइरेक्टर शिक्षा का संचालन करेगा। तो फिर यह कहना कि उसकी नीति अप्रजातांत्रिक होगी, या वह मनमाने ढंग से काम करेगा या सरकारीकरण होगा, श्रीमन् जी, कहां तक उचित है?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—यह मुदालियार कमीशन कौन सा है?

श्री रामेश्वर प्रसाद—आप मुझसे अकेले में मिलेंगे तो मैं समझा दूंगा। श्रीमान् जी, मुझे तो बड़ा सदमा हुआ जब डाइरेक्टर के लिये कहा गया कि वह सरकाकरण हो जायगा। हमारे प्रदेश में इसी तरह का नक्शा है कि प्रजातांत्रिक ढंग पर बना हुआ बोर्ड है, जिसमें नान-आफ़िशल और आफ़िशल दोनों तरह के मेम्बर हैं, और उसकी सलाह से डाइरेक्टर महोदय को काम करना है तो फिर निरंकुशता की कहां गुंजाइश है? जनतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस तरह की प्रणाली का आदर करेगा और उसे पसन्द करेगा।

मैं अधिक समय न ले कर आपके द्वारा माननीय नारायण दत्त जी से प्रार्थना करता हूं कि चूंकि वह पैरीटी में विश्वास करते हैं इसलिए यहां भी जब स्कीम एक जगह से एप्रूव होगी तो उसमें इस बात की गुंजाइश है कि सारी शिक्षा संस्थाओं का संचालन एक तरह से हो।

उग्रसेन जी ने, जो बोलते भी बहुत हैं, कहा कि बड़ी कठिनाई हो जायगी क्योंकि आपने रख दिया कि डाइरेक्टर एप्रूव करेगा। वहां इस बात की गुंजाइश है कि उनके दफ्तर में बहुत दिनों तक पड़ा रहे चूंकि वहां काम बहुत ढेर लगा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इन्टर-मिडियेट और हायर सेकेन्डरी शिक्षा के हमारे प्रदेश में १५०० स्कूल हैं जिनमें से करीब १३० ऐसे हैं जो सरकार द्वारा संचालित हैं और यह बिल ऐक्ट होने के बाद उन पर लागू नहीं होगा। लगभग १४०० स्कूलों पर यह लागू होगा। इसलिये इस बात को मैं नहीं मानता हूं कि डाइरेक्टर के यहां देर लगेगी या वह उनमें भेदभाव करेगा। ऐसा उनको भी नहीं मानना चाहिये।

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

इन शब्दों के साथ मैं माननीय नारायणदत्त जी के प्रस्ताव का, श्रीमान् जी, विरोध करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।

*शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन मेरे मित्र तिवारी जी ने उपस्थित किया है, वह स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं। इस समय तिवारी जी उपस्थित नहीं हैं वर्ना मैं प्रयत्न करता उनको यह बताने का कि यह संशोधन असंगत भी है। मैं यह जानता हूं कि वह बहुत देखभाल कर और विचार कर चीजों को रखते हैं, किन्तु यह संशोधन जो उन्होंने रखा है वह या तो किसी भ्रम में आ गया या उसके पीछे उनकी कोई आशंका है।

इसमें यह चाहा गया है कि धारा १६–ए की उपधारा (४) को निकाल दिया जाय। लेकिन इस उपधारा (४) के दो खंड हैं। एक तो यह है कि एक स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन होगी जिसको डाइरेक्टर एप्रूवल देगा। दूसरा हिस्सा उसका यह है कि उस स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई तब्दीली की जायगी तो वह भी बिना डाइरेक्टर के एप्रूवल के न हो सकेगी। धारा १६–ए, १६–बी और १६–सी ये तीनों एक साथ जाती हैं। १६–ए में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि एक स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन हर एक इंस्टीट्यूशन के लिये रहे और माननीय तिवारी जी इस बात को मानते हैं कि धारा १६–बी और १६–सी में इस बात की चर्चा है कि यह स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन कैसे बनेगी। इस संशोधन के विषय में बहुत सी बातें कही गयीं, जनतन्त्र का भी नाम लिया गया। यह भी कहा गया कि एक व्यक्ति को बहुत से अधिकार दिये जा रहे हैं। यह भी आशंका प्रदर्शित की गयी कि इसमें विभाग बहुत अधिकार ले रहा है। जहां तक आशंकाओं का संबंध है जिनको आशंकायें रखनी ही हैं और जो इस तरफ के काम को चाहे जितना अच्छा वह हो, उसको आशंका की नजर से देखते ही हैं तो उनकी आशंका को तो मैं दूर कर नहीं सकता। लेकिन जैसे माननीय तिवारी जी हैं, उनकी आशंका, मैं समझता हूं, हटाई जा सकती है। तिवारी जी यह देखें कि धारा १६–बी और १६–सी में यह है कि हर इंस्टीट्यूशन एक स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर के पास भेजेगा और उसकी अवधि निश्चित है कि ६ महीने के अन्दर हो। ६ महीने का समय इंस्टीट्यूशन को मिला और अगर ६ महीने के पश्चात् भी वह अपनी स्कीम नहीं भेजता है तो डाइरेक्टर उसको नोटिस देगा इस बात की कि आपने सभी तक स्कीम नहीं भेजी हैं और जब वह ड्राफ्ट स्कीम का डाइरेक्टर के पास भेजेगा तो या तो डाइरेक्टर उसको स्वीकार कर लेगा और, श्रीमन्, एक जो आशंका प्रकट की गई है कि डाइरेक्टर के पास आवेगा, तो वह पड़ा रहेगा, उसके लिये भी इसी विधेयक में पाबन्दी लगा दी गयी है कि अगर कोई स्कीम डाइरेक्टर के पास आवे तो उक्त अवधि के अन्दर या तो डाइरेक्टर उसको स्वीकार कर ले या फिर उसमें कोई परिवर्तन करना चाहता है या कोई संशोधन करना चाहता है तो उसकी वह सूचना भेजेगा। अगर इन दोनों कामों में से कोई काम वह नहीं करता है तो मान लिया जायगा कि वह स्कीम स्वीकार हो गयी। इसलिये डाइरेक्टर को खुली छूट नहीं है कि स्कीम आने के बाद चाहे जितने दिन तक उसे अपने कार्यालय में पड़ा रहने दे। अगर डाइरेक्टर यह चाहता है कि इंस्टीट्यूशन ने जो स्कीम भेजी है उसमें किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन या संशोधन की आवश्यकता है, तो उसको एक दम अधिकार नहीं है कि जो परिवर्तन करना चाहे वह स्वयं कर ले। उसके लिये मजबूरी है कि वह इंस्टीट्यूशन को लिखे कि मेरी राय में इस स्कीम में यह सुधार हो जाना चाहिये और वह उसका जवाब ले और जवाब ले कर तब उस पर अपना निर्णय करे। जब कभी भी उसको किसी तब्दीली पर अपना निर्णय देना होगा तो वह इंस्टीट्यूशन से पूछेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, एक बात और है। इसमें यह भी शब्द रखा गया है कि यह जो स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन होगी उसका ऐप्रूवल सब्जेक्ट ट रेगुलेशन्स होगा और रेगुलेशन्स जो हैं, यह ठीक है कि इस विधेयक के सुवार कुछ समय के लिये शासन द्वारा बनेंगे, लेकिन रेगुलेशन्स बनाये जाते हैं बोर्ड के द्वारा और बोर्ड स्टेट्युटरी बाड़ी है जिसमें कमेटी भी होती है। कमेटी के द्वारा ही रेगुलेशन्स बनाने का काम होगा और उन रेगुलेशन्स के अन्तर्गत डाइरेक्टर जो है वह स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन का एप्रूवल देगा। यह सब कुछ पाबन्दी होते हुए, यह सब कुछ सन्तुलन के होते हुये भी मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी रूप में कहीं भी प्रजातंत्र के अधिकारों के अपहरण की आशंका की कोई गुंजाइश है। यह बात दूसरी है जो मेरे माननीय मित्र करना चाहते हों कि नहीं साहब, जो मौजूदा काम संस्थाओं का चल रहा है वह सन्तोष-प्रद है और कहीं भी किसी प्रकार के परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो वह दूसरी बात है। लेकिन अगर संस्थाओं को ठीक करने की जरूरत है तो इस स्कीम आफ ऐड-मिनिस्ट्रेशन का होना जरूरी है।

अब जरा माननीय नारायणदत्त जो इस बात पर विचार करें कि १६-बी और १६-सी में तो कोई संशोधन है नहीं। इस पक्ष में वे हैं कि स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन को डाइरेक्टर ऐप्रूव करे लेकिन वे उपधारा (४) को निकाल देना चाहते हैं जिसका नतीजा यह होगा कि स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन कोई इंस्टीट्यूशन भेजे और डाइरेक्टर उसको ऐप्रूव करे और यह सब कार्यवाही कर लेने के बाद उसको फाइनल कर दिया जायगा। अगर उसे ही फाइनल करना है तब तो फिर इंस्टीट्यूशन को अख्तियार है कि वह जो भी परिवर्तन या संशोधन करना चाहे करे। आखिर ये सब कार्यवाही करने का नतीजा क्या होगा, उसका लाभ क्या होगा? इस धारा में पाबन्दी की गई है कि स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐप्रूव हो जाय तो उसमें कोई भी संशोधन या परिवर्तन डाइरेक्टर के ऐप्रूवल के बिना नहीं होना चाहिये। वर्ना दो साल इसी में लग जायेंगे। अगर एक इंस्टीट्यूशन ने स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन बना कर भेजा जिसको मंजूर कर लिया गया और फिर उसमें वह परिवर्तन करना चाहे तो वह जहां कहीं चाहे, जिस तरह से चाहे कर ले, मैं समझता हूं कि यह मंशा तिवारी जी का हर्गिज नहीं होगा। इसलिये मैं अधिक चीजों में नहीं जाना चाहता। क्योंकि शिक्षकों के वेतन के स्केल के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाया गया है, और चीजों का भी प्रश्न उठाया गया है। इस धारा का शिक्षकों के वेतन स्केल से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका प्रविजन आगे की धाराओं में है, और मैं न समय ले रहा हूं इन चीजों में। इसलिये मेरा यह निवेदन है विशेषकर तिवारी जी से कि इस स्पष्टीकरण के बाद वे स्वयं इस बात को महसूस करेंगे कि अपने इस संशोधन को वापस ले लें। उनका जो यह विचार था कि साहब डायरेक्टर न हों, डायरेक्टर के बजाय कोई कमेटी हो, वह बिलकुल एक अलग सी बात है। सी०, डी० और एफ० में डायरेक्टर रखा हुआ है जिसमें कोई संशोधन नहीं है और जब वहां कोई ऐसा सशोधन नहीं है, इसलिये यहां भी इसका कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। मैं समझता हूं कि वे स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि डाइरेक्टर के रखने में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। इसलिये उसके विषय में अब मैं कोई तर्क नहीं देना चाहता।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमान् अधिष्ठाता जी, दो दिन के वाक आउट के बाद मुझे आज अपनी बात कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस इंटरमीडियेट बिल के सम्बन्ध में यद्यपि मुझे अपने विचार या संशोधन देने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका किन्हीं कारणवश, लेकिन सौभाग्य से मुझे नारायणदत्त जी तिवारी का जो संशोधन है जो मेरे मन्तव्य से मिलता-जुलता है और अभी उस संशोधन के सम्बन्ध में श्री कैलाश प्रकाश जी ने जो विचार व्यक्त किये मुझे उनके सुनने के बाद थोड़ा आश्चर्य सा हुआ। माननीय सदस्यों ने कानूनी चेंज के बारे में जो विचार व्यक्त किये उन पर मैं ध्यान देना नहीं चाहता। उन्होंने यह दिखाना चाहा कि १६ बी० और सी० स्टैंड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

करती हैं । मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि १६ बी० डिलीट होने के बाद १६ सी० और डी० निरर्थक हो जाती हैं । मूल चीज सिद्धान्त की तो यह है कि क्या इन प्राइवेट संस्थाओं के बारे में जिनके लिये मुख्यतः यह कानून बनाया जा रहा है इससे हम उनको कोई सुविधा प्रदान करेंगे या उनको कष्ट देंगे । ये प्राइवेट संस्थायें जब से यह ऐक्ट बना उससे पहले से बनी हुई हैं और आज तक कार्य करती हुई दिखाई पड़ती हैं और भविष्य में भी करती जायेंगी । किन्तु सन् २१ का ऐक्ट ५८ में संशोधित हो रहा है । इस ३७ साल की अवधि में यदि हमने मैनेजिंग कमेटीज में कोई नुक्स नहीं पाया तो आज सरकार की ओर से गंभीर आरोप लगाया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है मानो स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन के बगैर काम चल ही नहीं सकता ।

मैं सरकार से यह प्रार्थना करूं कि ये प्राइवेट संस्थाएं योग्य पुरुषों द्वारा संस्थापित हुई हैं । उन्होंने शिक्षा संसार में योग्य विद्यार्थी और पुरुषों को उत्पन्न किया है । लेकिन आज इन सारी मैनेजिंग कमेटी को हम असफल मान कर सारा अंकुश डायरेक्टर के हाथ में देना चाहते हैं, यह आश्चर्य-सा मालूम होता है ।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)---आपका सुझाव क्या है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---थोड़ा सा सब्र करें, मैं उसी पर आ रहा हूं । मेरा सुझाव है कि मैं किसी प्रकार से प्राइवेट संस्थाओं की आटोनामी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहता, मैं उनको अक्षुण्ण रखना चाहता हूं ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---प्वाइंट आफ आर्डर, सर । अवस्थी जी ने जो, इस वक्त अपना भाषण शुरू किया तो जो मूलभूत सिद्धान्त हैं इस बिल के जिनको स्वीकार करके इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था उसी को आज फिर से उन्होंने उठाया है । यह कहते हैं कि किसी प्राइवेट संस्था के किसी भी मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप सरकार करे ही नहीं । तो यह सारा जो बिल है, उसके मूलभूत सिद्धान्त को ही चुनौती देते हैं । तो क्या यह मुमकिन है कि इस वक्त इस सवाल को उठायें ?

श्री अधिष्ठाता---माननीय अवस्थी जी को यह प्रश्न इस समय नहीं उठाना चाहिये । मगर मैं समझता हूं कि वह अभी भूमिका बना रहे थे और अब वह सुझाव दे रहे हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं । हमारे त्रिपाठी जी शायद मेरी बातों को कम सुनना पसन्द करते हैं या अगर सुनना भी चाहते हैं तो सुनकर घबड़ा उठते हैं । मैं श्रीमान् त्रिपाठी जी से कहना चाहूंगा कि यह बिल जब उपस्थित हुआ मैं अनुपस्थित था और अमेंडमेंट देने में भी अनुपस्थित रहा । तो क्या मेरे इन चन्द क्षणों को भी वह छीन लेना चाहते हैं जिसमें कि मैं अपने हृदय की बात को व्यक्त न कर सकूं ? यह जो धारा १६-ए की उपधारा (४) है इसके द्वारा आप ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश की है और वह परिवर्तन इन सारी प्राइवेट संस्थाओं का स्वरूप ही बदल देने वाला है । उसके द्वारा जो बड़ा भारी परिवर्तन होने वाला है उसको बगैर स्पष्ट किये हुए मैं अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर सकूंगा । उन बातों को जाने दीजिये कि आप सामने न आ कर किसी सदस्य द्वारा कुछ इधर-उधर की बातें कहलाने की कोशिश करें । अभी हमारे भाई रामेश्वर जी ने खड़े हो करके एक लम्बा सा व्याख्यान दिया । मुझे उनकी बातें सुनने पर एक अंग्रेजी की कहावत याद आ गयी कि जैक आफ आल बट मास्टर आफ नन (Jack of all but master of none) । पता नहीं कहां से उन्होंने इस शिक्षा के सम्बन्ध में भी इधर-उधर से कुछ मुदालियर कमेटी की पंक्तियां पढ़ दीं .....

श्री रामेश्वर प्रसाद---आन ए प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैंने जो रेफरेंस दिया वह सन् १९५२-५३ में एक कमेटी मुकर्रर हुई थी

इंटरमीडिएट ऐजूकेशन की इन्क्वायरी के लिये जिसके चेयरमैन मुदालियर साहब थे, उनकी रिपोर्ट से मैंने रेफरेंस दिया है और यह किताब मेरे पास मौजूद है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, माननीय रामेश्वर प्रसाद जी की बात को पूरा-पूरा समझते हुए ही मैंने कहा था किन्तु मैं उन्हें थोड़ा संकेत कर देना चाहता हूं कि एजूकेशन के सम्बन्ध में बातें थोड़ा गम्भीर हैं और उन्हें इस प्रकार से लाइटली ले करके और खड़े होकरके बाई दि वे कोई चीज न कहा करें । अन्य सदस्यों की रायों की मैं वकत करता हूं । अग्रवाल जी की बातों को मैं मानता हूं, उन्होंने विषय को देखा है । अन्य लोग यहां बैठे हुए हैं । उनकी बातें सुन लेने के बाद आपको चाहिये कि अपने विचार बनायें ।

मैं तो अभी सौभाग्य से डिप्टी मिनिस्टर साहब की बात को सुन चुका और उनको सुनने के बाद ही मुझे यह कहने का मौका मिला कि यह कानूनी आड़ न लें । अगर इस उपधारा (४) को हम डिलीट कर देते हैं तो इसके बाद धारा १६ और १६ सी० की आवश्यकता नहीं रह जाती है । स्वतः उनको चाहिये कि उनके डिलीशन का प्रस्ताव वह पेश कर दें । इस सी० और डी० में भी जो अधिकार आपने रखें हैं वे भी बड़े ड्रास्टिक अधिकार हैं । वह संस्थायें कि जो ३०, ३० साल पुरानी हैं आज उनको अपना खाता खोलना पड़ेगा, आज उनको एक स्कीम बना करके इसलिये पेश करना पड़ेगी उस पर उनकी मुहर लगना आवश्यक है । मैं उन थोड़ी सी संस्थाओं का हवाला नहीं देना चाहता जिनके सम्बन्ध में कुछ अच्छी रिपोर्ट सरकार के पास न हो । लेकिन इसे मानने को वह तैयार नहीं हैं कि आज सैकड़ों संस्थायें ऐसी हैं जिनका प्रबन्ध बहुत सुन्दर है मैग्निीफिशेंट है, हर मामले में सुन्दर है, उनसे भी अब एक स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन तलब करना चाहते हैं और उस पर तुरी यह उसमें डिलीशन सजेस्ट न सभी करने को तैयार हैं । मैं चैलेंज देता हूं कि सरकार ने क्या कोई आइडियल स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन बना के किसी शिड्यूल में दिखाया है जिससे कि जरा हम भी समझते कि उनके दिमाग में क्या है । हमारे काम में नुक्ताचीनी निकाल लेना यह तो हर एक वकील कर लेता है । सुन्दर से सुन्दर डाकूमेंट बना हुआ हो किसी अच्छे वकील को दीजिये वह भी उसमें लाल स्याही के निशान लगा ही देगा .....।

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, मैं समझ नहीं पाया कि हमारे काम में नुक्ताचीनी निकालने से क्या मतलब है माननीय सदस्य का ।

श्री अधिष्ठाता—उनका मतलब स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटी के काम में नुक्ताचीनी करने से है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, आपकी बुद्धि का सहारा लेकर यदि डिप्टी मिनिस्टर साहब चलेंगे तो मुझे शंका है कि वे आगे कितने काम सम्हाल पायेंगे । आपने मुझे बड़ी सहायता दी है। मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि पुरानी संस्थाओं के लिये इस तरह की ड्रास्टिक चीजें रखना उचित नहीं है । अगर नई संस्थाओं के लिये होता तब तो मुझे एतराज न होता क्योंकि नई संस्थायें अनेकानेक उत्पन्न हो रही हैं जिनको संचालन का तजुर्बा नहीं है, उनके लिये यह कथन किसी माने में सही हो सकता था । लेकिन आज सरकार सभी के ऊपर अपना हाथ फैला रही है और यह दिखाना चाहती है कि स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन के बगैर ही सारा काम बिगड़ा हुआ

मैं आपका ध्यान उद्देश्य और कारण की तरफ ले जाता हूं । उसमें लिखा है "..... विद्यार्थियों की अभ्याप्ति के स्तर तथा उनके भाव एवं अनुशासन में बहुत पतन हुआ है ।" मरज वहां दिखाई पड़ा कि विद्यार्थियों की अभ्याप्ति के स्तर तथा उनके भाव एवं अनुशासन में बहुत पतन हुआ है और इलाज यह है कि स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन बनायी जाय । विद्यार्थियों के सम्बन्ध में क्या कोई बात स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन में होगी, स्टूडेंट वेलफेयर की बात रखने के लिये किसी दशा में वह संस्था को बाध्य कर सकेंगे ? कालेजेज में फैकल्टीज कायम हैं,

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

स्टूडेंट वेलफेयर की, और दिन प्रति दिन बढ़ती जाती हैं। इसलिये मैनेजमेंट में सरकार का क्या रुख होगा इसका कहीं कोई इशारा नहीं। सिर्फ एक इशारा है जब कभी आप लिख कर देंगे उसमें कांट-छांट कर सकेंगे, विद प्लेजर डिग्निटी हम उसको बदलते रहेंगे। यह सरकार के द्वारा ही हुआ करेगा जो अपने को महाप्रभु मानती है। इसमें कुछ तरीके दिये गये हैं। फर्स्ट ऐप्रूवल है उसके बाद दूसरा नियम यों है—उपधारा (४) जो है इसी के साथ धारा १६ (बी) और १६ (सी) है। अगर मैं इन उपधाराओं का उद्धरण दूं तो अनावश्यक न होगा। उपधारा ४ में इसलिये अनावश्यक समझता हूं कि इसके बने रहने पर १६ (बी) और (सी) विकराल रूप से आ जाती हैं। ये हमको बताती हैं कि ६ महीने के अन्दर वे अगर हमारे सामने स्कीम नहीं पेश करते हैं तो रिमाइन्डर दिलायेंगे और उसके बाद अगर चाहेंगे तो रिकग्नीशन विदड्रा कर लेंगे। यह संस्था जो बहुत पुरानी हो उसके लिये यह भय देना कि अगर स्कीम नहीं देती और हमारे मन की नहीं देती तो तुम्हारा रिकग्नीशन विदड्रा कर लेंगे, ऐसा हमने आज तक नहीं सुना।

अट्रोक्रेट के हाथ में जो शक्ति आ जाया करती है वह किस वक्त क्या करता है उसका कोई बंधन नहीं रहता। हम सजग हैं अगर हमें यह दिखाई पड़े कि हमारे अधिकारों पर किसी प्रकार से आघात होने वाला है तो हम सचेत क्यों न हों? ये संस्थायें अपने बल पर जीवित हैं। अनेकों संस्थायें ऐसी हैं, मैं एक भुक्तभोगी हूं, जिसने बरसों अपने पैरों पर खड़े होकर, भीख मांग कर संस्था चलायी, विद्यार्थियों को पढ़ाया। आज तक कभी वे संस्थायें किसी डायरेक्टर से इस प्रकार की राय नहीं लेने गयीं कि किस प्रकार से हम शासन में संगठन करके इस संस्था को चलायें। सरकार ग्रान्ट देती है जब संस्था बन कर अपने पैर पर खड़ी हो जाती है। क्या सरकार ने किसी संस्था को उसकी उत्पत्ति के समय भी कोई सहायता दी है? उसके लिये वह एक बड़ी क्रिटिकल अवस्था होती है जब उसको अपने पैर पर खड़े हो कर अपने ही बलबूते पर चलना पड़ता है। मैं मानता हूं कि सरकार का उद्देश्य अच्छा होगा लेकिन 'कमिंग ईवेन्ट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर' (Coming events cast their shadow before) हर चीज का रूप पहले ही से कुछ पता चल जाता है।

हम मन्त्री जी के कार्यकलाप को भूल नहीं सकते। अध्यापकों के बारे में मैं अधिक नहीं कहता हूं, कहीं वह यह न समझने लगें कि मैं उनका रिप्रेजेन्टेशन यहां करता हूं, न मैं कभी कोई पैसा उठकर उनके लिये मांगता हूं। मैं तो केवल विद्यार्थियों की बात कहता हूं। इस उपधारा (४) के हटने से ही विद्यार्थियों का लाभ है जिनका संचालन यह संस्थायें कर रही हैं। हम कभी किसी को सरकार या उसके अफसरों को इन संस्थाओं के ऊपर नहीं लादना चाहते क्योंकि उनका रुख हमारे पक्ष में कभी नहीं रहा है। इसमें ६ मास के बाद एक अवधि देने की बात है और उसमें यह भी है कि माडिफिकेशन के बाद एक आल्टरनेटिव स्कीम भी वे दे सकते हैं और रिप्रेजेन्टेशन का मौका उनको होगा। यह सब होने के बाद भी अन्तिम रूप में क्या शकल होगी वह यह कि—

"The Director shall consider any representation made in accordance with the provision of sub -section (1) and may approve the Scheme of Administration in its original form or subject to the alteration and a modification suggested under the said sub-section or with any other changes as may appear to him to be just and proper."

इस तरह से अन्त में एबसोलूट अथारिटी सरकार के हाथ में है। कोई भी आल्टरनेटिव एपीलेट एथारिटी नहीं है यानी जज भी वही, मैजिस्ट्रेट भी वही और पुलिस भी वही। फिर किसके पास संस्था रोने जाय, वह न्याय कराने किसके पास जाय?

मैं अपने मित्र नारायणदत्त जी तिवारी को मुबारकबाद देता हूं क्योंकि केवल इस को डिलीट करने की ही बात नहीं कही है बल्कि यह भी संकेत किया है और इशारा किया है कि और भी इसका रास्ता है कि एक एपीलेट अथारिटी हो। इस तरह से आटोनामी भी आगे बढ़ सकती

है और न्याय हो सकता है। इस तरह से जैसे रखा जा रहा है एक कनफ्यूजन ही पैदा होगा। सरकार को देखना चाहिये कि विरोधी दल के लोग कोई ऐसी बात कहते हैं जो मानने योग्य है, जो समझदारी की है तो उसे तो मानना चाहिये। यह नहीं है कि इधर से सब बातें विरोध के लिये ही कही जाती हैं। अच्छा हो कि बजाय डायरेक्टर के आटोनामस बाडी को दें तो विद्यार्थियों का और संस्थाओं का भला होगा। आप केवल यही न खयाल करें कि आप का अनुशासन उन के ऊपर चल सके। आप इस दफा ४ को रखकर अपना शिकंजा कड़ा न करें। गवर्नमेंट अपनी ताकत को वहां भी बनाये रखना चाहती है और हर जगह अपना हस्तक्षेप चाहती है। कहा हम से यह जाता है कि आप विश्वास रखिये हम न्याय ही करेंगे, मन्त्री जी अन्याय तो जानते ही नहीं, आज हम कैसे करें? मैं शिरोधार्य करता हूं आपके प्रेम को। मैं आपकी हर एक भावना को मानता हूं, लेकिन क्या मैं प्रश्न कर सकता हूं कि ये डायरेक्टर्स किस समय के पले हुए हैं? ये डिप्टी डायरेक्टर्स, इंसपेक्टर्स किस संस्कृति और भावना में आ करके आज हमारे बीच में लदे हुये हैं? क्या ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्टील फ्रेम को भूल गये हैं? क्या आज हम में बल है कि हम डायरेक्टर के बंगले में जा करके स्वतंत्र रूप से कोई अपनी भावना वहां रख सकें? आज भी हम उसी तरह से बेबस हैं जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में थे। तब आप कैसे कह सकते हैं कि इनके हाथ में पावर देने से शांति रहेगी? मैं मानता हूं कि ये सुधार आपकी निगाह से सही होंगे, लेकिन ऐसे सुधार तो पहले आवें जो ज्यादा नेसेसरी हों, जिनके लिये आज हम चिल्ला रहे हैं, हम तड़प रहे हैं। हम मैनेजिंग कमेटी की स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये नहीं तड़प रहे हैं। हम तड़प रहे हैं इन संस्थाओं के पनपने और बढ़ने के लिये जिनमें विद्यार्थियों को स्थान नहीं मिलता, एडमीशन नहीं मिल रहा है, कमरे में स्थान बैठने के लिये नहीं मिल रहा है और मैनेजमेंट कमेटी कहती है कि हमारे पास सिवाय सरकार की ग्रांट के और कोई पैसा नहीं है। आज अध्यापक और मैनेजमेंट कमेटी के बीच का जो झगड़ा है वह इतना गम्भीर नहीं है कि हम यह कह सकें कि मैनेजमेंट कमेटी हमारे हाथ में आये। यह तो वही मिसाल चरितार्थ हो रही है कि दो की लड़ाई में तीसरी बिल्ली ने फायदा उठाया। यह आप चरितार्थ न होने दीजिये और वही काम कीजिये जिससे शान्ति आवे।

मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मैं माननीय नारायणदत्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि यह क्लाज डिलीट कर दिया जाय।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)--अधिष्ठाता महोदय, इस सम्मानित सदन के सदस्य ने खड़े होकर इस सदन में कहा कि डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर और अधिकारी वर्ग उस समय के हैं कि जब ब्रिटिश राज्य था और हम उनके सामने उनके कमरे में जा नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। यह सुन कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। ऐसी बात इस सदन के एक सदस्य कहें। वास्तविक बात यह है कि श्री मोतीलाल जी अवस्थी को मैं बताऊं--वह यह है कि स्लेव मेंटलिटी उनके दिमाग में घुसी हुई है, जिसकी वजह से वे मजबूर हो जाते हैं और प्रत्येक अफसर को यह समझते हैं कि यह लाट साहब है। मैंने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। यद्यपि यह सत्य है कि इस समय हम यह नहीं कह सकते कि प्रत्येक राज्य सेवक या अधिकारी का दृष्टिकोण बिलकुल बदल गया है, तो भी निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि अब हमारा अधिकारी वर्ग वह नहीं है जोकि आज से ११ वर्ष पूर्व था, और यह केवल हमारी निर्बलता है कि हम इस भावना से जाते हैं कि अपनी हिम्मतें हार कर और खुद दासता की भावनाओं से अभिभूत वहां जाते हैं और समझते हैं कि वह अफसर बेईमान है।

दूसरी बात मैं माननीय नारायणदत्त जी के सम्बन्ध में कहूंगा कि वह एक योग्य व्यक्ति हैं जो परिश्रम और स्वाध्याय करके आते हैं। उन्होंने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा है वह यह है कि १६-ए की उपधारा (४) को निरस्त किया जाय, निकाल दिया जाय। वह यह नहीं कहते कि १६-ए की उपधारा (५) को निकाल दिया जाय, १६-बी किसी प्रकार से संशोधित की जाय या १६-सी भी निकाल दी जाय। उनकी मांग यह है कि १६-ए

[श्री मदन मोहन]

की उपधारा ४ को निकाल दिया जाय और इधर धाराएं जैसी हैं वैसी रहें। श्रीमन्, धारा १६–ए उपधारा (५) में उल्लेख आया है १६–ए उपधारा (१) से (४) तक का और १६–बी और १६–सी का। ए का खंड ५ इस प्रकार से है कि :––

"Every recognized institution shall be managed in accordance with the Scheme of Administration framed under, and in accordance with sub-section (1) to sub-section (4) and sections 16-B and 16-C."

मेरा खयाल यह है कि अगर माननीय नारायणदत्त जी सारे विधेयक को पढ़े होते तो उनका प्रस्ताव यह होता कि धारा १६-ए की उपधारा (५) भी संशोधित की जाय और उपधारा (४) के स्थान में १६-ए का सब–क्लाज (३) रखा जाय। अगर आप १६-ए की उपधारा (५) को स्वीकार करते हैं और चाहते हैं कि वह रह जाय तो जैसा कि माननीय डिप्टी मिनिस्टर ने कहा, आपका प्रस्ताव असंगत हो जाता है, विरोधात्मक हो जाता है।

अब १६-बी को श्रीमन्, देखा जाय। वह इस तरह से है कि :––

"In the case of an institution already recognized at the date of the commencement of Intermediate Education Act, 1957 a draft of the Scheme of Administration shall be prepared and submitted to the Director for his approval in accordance with section 16-C."

मान लिया जाय कि धारा १६-ए की उपधारा (४) निकाल भी दी जाय और यह उपधारा (५) और धारा १६-बी रह जाय तो क्या विरोध पैदा नहीं होगा ? क्या आपके लिये यह आवश्यक नहीं हो जायगा बाद में कहने के लिये कि १६-बी भी निकाला जाय। जब तक १६-बी, १६-ए (५) और १६-सी विधेयक में, विद्यमान हैं तब तक नारायणदत्त जी का संशोधन निरर्थक और विरोधात्मक हैं और अगर कोई और कारण से नहीं तो केवल इस कारण से अस्वीकृत होना चाहिये कि उनका प्रस्तुत संशोधन अपूर्ण और विरोधात्मक है।

श्रीमन्, १६-सी देखिये :––

"Subject to the regulations governing the principles for according approval to the Scheme of Administration, the Director shall within such period of time as prescribed, either approve the draft Scheme of Administration submitted under section 16-B, or suggest any alteration or modification therein."

१६-सी आपको स्वीकार है, उसका निरसन आप नहीं मांगते हैं। अगर यह रहता है तो क्या १६-ए क्लाज (४) के निकालने की मांग करना विरोधात्मक और निरर्थक नहीं हो जाता है ? मेरा निवेदन यह है कि जिस रूप में सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया है बिल्कुल विरोधात्मक और निरर्थक है और कदाचित् हमारे मित्र नारायणदत्त जी भी इसको अनुभव करेंगे।

एक बात मैं और निवेदन कर दूं। विरोधी पक्ष का यह आग्रह है कि डाइरेक्टर के ऊपर विश्वास न किया जाय, न कीजिये.....

श्री मोतीलाल अवस्थी––अधिष्ठाता महोदय, बार-बार रिपीटीशन हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता––मैं माननीय अवस्थी जी को विश्वास दिलाता हूं कि जिस समय माननीय सदस्य रिपीटीशन करेंगे मैं उनको रोक दूंगा। आप विषयान्तर करते हैं उसको तो नहीं कहते हैं और दूसरा नहीं कर रहा है तब भी आप बार-बार कहते हैं रिपीटीशन है।

श्री मदन मोहन––श्रीमन्, बात यह है कि माननीय अवस्थी जी स्कूल के मास्टर हैं, क्लास में खड़े होते हैं तो विषयांतर करते हैं या नहीं, इर्रेलेवेन्ट बात करते हैं या नहीं, इसको कौन बतलाये। लेकिन हम वकील जब बात करते हैं तो पग-पग पर हमारा जज हमें रोकता

है। लेकिन आपके यहां स्कूल में तो पूर्ण राज्य आपके ही हाथ में है। वही आदत आप इस सदन में लेकर आये हैं। न वह सुनना चाहते हैं और न संगत बात ही करना चाहते हैं और यह टोकने पर कि असंगत कह रहे हैं, आप रुष्ट हो जाते हैं।

मैं अपने मित्र से निवेदन करूंगा कि वे विश्वास रखें कि जिन बातों का उपधारा १६-ए (४) से सम्बन्ध है उसी के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। डाइरेक्टर के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उसको अधिकार न दिये जायं। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि हमें अपने अधिकारियों पर विश्वास करना चाहिये, लेकिन अन्धविश्वास नहीं होना चाहिये, यह मैं मानता हूं। हमें उनको इतना सबल नहीं बनाना चाहिये कि वह राज्य करने लग जायं और राज्य सत्ता की उपेक्षा करें।

अब प्रश्न केवल यह है कि क्या हमने इस विधेयक में डाइरेक्टर के ऊपर इतने प्रतिबन्ध लगा दिये हैं या नहीं कि हम यह आशा करें कि उनका एप्रूवल या डिसएप्रूवल या उनका निर्णय ऐसा हो जो इस विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति करे। जहां तक विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति का सम्बन्ध है, श्रीमन्, उद्देश्यों में देखेंगे कि शिक्षा की उन्नति, संस्थाओं का सम्यक् रूप से संचालन, संस्थाओं का ऐडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से परिष्कृत हो जिसका सुन्दर प्रभाव छात्र वर्ग पर पड़े, इन उद्देश्यों से यह विधेयक बना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गयी है। उसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से १६-सी में कहा गया है कि डाइरेक्टर मनमाने रूप से अपना निर्णय नहीं देगा। उसका निर्णय आधारित होगा रेगुलेशंस पर। और रेगुलेशंस कैसे बनेंगे? उसकी व्यवस्था खंड ८ और ९ में की गयी है। रेगुलेशंस बनाये जायंगे और सदन की मेज पर रखे जायंगे। १४ दिन तक सदन को यह अधिकार होगा कि उन रेगुलेशंस में संशोधन करे। माननीय अवस्थी जी कहते हैं कि मेरा यह चैलेंज है कि गवर्नमेंट ने आज तक कोई सुन्दर व्यवस्था सदन के सामने नहीं रखी। मान लीजिये कि असुन्दर रेगुलेशंस बना कर राज सत्ता मेज पर रखती है। आपको अधिकार है कि उसको सुन्दर बनाएं। उसमें सुन्दर प्रस्ताव दें और अपनी ओर से सौंदर्य प्रदान करें। हम उस सौंदर्य को स्वीकार करेंगे। १६–सी कहता है यह रेगुलेशंस ऐसे होंगे जिसकी पाबन्दी हमारे डाइरेक्टर पर होगी। उनका पालन करना उनका कर्त्तव्य होगा। वह उनको ध्यान में रख कर स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन का परीक्षण करें।

एक बात और देखिये। इस विधेयक में डाइरेक्टर को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह अपने दफ्तर में बैठ कर मिसिल को खोल कर और आंखें बन्द करके मनमाना आदेश लिख दे, मिसिल को बन्द कर दे और क्लर्क को हुकुम दे कि यह लिख भेजो कि तुम्हारी स्कीम अस्वीकृत है। यह नहीं है।

इसमें यह है:—"He will state reasons and communicate those reasons to the management". इसमें यह व्यवस्था की गयी है। तो हम उनके ऊपर रेगुलेशन्स लगाते हैं और उनसे मांग करते हैं कि अगर तुम किसी भी स्कीम के सम्बन्ध में यह राय कायम करते हो कि यह अनुचित है तो पूरे कारणों के सहित उसके सम्बन्ध में आलोचना करो। यह यहीं पर समाप्त नहीं होता है बल्कि उन कारणों की एक प्रतिलिपि मैनेजमेंट के पास जायगी और मैनेजमेंट को अवसर मिलेगा कि वह रिप्रेजेन्टेशन करे और रिप्रेजेन्टेशन करने के बाद आपस में विचार-विमर्श के अनन्तर फिर जो कुछ निश्चित होगा, वह होगा। इससे ज्यादा और आप क्या चाहते हैं? एक अधिकारी पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये और इससे अधिक व्यवस्था क्या हो सकती है कि हम उससे कहते हैं कि तुम कारण बताओ और केवल कारण तक ही नहीं बल्कि उस संस्था को भी बताओ, जिस संस्था के सम्बन्ध में तुमने यह राय कायम की है? फिर उस संस्था को अधिकार है कि वह आकर डाइरेक्टर को समझाये कि इसकी जो स्कीम तैयार की है वह ठीक है।

लोकतन्त्र में सब से बड़ी चीज यह होती है कि वहां अधिनायकत्व न हो और जो कुछ भी अधिकारी करे वह सकारण करे, उसका कारण दे और जनमत के समक्ष उन कारणों

[श्री मदन मोहन]

को रखे कि इन कारणों के आधार पर हम यह व्यवस्था दे रहे हैं। अब आप और क्या चाहते हैं? आपको अधिकार है कि इस सदन में और सदन के बाहर अपने गांव में और शहर में जो कारण डाइरेक्टर ने दिये हैं उनके सम्बन्ध में जनता में और सदन में बहस करें। आपको यह सब अधिकार होगा। इससे अधिक आप और क्या प्रतिबन्ध चाहते हैं जिससे हमको यह विश्वास हो जाय कि हमारे डाइरेक्टर जो करेंगे वह इस प्रकार से करेंगे जो हमारे इस विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हो? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे इस संशोधन के सम्बन्ध में जो मैंने प्रस्तावना की थी वह मैं ठीक प्रकार से समझा नहीं पाया। कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे संशोधन का यह अर्थ लगाया कि मेरा विचार अध्यापकों के अधिकारों को छीन लेने का है। कुछ मित्रों ने यह अर्थ लगाया कि मेरा विचार प्रबन्ध समिति के हाथ मजबूत करने का है और उसको शक्तिशाली बनाने का है। कुछ साथियों ने यह अर्थ लगाया कि संचालक महोदय या जो शिक्षा विभाग है, उस विभाग के सारे कर्मचारियों पर हमारा अविश्वास है और रत्ती भर विश्वास नहीं है। यह साम्राज्यवाद का प्रश्न है, ऐसा भी कुछ मित्रों ने इस संशोधन का अर्थ लगाया। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि उसका जो अर्थ है और इस संशोधन से जो स्पष्ट होता है वह यह नहीं है कि हम विभाग के किसी कर्मचारी पर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप करते हैं या अविश्वास प्रकट करते हैं या शिक्षा वर्ग से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। मदन मोहन जी ने कहा कि इससे अध्यापकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसका उत्तर तो मेरी ओर से माननीय उपमंत्री जी ने दे दिया है। उससे इसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। इसका तो स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्ध है कि पहले उसको कौन एप्रूव करे और कौन न करे।

तो जैसा मैंने पहले भी कहा था उसको भी स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरा विचार यह है कि स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन को स्वीकार करने में अकेले डाइरेक्टर साहब न हों बल्कि इसमें एक कमेटी है जिसमें एक प्रबन्धकों के प्रतिनिधि रहें, एक अध्यापकों के प्रतिनिधि रहें, जैसी कि ओरिजिनल एपीलेट कमेटी डिस्पिलिनरी केसेज में रखी है उसी प्रकार की एक कमेटी प्रान्तीय स्तर की डाइरेक्टर साहब को सलाह देने के लिये हो जो कि प्रदेश के स्तर पर जो स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें कोई संशोधन, परिवर्धन या परिष्कारों में, उनके सम्बन्ध में सलाह देने के लिये हो। हो सकता है कि कहीं कोई स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन हो और वह अध्यापकों के हित में न हो तो कम से कम वह कह तो सकें कि इसको इस प्रकार संशोधित कर दिया जाय। सम्भव है किसी स्थिति विशेष में मैनेजिंग कमेटी के लोग एक राय के हों और वहां के स्कूल की स्थिति दूसरे प्रकार की हो, वहां डाइरेक्टर साहब देख सुन कर ठीक करें, लेकिन इस लिखा पढ़ी में जो समय जायगा, ऐसी कमेटी बनाने से उसकी बचत हो सकती है। अगर इस प्रकार की कमेटी न हुई तो लिखा पढ़ी में हो काफी समय जा सकता है। डाइरेक्टर महोदय कहेंगे कि यह कारण हैं इसको ठीक कीजिये और फिर उधर से उत्तर आयेगा, और इस सब में स्कीम शीघ्र नहीं बन पायेगी और अधूरी रहेगी। रेगुलेशन्स क्या हैं, यह अभी हमको स्पष्ट नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके साथ-साथ एक बात यह भी है कि जिस प्रकार यह विधेयक बना है, इसमें एप्रूवल के बारे में तो १६-बी और सी में जिक्र है, लेकिन अमेंडमेंट्स और चेंजेज के बारे में क्या प्रोसीजर होगा उसका कहीं जिक्र नहीं है। एप्रूवल के बारे में तो डाइरेक्टर महोदय उनको समय देंगे और कारण बतलायेंगे, लेकिन अमेंडमेन्ट या परिवर्तन के जो सुझाव होंगे उनमें डाइरेक्टर महोदय क्या करेंगे यह कहीं नहीं लिखा है, और यह भी नहीं है कि रेगुलेशन्स के मुताबिक यह तय होंगे। अभी हमारे वर्मा जी ने जो पढ़ा वह तो एप्रूवल के बारे में है, अमेंडमेंट या चेंजेज के बारे में कुछ नहीं है। तो इसकी व्यवस्था कैसे होने वाली है ? यह जो इसमें मौलिक कमियां रह गयी हैं कि एक तो इसमें अमेंडमेंट या चेंजेज के बारे में कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है और दूसरे अकेले डाइरेक्टर को सारा काम दे दिया गया है—मैं यह नहीं कहता कि वह कर नहीं सकता, लेकिन लखनऊ में बैठ कर तिब्बत बार्डर के झिमका शंकू के या दुद्धी तहसील के किसी स्कूल की स्थिति जान लेना या गोरखपुर के बाढ़ वाले क्षेत्र में कोई संशोधन उन्होंने क्या किया यह केवल फाइल से समझ लेना उनके लिये मुश्किल होगा। इसलिये कहीं न कहीं कोई सलाहकारिणी समिति होनी चाहिये। यदि अनुशासन समिति हम बना सकते हैं तो यह तो उससे बड़ा मामला है। इस प्रबन्ध के मामले में एक स्कीम बना रहे हैं। तो यह प्रजातंत्रिक भी होगा, डाइरेक्टर साहब को भी इससे मदद मिलेगी। डाइरेक्टर साहब हों या उनका नामिनी हो तो भी हो सकता है। किन्तु अगर वह एडीशनल डाइरेक्टर को नामिनेट करना चाहें तो उसका भी कोई प्रबन्ध नहीं है। इसमें अतिरिक्त संचालक को भी नहीं रख सकते हैं, डाइरेक्टर को ही रहना होगा। तो इसलिये मैं तो इसको और सुगम कर रहा हूं।

माननीय वर्मा जी ने बतलाया कि हमारी यह टेक्निकल दिक्कतें हैं, वह हैं। मैं कहता हूं कि जब सेक्शन ४ डिलीट हो गया तो जहां-जहां भी उसका रेफरेंस होगा वह सब डिलीट हो जायगा। अगर १६-ए (४) के पहले कहीं यह सिद्धांत मंजूर हो गया होता तो उनको शिकायत हो सकती थी, लेकिन खंड ५ और ६ हमने स्वीकार नहीं किया है। अगर खंड ४ डिलीट हो जायगा तो जहां भी सब—सेक्शन ४ का रेफरेंस है, यह लेजिस्लेशन का रेगुलेशन है कि सब जगह वह डिलीट हो जायगा। माननीय मंत्री जी यदि कहीं मान भी लें तो बाद में वह स्वयं संशोधन लायेंगे कि उसको डिलीट कर दिया जाय। यह परिपाटी है और मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। सिद्धांत का भी कोई सवाल नहीं है। यह एक व्यावहारिक दिक्कत को आसान करने का सवाल है।

मैं एक बात और कहूंगा कि अगर माननीय मंत्री जी आश्वासन दें कि रेगुलेशन बनाते समय वह मेरे सुझाव का ध्यान रखेंगे और कमेटी की तथा अमेंडमेंट के लिये उनमें कोई व्यवस्था कर सकें तो मैं अपने संशोधन को प्रेस नहीं करूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, अब मुझे कुछ विशेष कहना नहीं है इसलिये कि माननीय नारायणदत्त जी ने सभी बातें स्पष्ट कर दीं। आपने यह सही कहा कि अन्त में जो चेन्ज होने वाले हैं उसका प्रोसीजर इसमें नहीं लिखा गया है। पावर को डेलीगेट करने की बात तो इसमें लिखी गयी है। जहां तक पावर को डेलीगेट करने की बात है, वह इस बिल में आगे बतायी गयी है। डाइरेक्टर सिवाय चेयरमैन आफ दि बोर्ड के और सब पावर्स वह डेलीगेट कर सकता है। जहां तक चेन्ज वगैरह की बात है, इस पर भी विचार हुआ था। उसके लिये यह सोचा गया था कि यह सारी डिटेल रेगुलेशन्स में ले आयेंगे, बिल में उतनी डिटेल ले आने की जरूरत नहीं है। कोई भी संस्था चेन्ज सजेस्ट कर सकती है डायरेक्टर को, और वह उसको एप्रूव कर सकता है। फिर भी, इसके बारे में कि वह किस प्रकार से चेंज करेगा रेग्युलेशन्स में रख दिया जायगा। यह आश्वासन की बात नहीं है, यह तो हम उसमें करना ही चाहते हैं। वह रेगुलेशन १४–१५ दिन आपके पास रहेगा। अगर आपको किसी चीज की कमी उसमें दिखायी दे तो फिर भी आपको अवसर होगा कि उसमें आप सुधार कर सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप आश्वासन ही दे दें तो उसमें क्या बुराई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आश्वासन ही नहीं हम तो यह कह रहे हैं कि यह चीज रेगुलेशन्स में रहेगी ही और उसमें जो भी व्यवस्था आप संतोषजनक न देखें आप उसमें सुधार कर सकते हैं ।

मैं बिलकुल यह मानता हूं कि माननीय नारायणदत्त जी का यह इरादा कभी नहीं रहा होगा, जैसा कि किसी ने कहा कि इस बिल को पेश करके हम व्यवस्थापकों का पक्ष ले रहे हैं या अध्यापकों के विरुद्ध कोई नीति ले आ रहे हैं । शायद उनका यह भी इरादा न रहा हो कि बिजनेस कमेटी ने जो इसके लिये आठ घंटे का समय रखा था उसको भी नहीं देना चाहते। क्योंकि भगवान् की कृपा से वह सारा समय इस पर लग गया। लेकिन एक बात अवश्य है कि इस संशोधन को उन्होंने रख कर एक लाभ करा दिया कि अवस्थी जी जैसे आदमियों का स्वरूप स्पष्ट करा दिया । समाजवादी पार्टी का बिलकुल यह विचार है कि जो कुछ हम सोचते हैं गलत ही सोचते हैं और अगर भूल-भटक कर कोई अच्छा प्रस्ताव हम ले भी आये तो भी वे उसका विरोध कर देना चाहते हैं और करते हैं । (श्री उग्रसेन के खड़े होने पर) मैं नहीं बैठ रहा हूं । आप बीच में कुछ नहीं कह सकते ।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, वे इस प्रकार से किसी को मना नहीं कर सकते । आप ही कबल आदेश दे सकते हैं । यह उनकी पुरानी आदत है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--जब तक कोई बोल रहा हो बीच में आपको खड़ा नहीं होना चाहिये, सिवाय प्वाइंट आफ आर्डर के । यह संसदीय परम्परा है, इसे कृपा करके आप सीख लें । जो आप कर रहे हैं वह इस परम्परा के विरुद्ध है ।

मैं मान्यवर, यह कह रहा था कि माननीय अवस्थी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे व्यवस्थापकों के पक्ष में हैं और जितनी प्राइवेट संस्थायें हैं, उनके किसी भी मामले में किसी तरह से हस्तक्षेप होना नहीं चाहिये । इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि बिल की सारी कल्पना इसी आधार पर हुई । ये जो शिक्षा संस्थायें निजी तौर पर चलायी जा रही हैं उनकी अव्यवस्था के कारण अध्यापकों में क्षोभ है । बहुतों के यहां न कोई नियम है, न कुछ है । बहुत-सी संस्थायें ऐसी हैं जिनके यहां बड़े सुन्दर नियम हैं और वे अच्छे ढंग से चल रही हैं, लेकिन अक्सर संस्थायें ऐसी भी हैं जिनके यहां न कोई नियम है, न कोई विधान है । न अध्यापकों की नियुक्ति के लिये कोई नियम है, न उनकी बरखास्तगी के लिये कोई नियम है, न उनके यहां यही है कि कितनी छुट्टी मिलती है, कितना वेतन दिया जाता है । बहुत जगह वेतन बराबर मिलता भी नहीं है । जितना वेतन अध्यापकों के लिये निश्चित है, उतना वेतन भी उन बेचारों को नहीं मिल पाता, जो स्केल चल रहा है उतना भी उनको नहीं मिलता । महंगाई भत्ता भी उनको नहीं मिलता है, इस तरह से बीसों चीजें वहां होती हैं । सरकार के पास इस समय इसको रोकने के लिये कोई अधिकार नहीं है । कई इंस्टीट्यूशन्स ऐसे हैं जो अगर एक कमेटी के बजाय दो बना लें और मुकदमेबाजी भी करें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं । अगर अध्यापकों के वेतन भी वे न दें तो हम काननन कुछ नहीं कर सकते हैं । बहुत करें तो हम यह कर सकते हैं कि उनकी ग्रांट बन्द कर दें । लेकिन जब ग्रांट बन्द करते हैं तो फिर सोचना पड़ता है कि इससे संस्था का अहित हो जायगा, विद्यार्थियों का अहित हो जायगा और अध्यापकों को जो आधा-तिहाई मिल पाता है वह भी दो-दो और तीन-तीन महीने तक नहीं मिल पायेगा, इससे उनका भी अहित होगा । अगर दो कमेटियां भी कहीं बन जायं तो सरकार उसमें हस्तक्षेप इस समय नहीं कर सकती है । अध्यापक संघ ने इस बात की मांग नहीं की थी कि आप इस तरह का कानून बनाइये । बल्कि उनकी मांग तो यह थी कि सरकार सारे इंस्टीट्यूशंस को ले ले । हम सिद्धान्ततः इस चीज को गलत समझते हैं कि सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में इतना अधिकार हो जाय और वह एक तरह से गलत रास्ता है ।

इस विधेयक का मतलब तो यही है कि ऐसी शिक्षा संस्थाओं में जो अव्यवस्था है उनको हम रोक सकें ताकि उससे अध्यापकों का हित हो, छात्रों का हित हो और संस्थाओं का भी हित हो। ऐसी संस्थायें हैं जहां पर स्वार्थ साधे जा रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो व्यवसाय के रूप में उसे चला रहे हैं। तो अगर सरकार के पास कुछ अधिकार रहें तो वह उसे रोक सकती है, लेकिन इस समय सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। इस दृष्टि से इसमें प्रतिबन्ध लगाया गया है कि कोई संस्था व्यावसायिक रूप से न चल सके। यों तो अध्यापकों ने कहा कि जिस तरह का यह विधेयक है उससे दस कदम और आगे जाने की जरूरत है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जो भी है, जैसा भी है जहां तक जल्दी पास हो सके इस कराइये, जहां तक हो सके इसमें अधिक विलम्ब न हो। उनके कई रिप्रेजेंटेशन हुए, उनकी मांग बराबर इस तरह की रही है।

तो मान्यवर, मैं यह कहता हूं कि भगवान् सब को प्रतिभा देता है, लेकिन कुछ लोगों की प्रतिभा ऐसी होती है कि वे उल्टा ही बहते हैं। कोई भी बात कहिये उसको वे उल्टे ढंग से ही देखेंगे। वे लाचार हैं, यही हालत माननीय अवस्थी जी की है। कोई भी बात कही जाय उसको वे उल्टे तरीके से ही सोचेंगे। अस्तु मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य इस संशोधन को वापस ले लें और यह आश्वासन मैं देता हूं कि रेगुलेशंस में इसका आगे प्राविजन होगा और वह रेगुलेशंस आपके सामने आवेंगे। आप उनके ऊपर विचार करेंगे और जो भी संशोधन आपके होंगे उनके ऊपर भी विचार किया जायगा। अपने मित्रों से मेरी एक प्रार्थना और है कि अगर सम्भव हो सके तो वे आज ही इस बिल को स्वीकार हो जाने दें तो उनकी बड़ी भारी कृपा हो जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात को देखता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन के सिद्धान्त को जैसा कि उन्होंने कहा, स्वीकार कर लिया और यह आश्वासन भी दिया कि जब रेगुलेशंस बनेंगे तो इसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि जब रेगुलेशंस बनेंगे तो कुछ न कुछ इस संशोधन का भी ध्यान रहेगा और मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस रूप में अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16-D की पंक्ति १ में शब्द "May" के स्थान पर शब्द "Shall" रख दिया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, जहां पर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के बारे में कहा गया है, मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिये अनिवार्य रूप से निरीक्षण का होना आवश्यक है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस सारे विधेयक में कहीं भी कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं जोड़ा गया है जहां यह दिखाई पड़ता हो। यों तो सारी चीजें एजूकेशन कोड में हैं और डायरेक्टर एक सूक्ष्म तरीके से मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण करा लिया करता है। श्रीमन्, मुझे 16-D को देख कर बहुत बड़ा संतोष हुआ लेकिन "मे" का शब्द उसको बांधता नहीं है क्योंकि वह इतना दुर्बल है कि उसके अन्दर कोई प्राण नहीं रहते। अंग्रेजी में "मे" का शब्द ऐसा है जो बड़ा डिप्लोमेटिक है और इसके अन्तर्गत हर प्रकार के अर्थ लगाये जा सकते हैं। इससे नीचे और ऊपर दोनों के अर्थ जाते हैं। लीगल सेन्स में कोई धारणा अभी इसके सम्बन्ध में स्थापित नहीं हो सकी है कि इसका अर्थ "शैल" के अर्थ में उपयोग में लिया जा सकेगा। इसलिये इस शब्द के बांधने में बड़ी कठिनाई प्रतीत होती है। 16-D इस धारा का स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन आदि सब पर प्रभाव पड़ता है, इसलिये "मे" की जगह शब्द "शैल" रख दें तो इस विधेयक का जो उद्देश्य है वह पूरा होगा और इसकी प्रगति में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। इन शब्दों के साथ अगर मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को अपनी ओर ला सका और

[श्री रामलखन मिश्र]

बड़ी उनकी कृपा हो गयी तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे और अगर मैं उनके हृदय को स्पर्श न कर सका और अपनी उत्पत्ति से उन्हें खींच न सका तो मैं विचारधारा में बाधा नहीं डालूंगा और इसे वापस ले लूंगा ।

*श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमान, मैंने बहुत सोचा और मन भी होता है कि मिश्र जी के संशोधन को स्वीकार कर लूं, लेकिन यह संशोधन स्वीकार करने योग्य है नहीं । मिश्र जो चाहते हैं कि 16—D(1) में शब्द "May" के स्थान पर शब्द "Shall" रख दिया जाय । असल बात यह है कि ये इंस्पेक्शन दो तरह के होते हैं । एक साधारण रूप में इंस्पेक्शन होगा । उसके लिये एजूकेशन कोड में व्यवस्था है और जो विभाग के अधिकारी हैं उस व्यवस्था अथवा नियमों के अनुसार वे संस्थाओं का निरीक्षण करते रहते हैं, लेकिन एक खास तरह का यह इंस्पेक्शन रखा गया है । जो यह सब धारा की व्यवस्था है इसके द्वारा जिन इंस्टीट्यूशंस की शिकायतें बहुत आती रहती हैं उनकी अव्यवस्था के संबंध में तो फिर डायरेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वह जब भी इस किस्म की शिकायत हो तो वह इंस्पेक्शन करा सकता है । इस क्लाज में "Shall" कर देने से वह चीज नहीं रहती । एक तो परमिसिव है और दूसरी जरूरी है । जरूरी वाला हिस्सा जो एजूकेशन कोड में साधारण नियम है उससे कवर हो जाता है और जो यह संशोधन रख रहे हैं उसका हर्गिज यह मंशा नहीं है कि जितना काम विभाग का चल रहा है उस सबको खत्म कर दिया जायगा और केवल यह रहेगा । यह संशोधन तो उस सबके अतिरिक्त है । जो काम हो रहा है वह तो चलता ही रहेगा और माननीय मिश्र जी की जो मंशा है वह पूरी हो जाती है जो हमारे साधारण नियम हैं उनसे । और अगर उन्हें यह महसूस होता हो कि उनमें कोई कमी है और अधिक निरीक्षण होना चाहिये तो वे सुझाव दें । वह एक बाद की बात है और उस समय देखी जायगी, लेकिन यहां "मे" का 'शैल" होने से जो डायरेक्टर को अधिकार होगा, डिस्क्रिशन होगा कि जब कोई इस किस्म की बात या शिकायत हो तो वह इंस्पेक्शन करा ले वह चीज नहीं रहती । इसलिये मिश्र जी के इस संशोधन को स्वीकार करने में मुझे कठिनाई है ।

श्री रामलखन मिश्र---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा दुर्भाग्य है कि मंत्री जी को मैं अपनी ओर न ला सका यद्यपि मुझे संतोष नहीं हुआ । लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि रेगुलेशंस बनाते वक्त वे किसी ऐसे उपबन्ध की व्यवस्था करेंगे । वह आरोप आरोप नहीं होगा, अगर आरोप है तो निरीक्षण होना आवश्यक है । किन्तु जैसा मैं कह चुका हूं मैं विवाद नहीं करना चाहता । मैं चाहता हूं कि मैं इसे वापस ले लूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं:---

"खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16—D की उपधारा (४) के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति १ में शब्द 'will' के स्थान पर शब्द 'shall' कर दिया जाय ।"

श्रीमन्, मेरा संशोधन बहुत छोटा-सा है और "विल" जो है वह उपयुक्त नहीं है । उसमें वह लीगल फोर्स नहीं है जो कि यहां पर आवश्यक है । इसलिए वह एक ड्राफ्टिंग का दोष मैं समझता हूं रह गया है । आगे भी इस क्लाज में अगर आप देखेंगे तो "शैल बी विदड्रान" लिखा हुआ है । यह 16—D की उपधारा (४) में जो प्राविजो है उसमें आप देखेंगे कि अन्त में लिखा है कि "शैल बी विदड्रान" । तो मैं समझता हूं कि यह यहां पर "विल" जो है वह एक ड्राफ्टिंग का दोष रह जाता है और इसलिए मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि इस "विल" की जगह "शैल" रख दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, श्री विभव का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने यह संशोधन उपस्थित किया। कानूनी दृष्टि से मुझे भी यह उचित मालूम होता है कि "बिल" के बजाय "शैल" हो और मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16—D की उपधारा (४) के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति १ में शब्द "will" के स्थान पर शब्द "shall" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16—D की उपधारा (4) के भाग (d) के अंश (ii) में दूसरा प्रतिबन्धात्मक वाक्य निम्न प्रकार बढ़ा दिया जाय:—

"Provided further that the period for which an order under this sub-section is made shall in no case exceed the period of one year."

श्री अधिष्ठाता---वर्मा जी, जरा सदन में शान्ति रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, यह जो मेरा संशोधन है यह स्वयं स्पष्ट है। इस विधेयक के द्वारा यह प्राविधान किया गया है कि अगर कोई मैनेजमेंट या किसी स्कूल की प्रबन्धक समिति अपने डिफेक्ट्स को नहीं रिमूव करती, गलतियों को नहीं सुधारती या अपनी स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन समय से नहीं भेजती, या स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अपने इंस्टीट्यूशन को नहीं चलाती तो सरकार उस स्कूल के प्रबन्ध के लिए आथराइज्ड कंट्रोलर मुकर्रर कर सकती है। तो मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की शक्ति आथराइज्ड कंट्रोलर को केवल एक वर्ष के लिये हो, उससे अधिक किसी हालत में नहीं होनी चाहिए।

श्रीमन्, आपने देखा होगा कि जो कारपोरेशन विधेयक है उसमें भी और दूसरे राज्यों के जो कारपोरेशन विधेयक हैं या म्युनिसिपल बोर्ड में जो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होते हैं उन सबके लिए टाइम लिमिट रख दी गई है। बहुत से विधेयकों में जहां एक्सटेंशन का अधिकार दिया जाता है वहां भी एक टाइम लिमिट मुकर्रर कर दी जाती है कि पहले छः महीने और फिर छः महीने का होगा, उससे अधिक नहीं बढ़ाया जायगा। इसी प्रकार मैं समझता हूं कि यहां पर भी एक टाइम लिमिट कर दी जाय कि इतने दिन तक आथराइज्ड कंट्रोलर काम करे और मैनेजमेंट कमेटी अपनी हालत को ठीक कर लेती है तो वह आथराइज्ड कंट्रोलर से उसे वापस ले ले। इसीलिए यह एक साल की अवधि रख दी है।

मैं समझता हूं सरकार का भी यह विचार नहीं होगा कि जितने समय तक चाहे सारे स्कूलों को अपने हाथ में लिये रहे। इस समय कोई समय फिक्सड नहीं है। इसमें सरकार को पूरी आथारिटी है कि जितने समय के लिये चाहे आथोराइज्ड कंट्रोलर को मुकर्रर कर दे। मैं समझता हूं टाइम लिमिट होनी चाहिये और विधेयक में इसका स्थान होना चाहिये।

***श्री रामेश्वरप्रसाद**---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं जो संशोधन तिवारी जी ने पेश किया है वह असंगत है, क्योंकि तिवारी जी नया प्रतिबन्ध जोड़ना चाहते हैं इसके ऊपर। यदि वे पढ़ें तो इसमें यह लिखा है कि जो पीरियड होगा आथराइज्ड कन्ट्रोलर के लिये उसमें है कि अगर किसी स्कूल की स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन पेश नहीं हुई है डायरेक्टर को और उस ग्राउन्ड पर आथराइज्ड कन्ट्रोलर के कंट्रोल में वह स्कूल दे दिया गया है तो शर्त लिखी हुई है कि ज्यों ही वह स्कूल अपनी स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन बना करके दे देगा और ऐप्रूव करा लेगा तो आखिर में लिखा हुआ है जो आर्डर है वह "शैल बी विद्ड्रान"।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

तो ऐसी हालत में जो प्राविजन तिवारी जी चाहते हैं वह इसमें ठीक नहीं बैठता और साथ-साथ इसमें जो लिखा हुआ है उसको देखें---"The period for which an order under this sub-section is made may be extended by State Government from time to time." यानी गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि अगर कोई स्कूल स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन के पेश न करने पर या और किन्हीं ग्राउन्ड्स पर आथोराइज्ड कन्ट्रोलर के अन्डर में जाता है, गवर्नमेंट कंट्रोलर मुकर्रर करती है, तो सरकार जब तक उचित समझे तब तक समय का एक्सटेंशन देती रहे । तो एसी हालत में मैं समझता हूं एक साल की लिमिट करना असंगत है । क्योंकि जब सरकार को समय एक्सटेंड करने की पावर दे रखी है जब तक जरूरी समझे, कोई स्कूल प्रापर्ली रन नहीं कर रहा है और वहां आथोराइज्ड कंट्रोलर की जरूरत है, तो ऐसी हालत में यह प्रतिबन्ध असंगत होगा । इसके साथ ही यह अनिश्चित भी है क्योंकि तिवारी जी का जो संशोधन है उसमें है--"Provided further that the period for which an order under this sub-section is made shall in no case exceed the period of one year." तो अनिश्चित इसलिये है कि "शैल इन नो केस एक्सीड" इसमें कोई मियाद तिवारी जी ने डिफाइन नहीं की । पता नहीं वह एक महीने के लिये चाहते हैं या दो महीने के लिये चाहते हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि यह गैर जरूरी है । इसलिये मैं माननीय नारायणदत्त जी तिवारी जी के संशोधन का विरोध करता हूं ।

*श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, माननीय तिवारी जी का जो संशोधन है बहुत स्पष्ट रूप में मैं समझ नहीं पाया । क्लाज में यह है कि आथोराइज्ड कन्ट्रोलर जो मुकर्रर होगा और जो आर्डर होगा उसमें समय भी निर्धारित किया जायगा कि कितने समय के लिये वह मुकर्रर होगा । अब उसके बाद में उपधारा (१) और (२) के बाद वह यह चाहते हैं कि यह प्राविजो लगा दिया जाय । अगर्चे उनकी यह मंशा है कि जब पहला आर्डर दिया जायगा एडमिनिस्ट्रेटर एप्वाइंट करने का और उस में जो समय एप्वाइंट किया जाय वह एक साल से अधिक न हो तो हमें उसे स्वीकार करने में विशेष आपत्ति न होगी । किन्तु एक चीज आगे और है कि मान लीजिये कि एक निश्चित समय के लिये ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया और उस समय के भीतर वह कमी पूरी नहीं हो सकी जिसके लिये उसकी नियुक्ति की गई थी और फिर भी इस बात की जरूरत महसूस हुई कि उसकी अवधि को और बढ़ाया जाय और उसको हम न बढ़ा सके तो यह उचित न होगा । लेकिन अगर तिवारी जी का यह मंशा है कि जो पहला ही आर्डर जाय उस की अवधि एक साल से अधिक न हो तो जैसा मैंने कहा उसे मानने में हमें कोई विशेष आपत्ति न होगी। लेकिन जो शब्द इस में हैं उन से यह शंका होती है कि यह जो अधिकार है "may be extended from time to time" की बात न रहेगी । अगर वह इसकी जगह अपने संशोधन में शब्द "इनीशियल" रख दें तो विशेष आपत्ति न होगी। क्योंकि हमारी मंशा भी ऐसी नहीं है और हमें इस बात से कोई खुशी नहीं होगी कि कोई संस्था आज कोई लोग अच्छी तरह से चला रहे हैं उसको उनसे लेकर शासन चलावे या अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन से चलवाये । जो खराब चल रहे हैं उनको भी एडमिनिस्ट्रेटर से चलवाने में हमें खुशी न होगी, मंशा यही होगी कि जल्द से जल्द उस के दोष को दूर कराया जाय । इसी लिये जहां जितने समय की आवश्यकता हो उतना समय रखने के खयाल से इस में शब्द "टाइम टु टाइम" रखे गये थे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---प्रधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे आशय को समझा भी और इस बात की स्वीकृति भी दी कि वह "इनीशियल" स्टेज में एक साल का समय रखने को तैयार हैं । परन्तु मेरा सुझाव यह है कि अब चूंकि इनीशियल पीरियड एक साल का रखा जा रहा है इसलिये दोबारा अगर एक्सटेंशन हो तो वह छः मास का हो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--अधिष्ठाता महोदय, इसमें आप देखें कि उप-धारा (4) के भाग (d) अंश (ii) जो है उस में प्राविजो है कि "The period for which an order under this sub-section is made may be extended by the State Government from time to time". इसके आगे ही आप जोड़ना चाहते हैं. . . .

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी हां, एक प्राविजो तो आपका है ही उसी के आगे मैं अपना यह और जोड़ना चाहता हूं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--तो इसको आप ऐसा कर दें कि वह इनिशियली एक साल के लिये बढ़ाया जाय और यदि फिर भी आवश्यकता हो तो स्टेट गवर्नमेंट अवधि को एक्सटेंड कर सके। मान लीजिये कि उस अवधि में कोई संस्था अपने मिसमैनेजमेंट को दूर न कर सक, तो उस संस्था को वैसे ही वापस करना तो उचित न होगा, ऐसी हालत में साल या ६ मास का समय बढ़ाने का डिसक्रिशन गवर्नमेंट के पास रहना चाहिये। इस तरह से आप चाहें तो उसे मंजूर करने में हमें कोई आपत्ति न होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अभी इस खंड को छोड़ दिया जाय, अभी ठीक कर के आप के पास भेज देंगे, इतने में दूसरा ले लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--ठीक है, उसे ठीक हो कर आने पर बाद में लूंगा।

(संशोधन पर विचार स्थगित किया गया।)

***श्री देवकीनन्दन विभव**--अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16—F की उपधारा (2) की पंक्ति ११ में शब्द "The Inspector or" तथा शब्द "Deputy Director" के बीच में शब्द "Regional" बढ़ा दिया जाय, यह संशोधन उपस्थित करता हूं।

डिप्टी डायरेक्टर का यहां जो आशय है जहां तक मैं समझा हूं वह रीजनल डिप्टी-डायरेक्टर से है। तो अगर यह "रीजनल" शब्द वहां नहीं रहता तो वह स्पष्ट नहीं होता। उसके सम्बन्ध में आगे भ्रम पैदा हो सकता है और लीगल डिफिकल्टीज भी पैदा हो सकती हैं। इसलिये मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि यह "रीजनल" शब्द रख दिया जाय ताकि वह स्पष्ट हो जाय।

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां, इस सम्बन्ध में भी मैं विभव जी का आभारी हूं। यह आवश्यक महसूस होता है कि इनका संशोधन स्वीकार कर लिया जाय, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16—F की उपधारा (2) की पंक्ति ११ में शब्द "The Inspector or" तथा शब्द "Deputy Director" के बीच में शब्द "Regional" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मेरे संशोधन का अर्थ आग जो श्री गौरीशंकर राय तथा श्री नारायणदत्त तिवारी का संशोधन है उसमें निकल आता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि उसके साथ ही इसको पेश करने की इजाजत उन्हीं को दे दी जाय।

श्री अधिष्ठाता--तो क्या आप पेश नहीं कर रहे हैं?

श्री ब्रजनारायण तिवारी--जी नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, यह तय हो गया है कि मेरे संशोधन पर एक संशोधन श्री जगदीशशरण अग्रवाल पेश कर रहे हैं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, श्री नारायणदत्त जी तिवारी के सिद्धान्त का मैं समर्थन करता हूं और उसमें यह संशोधन करने की आज्ञा चाहता हूं कि जहां "Provided further that the period for which an order under this sub-section is made." इसमें जहां शब्द "an" आया है उसके स्थान पर शब्द "initial" कर दिया जाय। श्रीमन्, इस संशोधन के स्वीकार हो जाने से अब यह इस प्रकार हो जायगा:

"Provided further that the period for which initial order under this sub-section is made shall in no case exceed the period of one year."

और तिवारी जी की मंशा भी पूरी हो जायगी और जो इसमें एक प्रत्यक्ष कमी दिखाई देती थी वह भी पूरी हो जायगी। अगर यह संशोधन न रखा जाय तो उस दशा में उसका अर्थ यह हो जायगा कि सरकार को किसी भी दशा में यह अधिकार न होगा कि वह समय एक वर्ष से अधिक हो और इस प्रकार इस प्रतिबन्ध का मंशा ही बेकार हो जायगा, क्योंकि यह समझना कि ऐसी संस्था में जहां ऐसे अधिकार के प्रयोग करने की आवश्यकता भी हो, जो प्रत्यक्ष है कि किसी एक्सट्रीम कंडीशन में ही किया जायगा, उसको प्रयोग करने का अधिकार न रहे तो उस दशा में यह समझ लेना कि एक साल में ही वह काम हो जायगा और अधिक समय की आवश्यकता नहीं होगी, यह संभव नहीं मालूम होता। तो उनका मंशा भी यही है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय तिवारी जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जी, मैं स्वीकार करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---श्रीमन्, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपना एक छोटा-सा संशोधन दे दूं। वह यह है कि तिवारी जी के संशोधन की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि "in no case" संशोधन इस प्रकार है--

"Provided further that the period for which an order under this sub-section is made shall in no case exceed the period of one year." इसमें "in no case" की जगह "not" रख दिया है। मैंने इसको इस वास्ते रखा कि जगदीशशरण जी का जो मंशा है वह भी पूरा हो जायगा और अगर "in no case" रखते हैं तो इससे कन्फ्यूजन हो जायगा। तो जहां उन्होंने उस संशोधन को स्वीकार किया है, इसको भी स्वीकार करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, इससे कोई फर्क नहीं होता है इसलिये मुझे यह स्वीकार है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि माननीय नारायणदत्त जी का संशोधन जैसा कि वह संशोधित हुआ है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16-D की उपधारा (4) के भाग (d) के अंश (ii) में दूसरा प्रतिबन्धात्मक वाक्य निम्न प्रकार बढ़ा दिया जाय--

"Provided further that the period for which the initial order under this sub-section is made shall not exceed the period of one year." स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16=G की उपधारा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(2) के भाग (b) का शब्द "and" निकाल दिया और शब्द "salaries" के पश्चात् निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"removal of disparity in salaries, medical facilities and other amenities."

अधिष्ठाता महोदय, इस बिल के इस खंड में टीचर्स की कंडीशन आफ सर्विसेज का जिक्र है। यह संशोधन ऐसा है जिसके बारे में बार-बार सदन में चर्चा हो चुकी है और शिक्षा मंत्री जी भी इसको मान चुके हैं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्कूलों में और गैर-सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के वेतन में असमानता है वह दूर होनी चाहिये और समानता आनी चाहिये। इसके लिये कोई औचित्य ही नहीं है कि एक ही प्रकार के कार्य करने वाले अध्यापकों का दो तरह का वेतन हो। यही नहीं है बल्कि गैर सरकारी स्कूलों में काम करने वाले अध्यापक सरकारी स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों के स्थान पर काम ज्यादा करते हैं। गैर सरकारी स्कूलों के बारे में मुझे ज्ञान है कि वहां के अध्यापक अण्डर स्टाफ काम करते हैं। जहां २० अध्यापकों की आवश्यकता होती है वहां १६ ही काम करते हैं। कहीं कहीं तो एक अध्यापक को सब घंटों में काम करना पड़ता है। उसकी कभी छुट्टी नहीं होती और रोज ६-७ पीरियड्स लेने पड़ते हैं और हफ्ते में ३५/३६ पीरियड्स पढ़ाना पड़ता है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं अध्यापक रह चुका हूं और हफ्ते में ३६—३७ घंटे पढ़ा चुका हूं जब कि सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के पीरियड्स बहुत कम होते हैं। आजकल बात यह है कि काम कम लिया जाय और तनख्वाह ज्यादा दी जाय।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और कायदे के अनुसार तो मंत्री जी उसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन बड़ी परेशानी है। अध्यापकों का ग्रेड १२० रुपये का है लेकिन गैर सरकारी स्कूलों में ८० रुपये तनख्वाह मिलती है। मजबूरी है, बेचारे अध्यापक क्या करें? १२० रुपये पर हस्ताक्षर करते हैं और ८० रुपये पाते हैं। यह बात दूसरी है। पेमेंट आफ सेलेरी एक कंडीशन है और मंत्री जी कहते हैं कि हम व्यवस्था करेंगे। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में इस बात की व्यवस्था हो जानी चाहिय कि यह जो अध्यापकों के वेतन में असमानता है वह दूर कर दी जाय और इसके सिद्धान्त के बारे में सदन हमेशा कहता रहा है कि इसकी आवश्यकता है और माननीय शिक्षा मंत्री जी की अपनी कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वह इसको नहीं मानते हैं या अर्थाभाव के कारण नहीं मानते हैं। अगर मुझे सही याद है तो उन्होंने कहा था कि वह लज्जित हैं वह इसको दूर नहीं कर सकते हैं। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि आज वह उस लज्जा को हटायें और गर्व के स थ कहें कि इस बिल के जरिये हम यह काम करते हैं कि अध्यापकों के वेतन में समानता आये। इस बिल में सर्विसेज की सिक्योरिटी से अध्यापकों को जरूर कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब तक यह घोषणा नहीं करते हैं जो इस बिल की आत्मा है अगर मंत्री जी मान लें तो वेतन की यह असमानता दूर हो जाय और माध्यमिक शिक्षा में जो सबसे बड़ी एनामली है, वह दूर हो जाय।

मेडिकल फैसीलिटीज के सम्बन्ध में कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, यह मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो आकाश कुसुम हो। इस सम्बन्ध में सरकार ने वादा किया है। पिछले साल राज्य-पाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था कि गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को मेडिकल फैसिलिटीज दी जायंगी। उनके एक बार कह देने के बाद यह सदन और सब लोग ऐसी आशा करते थे कि जब राज्यपाल महोदय के भाषण में आ गया तो सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी। मेरा तो यह उलहना है। अगर मंत्री जी इसको मान लेते हैं तो कोई बड़ा काम नहीं करते हैं। यह बहुत पहले हो जाना चाहिये था। अभी हमारे उप-शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो बातें होती हैं उन पर विश्वास नहीं होता। इसी से विश्वास नहीं होता कि राज्यपाल के भाषण में एक बात कह दी गयी, लेकिन वह नहीं होती। दूसरी एमेनिटीज के बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहता। अध्यापक लोग देहात में पड़े हुए हैं। जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा जंगलों के पास विद्यालय खुले हुए हैं इसके लिए गर्व होना चाहिये। उनको गर्व है, हमको भी गर्व है। लेकिन अध्यापक बिलकुल एक कैम्पर की तरह हैं। सुबह से

[श्री गौरीशंकर राय]

शाम तक पढ़ाया न उसके रहने का ठिकाना है और न उसको मकान मिलता है। इसकी व्यवस्था इस बिल में नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिये प्रबन्ध समिति और विभाग को उनकी कठिनाई महसूस करनी चाहिये। अध्यापकों की इन कठिनाइयों को दूर करने की भी जिम्मेदारी हम पर है।

मैं एक बार फिर कह दूं कि वैषम्य जो है वेतन का और दूसरे एमालूमेंट्स का उसको दूर करने की मंत्री जी घोषणा करेंगे। वह बड़ी प्रसन्न मुद्रा में हैं और मुझे उम्मीद है कि वह घोषणा करने ही वाले हैं कि इस वैषम्य को समाप्त करेंगे।

मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में पुराना वादा है। उस को वह पूरा करें। इन शब्दों के साथ मैं यह संशोधन जिसकी आवश्यकता के सम्बन्ध में पूरा सदन एकमत है आशा करता हूं कि यह निर्दोष संशोधन स्वीकार करेंगे और अध्यापक समाज के ऊपर मंत्री जी ने या सदन ने सम्मान के भाव प्रकट किये हैं उनको एक साकार रूप देंगे।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन अभी प्रस्तावित हुआ उसके विषय में मुझे आप की आज्ञा से यह निवेदन करना है कि इसके द्वारा यह प्रस्ताव है कि १६ (जी) में यह अधिकार दिया जाय कि रेगुलेशंस में "रिमूवल आफ डिस्परिटी इन सलरी" बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—आप गलत पढ़ रहे हैं। उनका संशोधन यह है—

खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16—G की उपधारा (2) के भाग (b) का शब्द "and" निकाल दिया जाय तथा शब्द 'salaries" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं—

"removal of disparity in salaries, medical facilities and other amenities."

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—अधिष्ठाता महोदय, मैं इसको ही पढ़ रहा था "रिमूवल आफ डिस्पैरिटी इन सैलरीज" ये शब्द जोड़ दिये जायं। इसका मतलब यह होगा कि जो रेगुलेशंस बनने जा रहे हैं उसमें यह शक्ति प्रदान की जाय कि वह डिस्पैरिटी को दूर कर सकें।

जहां तक शिक्षकों के वेतनक्रम की डिस्पैरिटी का सम्बन्ध है इस सिद्धांत को मैं समझता हूं कि इस तरफ के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों में कदाचित् कोई भी ऐसा न होगा जो ऐसा न चाहता हो कि यह डिस्पैरिटी जल्दी से जल्दी दूर होनी चाहिये।

(इस समय ३ बजकर ५७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि सरकार की भी हमेशा यह इच्छा रही है कि वह इस डिस्पैरिटी को जल्द से जल्द दूर कर सके। अगर इसमें कठिनाई रही तो वह साधनों की सीमा की रही। माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाषणों से शिक्षकों के प्रति उन्हें कितना सम्मान और आदर है, समय-समय पर प्रकट होता रहता है। मुझे तो जरा दुःख हुआ जब मैं अपने मित्र का भाषण सुन रहा था। माननीय मंत्री जी जब भी इस सदन में बोलते हैं वह काव्यमयी भाषा का शिक्षकों के प्रति अपने सम्बोधन में प्रयोग करते हैं और उनके हृदय में यह लगन है कि शिक्षकों का वेतन स्तर ऊंचा हो। उसमें वह अपनी विवशता का भी जिक्र करते हैं। उस विवशता को लज्जा के शब्द से भी सम्बोधित किया है। आज हमारे मित्र ने उसी शब्द को उलट-फेर कर उन के बारे में कह दिया। इसका मुझे कुछ दुःख है।

जहां तक श्रीमन्, सिद्धान्त की बात है मैं यह समझता हूं कि अब वह समय आ चुका है कि जब चा जितनी भी कठिनाई हमारे सामने हो और जितनी दिक्कतें भी सरकार के सामने हों लेकिन उस वेतन-क्रम की डिस्पैरिटी को जरूर दूर किया जाय। आज मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने अभी तक अपने सारे भाषणों में, अपने सारे आश्वासनों

में इस बात की आशा दिलाई है कि उनके हृदय में शिक्षकों के प्रति एक श्रद्धा ह और वह चिन्तित रहते भी हैं कि शिक्षकों का स्तर ऊंचा हो, और शिक्षकों को अच्छा वेतन मिल सक उसी तरह से मैं इस सद्भावनावश उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें और यदि हो सके तो शीघ्र से शीघ्र यह डिस्पैरिटी समाप्त हो और इस सदन को यह आश्वासन भी देने की कृपा करें कि ऐसा होगा। मैं यह समझता हूं कि यह आश्वासन सरकार दे सकती है और माननीय मंत्री जी कृपाकर इस शंका को दूर करने की कृपा करें। जहां तक रेगुलेशन्स में कुछ ऐसा कर देने की बात है जिससे डिसपैरिटी दूर हो सके तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि ऐसा करना कदाचित् असंगत होगा, क्योंकि यह माना हुआ पार्लियामेंटरी सिद्धान्त है कि रेगुलशन्स में, जो अधिकार मूल अधिनियम में नहीं है, वह पावर नहीं आ सकती। तो मूल अधिनियम में जब हम डिसपैरिटी के लिये कुछ जिक्र भी नहीं कर सके तो फिर रेगुलेशन में वह पावर नहीं दे सकते। वह वेतन-क्रम तो सरकार ने बनाये हैं और सरकार ही उन क्रमों को ऊंचा कर सकती है। शिक्षा संस्थाओं के लिये यह सम्भव नहीं है कि शिक्षा संस्थायें डिसपैरिटी को दूर करें। वह उनके सामर्थ्य की बात नहीं है जिनके लिये यह रेगुलेशन्स बनाये जाते हैं कि वह डिसपैरिटी दूर करें। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन यह है कि जहां तक इस प्रस्ताव को इस रूप में समझने का सवाल है मैं इसका विरोध करता हूं और मैं यह समझता हूं कि इस डिसपैरिटी वाली बात को रेगुलेशन्स में लाना अनावश्यक और असंगत होगा।

एक बात और कहूं कि स्केल आफ पे निर्धारित करने का अधिकार रेगुलेशन्स में दिया जा सकता है और उसमें डिसपैरिटी दूर करने की आवश्यकता भी दिया जाना आवश्यक है। जब स्केल आफ पे बनाने की पावर रेगुलेशन में आ जाय तब डिसपैरिटी दूर करने की अलग-अलग तफसील करना वैसे भी अनावश्यक हो जाता है। जब उन रेगुलेशन्स के अन्दर स्केल आफ पे की बात आ गई तो उसके अन्तर्गत डिसपैरिटी को दूर करने की बात भी आ जाती है क्योंकि स्केल आफ पे ही डिसपैरिटी को दूर करेगा, उसके अन्दर जो शब्द हैं वह नहीं करेंगे। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से इस बात के लिये जोरदार शब्दों में प्रार्थना करता हूं कि अब समय आ चुका है कि जिस तरह से शिक्षकों के ऊपर उनकी कृपा रही है कुछ और हो जाय, प्रदेश के शिक्षक उनकी तरफ आशा से देख रहे हैं। यह विधेयक भी उनके लिये उसी दिशा में एक सही कदम है। लेकिन जिस दिन यह आश्वासन शिक्षकों को मिल जायगा मैं समझता हूं उस दिन उनके जीवन म कुछ हर्ष आयेगा जिससे हमारे प्रदेश में शिक्षा स्तर उन्नत हो सकेगा और शिक्षा क क्षेत्र में विकास हो सकेगा।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह--मान्यवर, मैं माननीय गौरीशंकर राय जी के संशोधन के समर्थन हतु खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं अपने मित्र को सुनता रहा और यह भी प्रयास करता रहा कि उनको भली भांति समझूं। परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने जो वैधानिक आपत्तियां इस संशोधन के संबंध में उठायी हैं वह निराधार है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जिस समय सेलेक्ट कमेटी में यह रखा गया, मैं १६-जी को पढ़ रहा हूं आपकी आज्ञा से, "दि स्केल्स आफ पे ऐंड पेमेंट आफ सैलरीज"। पेमेंट आफ सैलरीज एक ऐसी चीज है कि जिसको सेलेक्ट कमेटी में बढ़ाने की कतई जरूरत नहीं थी। मैं उन्हीं के तर्कों को आधार बना कर कहता हूं कि स्केल्स आफ पे में ही पेमेंट आफ सैलरीज निहित है। या तो सरकार को इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी और अगर वह जाती है, पेमेंट आफ वेजेज के लिये अगर रेगुलेशन्स बनाये जायंगे तो यदि उनमें मेडिकल फैसिलिटीज और अदर एमीनिटीज भी रख दी जायं तो मैं नहीं समझता कि कौन सी आपत्ति हो सकती है। माननीय मंत्री जी विद्वान हैं, समझ सकते हैं और माननीय जगदीशशरण जो जो कानून से पूर्णतया परिचित हैं, क्या मैं आपके द्वारा उन से पूछ सकता हूं कि पेमेंट आफ सैलरीज की क्या जरूरत आ पड़ी जब कि स्केल आफ पे उसमें है ? स्केल्स आफ पे एक उसूल की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

चीज हो सकती है, लेकिन पेमेंट आफ सैलरीज तो उसमें निहित है ही। अगर आप मुलाजिम रखेंगे तो सैलरी दी ही जायगी। अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के हिसाब से यह बात देखी जाय तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी और अगर यह रखा जाय तो मैं नहीं समझता कि इसको और रखने में क्या आपत्ति है ?

अभी माननीय गौरीशंकर राय जी माननीय मंत्री जी से लज्जा छोड़ देने का अनुरोध कर रहे थे। श्रीमन्, इस भारतवर्ष में और इस भारतीय संस्कृति में कुछ अंग ऐसे हैं कि जो लज्जा छोड़ने से सफलीभूत होते हैं और कुछ अंग ऐसे हैं कि जिनकी लज्जा ही शृंगार होती है। उनके कहने का क्या मतलब था यह मैं समझ नहीं सकता। माननीय शिक्षा मंत्री जी बनारस से आते हैं। इस विषय का उनको पूर्ण ज्ञान है और इस संबंध में उनको किसी तरह का उपदेश देना सर्वथा अनुचित होगा....

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने कहा कि यह सावन चल रहा है। फागुन दूर है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मान्यवर, यह ठीक है कि माननीय राज्यपाल ने इस सदन में यह कहा था कि मेडिकल फैसिलिटीज दी जायंगी। अदर एमीनिटीज बढ़ाने से सरकार को ही आगे चल कर सहूलियत होगी। अब हम एक बार आश्वासन पा चुके हैं तो वह स्टेज नहीं रही जो कि जगदीश शरण जी समझ रहे हैं। जो आश्वासन हम को एक बार दिया जाता है उस पर हमें पूर्ण विश्वास है। प्रश्न यह है कि क्या यह आइन्दा के लिये ऐक्ट में भी रह जायगा ? इस ऐक्ट से अल्ट्रावायर्स नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि यह रिडेंडेंट हो जायगा। तो मैं नहीं समझता कि इसको मानने में कौन-सी विशेष कानूनी आपत्ति है। अगर देखा जाय तो बहुत से मुल्क ऐसे हैं कि जिन में ऐक्ट्स बाई इटसेल्फ बहुत छोटे बनते हैं और बकिया जितनी चीजें होती हैं वह सब रूल्स या रेगुलेशन्स में आती हैं और उनका प्रबन्ध उन में किया जाता है। तो श्रीमन्, अभी तक हिन्दुस्तान में कोई निश्चयात्मक या दृढ़ात्मक नीति नहीं अपनायी गयी है। इस सूबे की ड्राफ्टिंग जो है कभी-कभी उससे भी मुझे शिकायत रहा करती है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का उसूल वह स्वीकार कर लें तो विधेयक बहुत मोटे या लम्बे बनाने की आवश्यकता नहीं है। कभी-कभी रूल्स की चीजें ऐक्ट में रखी जाती हैं, तो मैं यह नहीं देख पाता हूं कि इस संशोधन के स्वीकार करने से कोई नई चीज होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है उस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कई बार इस सदन में आश्वासन दिया है। जब रेग्यूलेशन्स में इस बात की व्यवस्था की गयी है तो उनमें स्केल्स आफ सेलेरीज का उल्लेख हो तो जब हमारे सामने रेग्यूलेशन्स आवें तब गौरीशंकर राय जी को इस बात का प्रस्तुत करने का अधिक उपयुक्त अवसर प्राप्त होगा उस समय हम इस पर विचार कर सकेंगे। यह सुझाव मैं गौरीशंकर जी की सेवा में इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूं कि जहां तक मुझे मालूम है यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। सरकार को शिक्षा के संबंध में यह भी विचार करना है कि आगामी वर्ष से हम ७वें और ८वें कक्षाओं के या ७वें कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा कैसे दें, उसका प्रबन्ध कैसे करें ? जो विविध विषय शिक्षा के संबंध में हैं वे इस समय सरकार के विचाराधीन हैं और हमें विश्वास है कि सदन में रेग्यूलेशन्स रखते समय सरकार इस अवस्था में होगी कि वह हमारे सामने अपनी नीति प्रकट करे और जो प्रस्ताव इस समय रखा जा रहा है उसे स्वीकार करे।

इन शब्दों के साथ मैं श्री गौरीशंकर राय जी से निवेदन करूंगा कि अपना संशोधन सम्प्रति वापस लें।

*श्री गेंदासिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी आशा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी माननीय गौरीशंकर राय जी के संशोधन को स्वीकार करने के हक़ में होंगे। मैं केवल माननीय जगदीश शरण व मदनमोहन जी ने जो शुबहे उत्पन्न किये हैं उनके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। जगदीश शरण जी ने कहा कि रेगुलेशन में ऐसा करने से कोई कानूनी दिक्कत होगी, यहां डिसपैरिटी हटाने की बात जो कही गई है वह बहुत स्पष्ट है और उसमें कोई शुबहे की बात नहीं है। अगर सरकार का इरादा मालूम हो जाय कि वह इस संशोधन के पक्ष में है तो शब्दों को हेरफेर कर रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। केवल यह मालूम हो जाय कि सरकार के मन में यह बात है कि जो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को वेतन मिलता है उसके बराबर और अध्यापकों का वेतन करने का सरकार का इरादा है, तो ये कानूनी दिक्कतें दूर हो जावेंगी।

आश्वासन तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिला हुआ है, मैं ऐसा ही समझता था। आज इस विधेयक पर विचार होते समय मेरे मन में यह बात आई कि इस पर अब इस तरह से क्यों बात हो रही है ? मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा, मैं शिक्षा के क्षेत्र या संसार में कम रहता हूं। लेकिन अध्यापकों का मामला सब के कान में है और मुझे भी बोलने के लिये विवश होना पड़ा। मुझे अध्यापक लोगों ने कहा कि कभी तुम पढ़े-लिखे लोगों की तरफ से भी कुछ कह सकते हो ? मैंने कहा कि इस सभा में इस प्रकार के बहुत से लोग हैं, मैं बिना पढ़े-लिखे लोगों की ओर से ही कह सकूं तो अच्छा है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो कह दो। तो मैंने इसीलिये साहस किया।

श्री अध्यक्ष---कल भी तो किया था।

श्री गेंदासिंह---हां, वह भी यही बात थी। यह मैं अध्यक्ष महोदय, जरूर समझता हूं कि प्रजातंत्र में अगर हमारी अगली पीढ़ी उस ढंग से शिक्षित नहीं हो पावेगी जिससे प्रजातंत्र की रक्षा हो सकती है तो यह हमारे लिये बड़ी कठिनाई की बात होगी। मैं एक बात यही कहना चाहता हूं कि शिक्षक का पद और पेशा अच्छे लोगों के लिये आकर्षक होना चाहिये। मैं यह नहीं कहता हूं कि उसमें इस समय अच्छे लोग नहीं हैं या वे बुरे ही हैं, लेकिन यह बात देखी जाती है कि जब ओवरसीयर या कलेक्शन अमीन बनने का मौका मिल सके तो शायद कोई शिक्षक बनना पसन्द नहीं करेगा। ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जिनका मन उस तरह की आमदनी में नहीं लगता हो जो और पेशों में होती है। दूसरे लोग होते हैं जिन्हें कहीं ठिकाना नहीं लगता हो, और वे शिक्षक हो जाते हैं। इसका कारण वेतन की डिसपैरिटी है। जिन भावों को माननीय शिक्षा मंत्री जी व्यक्त करते हैं इस समय यह पेशा उस तरह का नहीं है। तो हम सबका बिना पढ़े-लिखे लोगों का भी इसमें लाभ है कि हम अपने बच्चों को ऐसे लोगों के हाथ में दें जो इस पेशे को प्रतिष्ठा का पेशा समझते हों और उससे ऊब कर कहीं भागना न चाहते हों और यह समझते हों कि यह पेशा ज्यादा सेवा करने का स्थान है। मैं समझता हूं कि अगर कोई गांधीजी न हो तो वह रुपये की इज्जत १६ आना छोड़ नहीं सकता है। मैं समझता हूं कि इस विचार से भी यह संशोधन स्वीकार किया जाय। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कौन शब्द कहां रखे जावें, इसमें न पड़ा जाय, क्योंकि इसके शास्त्री यहां बहुत मौजूद हैं, लेकिन सरकार उसूल से तो सहमत हो जाय।

*श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पुनः एक संशोधन पर जो हमारे भाई गौरीशंकर राय जी का है समर्थन करने का साहस होता है। अभी हमारे भाई गौरीशंकर राय जी ने कहा कि क्या आप हमें इसमें प्रोत्साहित न करेंगे, क्या इसमें आप हमारा सहयोग नहीं देंगे। लेकिन मैंने उनसे शंका की कि अगर आपने वापस ले लिया तो मैं तो यह महसूस करता हूं कि आपका यह जो संशोधन है वह अध्यापकों की मांगों में से एक हो सकता है

*वक्ता ने भाषण का पूनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

उसका एक अंग ह। अगर इसके संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त न करूं तो शायद हमारे शिक्षा मंत्री जी फिर किसी रूप में तोड़-मरोड़ कर यह कहें कि मेरा इस प्रकार का रूप प्रत्यक्ष दिखायी दे दिया। मेरा आकार तो उन्हें भिन्न-भिन्न रूप में दिखायी देगा और उनकी गहराई में बहुत दिनों में पहुंच पायेंगे। यह मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे माननीय वर्मा जी के बाद बोलने का मौका मिला। म उन्हें आदर की दृष्टि से देखता हूं लेकिन वकीलों से भय खाता हूं जो कानून की बारीकी निकाल कर असत्य को भी सत्य बना देते हैं। लेकिन अध्यापकों में यह गुण नहीं होता। अध्यापक तो बात को स्पष्ट कह कर ही युक्ति को बता पाता है···

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। क्या यह उचित है कि किसी वर्ग विशेष को संबोधित करके ऐसा लक्ष्य किया जाय जैसा कि अभी माननीय अवस्थी जी ने वकीलों के सार वर्ग पर किया है?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य के लिये ऐसा कहना उचित नहीं है। अगर मजाक उन्होंन किया हो तब तो ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही सदन के सदस्य हैं, लेकिन ऐसी बात को ज्यादा न बढ़ायें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। मैं किसी वर्ग की बात नहीं करना चाहता। लेकिन इसके पूर्व वर्मा जी ने कहा था कि मैं वकील हूं और वकील के नाते कहता हूं मैं उसी नाते कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आप अगर अध्यापकों के नाते कुछ कहें तो दूसरा सदस्य अध्यापकवर्ग की टीका नहीं कर सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा सौभाग्य है कि वकीलों से भी मैं कुछ सीखने लगा हूं। आज अग्रवाल जी जो माननीय शिक्षा मंत्री जी के पीठ पीछे बैठे हुये ह एक प्रकार से अपने भाषणों के द्वारा उनकी पीठ ही ठोक रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि पे दी हुई है तो सिर्फ पेरिटी की बात कहना कोई जरूरी नहीं है। हमारे माननीय गेंदा सिंह जी ने स्पष्ट इस बात की डिमांड की कि स्थानिक चीजों के संबंध में गोल-मोल बातें क्यों की जायं। क्यों शिक्षा मंत्री जी घोषणा नहीं कर देते हैं या घोषणा सरीखे भाव व्यक्त कर दें। मुख्यतः यह प्रश्न जो अध्यापकों का है, वह उनकी केवल मांग ही नहीं है बल्कि उनके जीवन-मरण का प्रश्न है इस संबंध में हमारी स्पष्ट घोषणा होनी चाहिये।

वर्मा जी ने कहा कि रेग्युलेशन्स हमारे सामने आयेंगे। चलिये रेग्युलेशन का नाम लेकर आज तो टाला ही जाय, उस दिन भी टल ही जायगा। रेग्युलेशन्स पर यह सदन विशेष ध्यान नहीं दे पाता है। रेग्युलेशन में डेलीगेटेड पावर्स हैं। वह लिमिटेड स्फीअर में काम करते हैं। उनको यह सदन अधिक नहीं देख पाता है, उनके बारे में तो संबंधित लोग ही अधिक जान पाते हैं। हाउस के सामने तो बड़े इश्यूज रहते हैं, रेग्युलेशन्स के समय वह कैसे अधिक ध्यान दे सकता है? मैं तो माननीय गौरीशंकर राय से प्रार्थना करूंगा कि इस पेरिटी की बात को उन्होंने संशोधन में लाकर एक सवाल ओपिन कर दिया है। जो अध्यापकों के हितैषी हैं या अध्यापकों को समझने वाले ह, उन्होंने उसके समर्थन में अपनी भावना को भले ही व्यक्त किया हो लेकिन फिर मैं माननीय गौरीशंकर राय जी से प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे सरीखे इस पक्ष के लोगों की मेंटिलिटी के नहीं हैं। हम कोई भिखारियों के कमंडल लेकर उनसे नहीं मांगत हैं बल्कि औचित्य के आधार पर, न्याय के आधार पर मांगते हैं। अगर हमारी मांग में औचित्य है तो जो बात हम कहेंगे उसे उनको मानना पड़ेगा। अध्यापकों के लिये कहा जाता है कि पैरिटी की बात मत करो। संविधान में यह दिया हुआ है कि "इक्वेलिटी इज फार एवरीथिंग" लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिये जब कोई संशोधन

लाया जाता है तो कहा जाता है कि आप बहस कर रहे हैं और विरोधी पक्ष के लिये विवाद करते हैं; जब हम कानूनी ढंग से उसे साबित करने की कोशिश करते हैं तो हमको भुलावे में डालने की कोशिश की जाती है कि वह बात आ जायगी, कल आवेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर कब तक हम लोगों को भुलावा दिया जाता रहेगा। पहले पहले जब माननीय मंत्री जी न आज से करीब साल भर पहले इस विधेयक को इस सदन के सामने रखा था तो उसी रोज मैंने कहा था कि यह केवल इसलिये आया है कि आगे चलकर यनकन प्रकारण कहा जायगा कि इसके लिये दोषी आप हैं, हम क्या करें, हम तो चाहते थे कि यह जल्दी पास हो जाय। एक साल पहले भी मैंने कहा था कि भावना को देखा जाय, मैं मैनेजमेंट कमेटी का समर्थक कैसे होऊंगा, मैं डाइरेक्टोरेट और इंसपेक्टोरेट का समर्थक कैसे होऊंगा ? मुझ तो दोनों की भयंकरता में कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ा। इस बिल में यही चीज ह कि अध्यापकों को एक के मुंह से लेकर दूसरे के मुंह में डाल दिया गया ह। पैरिटी के ऊपर मैं इसलिये कहता हूं कि आज प्राइवेट संस्थाओं क अन्दर अध्यापकों के ऊपर बड़ा अन्याय एक बड़े लम्बे अरसे से हो रहा है और जिनक संबंध में अध्यापकों ने प्रार्थनायें कीं, सजेशंस दिये, प्रस्ताव पास किया, डेपुटेशन उनका मिला, इस तरह से वे सब कुछ करते रहे हैं और जब हम मौका पावें तभी तो इन चीजों को कह सकते हैं। इस संशोधन के ऊपर माननीय गौरी शंकर राय जी ने एक संशोधन रख कर हम लोगों को मौका दिया ह कि हम भी अपनी भावनाओं को कुछ व्यक्त कर सकें। हम इस तरह स अपने धर्म को अदा करते हैं और वे अपने धर्म को उस तरह से अदा करते हैं। म समझता था कि मुझे जवाब सुनने का मौका मिलेगा तो मैं अपनी बातों को और कहूंगा, लेकिन आशा है कि जब वह प्रोविजन आवेगा तो मैं अपनी बातों को फिर से कह सकूंगा। हमारी मांगें औचित्यपूर्ण हैं। उनकी पूर्ति अवश्य होनी चाहिये। यह बात दूसरी ह कि माननीय मंत्री जी बड़े सुन्दर शब्दों में संस्कृति के ऊपर भाषण दे दें और उनके पीछे जो बैठने वाले हैं उनकी तारीफ में वाहवाही कर दें, लेकिन मैंने तो हृदय को टटोलने की कोशिश की तो मुझे अध्यापकों के लिये वहां कोई वास्तविक चीज नहीं मिली।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इस बात का संदेशा इस हाउस के अन्दर रखना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर अध्यापकों के लिये कुछ भी नहीं किया गया है।

माननीय चिन्तामणि सरीखे विद्वान् के दो-चार बोर्ड सरीखे उत्पन्न पुत्र को ही यहां नये ढंग से उपस्थित कर दिया गया है। आज जब संशोधन किया जा रहा है तो मैंने व्यग्रता के साथ सोचा और इस बिल के अन्दर ढूंढने की कोशिश की कि शायद कुछ मिले, लेकिन मैं देखता हूं कि इस बिल के अन्दर ऐसी कोई बात नहीं है। जब मांग पैरिटी आफ स्केल की होती है तो कितनी लाइट हार्टेडली उधर के पक्ष के लोग बात करते हैं। उधर से माननीय रामेश्वरप्रसाद जी जवाब देने के लिये तैयार बैठे हैं, वे कहेंगे .....

श्री अध्यक्ष—जो सदस्य बोला ही नहीं है उसके होने वाले भाषण की कल्पना करके उसका आप जवाब नहीं दे सकते।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अगर अधिक बोलने को बाकी नहीं रहा हो तो किसी काल्पनिक भाषण का जवाब देने के लिये एक नये सदस्य का जो बोला न हो उसका नाम लेकर जवाब मत दीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जो टेंडेंसी है डिबेट की चाहे सिद्धांत की बात हो, चाहे संविधान में जो ईक्वेलिटी की बात है उसकी बात हो फिर भी लोग तैयार बैठे हैं कुछ कहने को, कुछ कहना जरूरी है .....

श्री अध्यक्ष—मैंने इशारा किया कि आप इस बात का जिक्र बार-बार नहीं कर सकते।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं इसके महत्व तक जाना चाहता था। यह जो संशोधन है गौरीशंकर राय जी का यह वर्बल या साधारण नहीं है, यह मूलभूत है। कृपया शिक्षा मंत्री जी अपने हृदय को इस पर स्पष्ट करें कि मेडिकल फेसिलिटीज, अदर एमिनेटीज को जो कहा गया है उस सम्बन्ध में अवधि काल बतला दें, जिस समय तक वे कार्यान्वित हो सकेंगी। इस बिल में न सही, दूसरे प्रकार के बिल अगर उनके मस्तिष्क में आने वाले हैं तो उनमें ही सही, किस प्रकार से इन मूलभूत बातों को लाने के लिये वे अग्रसर हैं और उनके लिये मैं स्पष्ट घोषणा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह संशोधन प्रस्तावक महोदय के द्वारा प्रेस किया जाना चाहिये और अगर वे विद्ड्रा करें तो यह विश्वास करके विद्ड्रा करें कि मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करेंगे और वह हृदय से निकली हुई होगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं यह सोच रहा था कि मैं स्पष्ट कुछ कर दूं तो शायद वादविवाद ही समाप्त हो जाय। इस विचार से मैं खड़ा हुआ हूं। जहां तक गौरी शंकर राय जी के इस संशोधन का प्रश्न है मैं, मान्यवर, यह कह सकता हूं कि जिस रूप में यह है उसको स्वीकार करना हमारे लिये संभव नहीं है इस समय, परन्तु सिद्धान्तरूप में उनके इस प्रस्ताव से और उनका जो सुझाव रहा है उससे सहमति प्रकट करता हूं और उसे स्वीकार करता हूं और वह इसलिये कि सरकार की ओर से अनेक बार यह कहा जा चुका और बार-बार यह कहा गया है कि सिद्धान्ततः हम यह मानते हैं कि जो डिस्पैरिटी है वह दूर होनी चाहिये। हमारे अध्यापकों में डिस्पैरिटी का मतलब है—वैसे तो डिस्पैरिटी तो पे आफ स्केल्स में होती ही है, टीचर्स का एक स्केल है, एल० टी० का एक ग्रेड है, प्रिन्सिपल का एक ग्रेड है, यह सब डिस्पेरिटी है लेकिन डिस्पेरिटी का जहां तक उनका मतलब है, कि इंटरमीडियट कालेजेज में जो सरकारी इंस्टीट्यूशन्स के टीचर्स के ग्रेड हैं वही ग्रेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स यानी गवर्नमट एडेड जो इंस्टीट्यूशन्स हैं उनमें हों। आज गवर्नमेंट की ओर से एक अनिवार्य स्केल लगा हुआ है जिस स्केल के मुताबिक हम टीचर्स को तनख्वाह देते हैं, लेकिन उस स्केल और सरकारी स्कूलों के स्केल में अन्तर है, वह अन्तर मिटे, यह उनका डिस्पेरिटी से मतलब है। तो इस अन्तर को मिटाने के सिद्धान्त को हम स्वीकार कर चुके हैं।

हम अनेक बार, मान्यवर, इस सदन के बाहर अध्यापकों के सम्मेलन में, हर जगह इस बात को स्वीकर कर चुके हैं कि सिद्धान्ततः यह भेद शीघ्र से शीघ्र मिटना चाहिये। फिर स्वीकार करके हम नहीं बैठे हैं। मैं हाउस को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि सिद्धान्त को स्वीकार करके हम उस दिशा की ओर अग्रसर हैं। उसमें बहुत कुछ विचार किया है, बहुत कुछ विचार करना है और कई दहलियों को पार करके कुछ निर्णय हो सकेगा।

एजूकेशन की स्टैंडिंग कमेटी में पिछली बार बैठक में इस पर विचार हुआ, उसने सुझाव दिये, कुछ स्केल भी दिये ताकि डिस्पेरिटी जहां तक हो सके मिटे और उस पर सरकार विचार कर रही है। आज इस अवसर पर मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि क्या निर्णय हो वह मैं घोषित कर सकूं। मैं यह अवश्य कह सकता हूं कि उस दिशा में सक्रिय रूप से हम विचार कर रहे हैं और इस बात की चेष्टा में लगे हुए हैं कि जिस बात को मूलतः सिद्धान्त रूप में हम स्वीकार करते हैं इसे यथासम्भव कार्यान्वित भी करें और यथाशीघ्र करें। इस स्थिति में आज नहीं हूं अवश्य कि मैं यह कह सकूं कि किस निर्णय पर हम पहुंचें, क्योंकि निर्णय अभी बाकी है उसमें।

एक बात और कि कोई स्केल आफ पे हमने कहा तो उससे डिस्पेरिटी दूर हो सकेगी, जैसा कि हम सब को उम्मीद करनी चाहिये कि वह पूरी-पूरी दूर होगी या बड़ी सीमा तक दूर होगी, तो उस स्केल आफ पे में वह चीज आ जायेगी क्योंकि स्केल रेगुलेशन से बनेंगे और स्केल वही होंगे जिनसे कि इंस्टीट्यूशन तो खैर क्या, सरकार एक प्रकार से निश्चित करेगी कि यह स्केल कर दिया जाय, तो उसमें वह चीज आ जायेगी और यही कहने का मतलब था जगदीशशरण जी का, यही उनका कहना था कि जिस दिन आपका निर्णय होगा, उस दिन उसमें वह चीज आ जायगी। आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में यह दम नहीं है कि हम यहां से एलान कर दें कि तुम डिस्पेरिटी मिटा

दो, तो वह उसे कर देंगे । उनमें वह शक्ति आज नहीं है कि वह अपने टीचर्स की उतनी बढ़ा सकें जिससे कि डिस्पेरिटी मिट जाय । उसके लिये तो सरकार को निर्णय करना होगा, उसके मुताबिक उतना रुपया इंस्टीट्यूशन को देने के लिये तैयार होना होगा । यदि सरकार को रुपया न देना हो तो आज सरकार स्केल निश्चित कर दे और कह दे कि डिस्पेरिटी दूर कर दो, यह स्केल दो । जिस दिन सरकार यह कहेगी उसी दिन उसी के मुताबिक उतना रुपया सरकार को देना पड़ेगा । आज यह कह दें कि डिस्पेरिटी दूर कर दो और सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय न करे, कोई रुपया उनको न दे तो फिर यह कानून में रिडेंडेंट पड़ा रहेगा । उसमें तो यह चीज निहित है कि आप जो स्केल तय करेंगे वही स्केल वह देंगे । वह स्केल डिस्पेरिटी दूर करने वाला हो इस विषय में गवर्नमेंट विचार कर रही है । किस सीमा तक उसमें हम सफल होंगे यह मैं आज नहीं कह सकता । ऐसी स्थिति में मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस विषय पर विवाद करने की आवश्यकता अधिक नहीं है । मूल रूप से वह चीज स्वीकार्य ही है कि इस डिस्पेरिटी को मिटाने की चेष्टा होनी चाहिये और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि माननीय गौरीशंकर राय जी यह उचित समझेंगे कि वह हमको इतना समय कम से कम दें । स्केल में वह चीज आ ही जायेगी । डिस्पेरिटी को दूर करने की चेष्टा हम कर ही रहे हैं । सरकार को समय दें । वह शीघ्र से शीघ्र इस विषय में कोई न कोई निर्णय लेगी और जिस सीमा तक भी सम्भव होगा वह इसके लिये प्रयत्न करेगी । यही कहने के लिये मैंने आदरणीय अध्यक्ष जी से अवसर मांगा बीच में, कि शायद मेर कहने से बहुत कुछ विवाद समाप्त हो जाय ।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, नीयत ठीक है, काम में ढिलाई है । आपकी आज्ञा स म गौरीशंकर राय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं । मैं माननीय मन्त्री जी से केवल यह निवेदन करूंगा कि इसमें केवल स्केल आफ प के सिलसिले में ही नहीं, इस धारा में बहुत से कामों के लिये नियम बनाये जायेंगे ।

उस रूल, रेगुलेशन में श्रीमन्, मुझे एक बात याद आ गई, आप मुझे क्षमा करेंगे अभी-अभी गवर्नमेंट का जो हैंडीक्राफ्ट विभाग है उसके एक कर्मचारी का ट्रांस्फर किया गया यहां से मद्रास । तो श्रीमन्, उसमें ट्रांसफर करने के लिये भी नियम बनाये जायंगे और छुट्टी के लिये और दूसरी सुविधाओं के लिये भी नियम बनेंगे । तो क्या कठिनाई है मन्त्री जी को ? अगर मन्त्री जी करना चाहते हैं और डिस्पेरिटी दूर करने के लिये वादा भी कर चुके हैं और नीयत भी है तो इसके साथ क्या यह भी नहीं है कि जो अध्यापक आज बलिया में है वह कल मेरठ ट्रांसफर कर दिया गया, या मेरठ से कहीं और दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाय जैसा कि इसी धारा में आपने जिक्र किया है कि यह भी आप करेंगे तो उसमें वह बीमार भी पड़ेगा, आने-जाने का मार्ग-व्यय भी पड़ेगा । तो क्या कठिनाई है उनको इसमें कि वह मेडिकल सुविधायें उनको मिलें या दूसरी सुविधायें जो हो सकती हैं वह दी जायं । श्रीमन्, यह बड़ा आवश्यक है उन गरीब अध्यापकों के लिये जिनकी कोई निश्चित पे नहीं है । यह सही है कि गवर्नमेंट स्कूल में दूसरे प्रकार का स्केल दिया जाता है और प्राइवेट स्कूलों में दूसरे प्रकार का । तो मैं चाहूंगा कि अगर आप डिस्पेरिटी की बात करते हैं तो फिर मेडिकल की सुविधायें मान ली जायं । नियम बनाते समय कम से कम जैसे तनख्वाह देने के लिये नियम बनायें वैसे ही यह भी सोचें कि वह भी इनसान हैं उनको भी खाने पीने की जरूरत है । तो उनकी भी दवा-दारू का प्रबन्ध हो । इन शब्दों के साथ मैं माननीय गौरीशंकर राय जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी का उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—उत्तर तो बाद में मिलेगा । दो दफा से ज्यादा वह नहीं बोल सकते, एक दफा वह बोल चुके हैं ।

*श्री गौरीशंकर राय—पहले कुछ बता दें तो कुछ ठीक रहता ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रस्ताव वापस लेने की बात है मैं इसलिये वापस नहीं लेता क्योंकि यह सिद्धान्त का प्रश्न है । आश्वासन मंत्री जी ने दिया मेरा विश्वास है वह आश्वासन उन्होंने बड़ी ईमानदारी और बड़े उत्साह के साथ दिया है और इसमें संदेह नहीं मन्त्री जी व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि डिसपेरिटी दूर हो जाय । लेकिन उसमें एक बात आप की आज्ञा से निवेदन कर दूं "दि स्केल आफ पे" और "पेमेन्ट आफ सैलरी" में अन्तर है । स्केल आफ पे के बारे में वे कहते हैं कि वह बाद में किया जायेगा । लेकिन मैं यह चाहता था कि इसी समय स्पष्ट हो जाता, क्योंकि पे आफ स्केल से मतलब बड़ा अस्पष्ट रह जायगा कि उसमें क्या होगा ।

एक बात मैं आपकी आज्ञा से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इसका इस बिल में प्राविजन कर दें, इस बात को मान लें और इस बात के लिये मैं समझता हूं सदन मानने को तैयार होगा कि वह यह कह दें कि इसके अन्दर एक प्राविजन रहे और इसका एग्जीक्यूशन ८ महीने, १० महीने बाद करें । यह अगर कह दें कि बजट वर्ष के बाद अगले वर्ष से करने वाले हैं, लेकिन इसमें तो इसकी व्यवस्था कर दें । जब इतनी चेष्टा है, इतनी बार वायदे किये सम्मेलनों में, इतना बड़ा प्रयास सरकार का है तो निश्चित रूप से सफल होगा । तो इसमें इसका प्रोविजन कर दें और इस बात की घोषणा कर दें कि ६ महीने, ८ महीने या एक साल बाद इसका एग्जीक्यूशन होगा, तो हमारा काम चल जायेगा । लेकिन उसके लिये भी एक निश्चित समय होना चाहिये ।

मेडिकल फैसिलिटीज की जो बात है वह पहले भी मैंने कही थी और अभी हाल में एक प्रश्न पूछा था कि पिछले वर्ष राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात की चर्चा थी कि गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों की भांति मेडिकल सुविधायें दी जायंगी । वह भी अभी नहीं हुआ है और मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष राज्यपाल के अभिभाषण की बात पर पिछले ही वर्ष से अमल हो जाना चाहिये था । इस बार के बजट में भी इसकी कोई चर्चा नहीं है । इसलिये मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि सिद्धान्त की जो बातें मान ली गयी हैं, जिनकी घोषणा हो गई है, उनके व्यवहार के सम्बन्ध में नीति घोषित हो गई है, उसके व्यवहार में क्या कठिनाई हो रही है ? मन्त्री जी कृपया उत्तर में बतायेंगे । मुझे इस बात से तो प्रसन्नता है कि मन्त्री जी ने आश्वासन दे दिया । लेकिन इतनी प्रसन्नता अध्यक्ष महोदय, पिछले १० महीने से हमको मिल रही है और इतनी बात बराबर सुनने में आ रही है । तो मैं चाहूंगा कि मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में अपने विचार स्पष्ट कर देंगे और दूसरी सुविधाओं के बारे में, जो उन के विचार में हों, सफाई देंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

*श्री कैलाशप्रकाश—अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी अभी स्पष्ट कर चुके हैं कि जहां तक सिद्धान्त का सम्बन्ध है वह आज से नहीं काफी दिनों से इस बात से सहमत हैं और कह चुके हैं कि वह सिद्धान्त हमें स्वीकार है और उसे स्वीकार करके हम बैठे नहीं हैं बल्कि उसे कार्यान्वित करने के लिये अग्रसर हैं और प्रयत्नशील हैं । शायद श्री गौरीशंकर राय जी ने उनकी बात सुनी नहीं । उन्होंने कहा कि काम करने के लिये कई ड्योढ़ियां पार करना पड़ती हैं, कुछ कर चुके और कुछ अभी पार करना बाकी हैं । इसलिये जहां तक सिद्धान्त की बात है वह माना जा चुका है, वह मेडिकल फैसिलिटीज देने के बारे में भी स्वीकार हो चुका है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसके अतिरिक्त जो संशोधन है और वह जिस रूप में रखा गया है, वह कानूनी दृष्टि से भी ठीक नहीं है। पहली बात यह है कि उन्होंने कहा कि डिसपेरिटी न रहे, तो किस चीज की डिसपेरिटी न रहे ? यह ठीक है कि इसका मतलब हम और आप समझ रहे हैं और उसको समझकर बात-चीत कर रहे हैं लेकिन अगर हम इसको कानून में रहने देते हैं तो प्रश्न यह होता है कि डिसपेरिटी किस चीज की ? कोई न कोई चीज तो होना चाहिये कि किसकी डिसपेरिटी की बात है लेकिन संशोधन में कहीं यह चीज उन्होंने साफ नहीं की है कि किस चीज के साथ डिसपेरिटी हो या न हो। वह चीज उन्होंने साफ नहीं की कि किस चीज की वह पेरिटी चाहते हैं ? न कहीं कोई परिभाषा ही उस की उन्होंने बतायी है।

दूसरी बात उसमें मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में है। मन्त्री जी यह बात कह चुके हैं और महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन में भी था कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जायं लेकिन यह जो रेगुलेशन्स हैं वे बना भी दिये जायं तब भी उनको पूरा करने की जिम्मेदारी उन संस्थाओं की ही तो होगी जिनकी वह लोग सर्विस में हैं। हम तो रेगुलेशन बना देंगे कि यह सब चीजें प्राइवेट संस्थाओं के टीचर्स को दी जायं। लेकिन मेरे खयाल में श्री गौरीशंकर राय जी स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमारे अधिकतर प्रबन्धकों के वश की यह बात नहीं है कि वे अपने यहां टीचर्स को मेडिकल फैसिलिटीज दे सकें। मेंडेटरी करना कहां तक ठीक होगा जब कि हालत यह है कि आज वह समय से सेलरी ही नहीं दे पाते, इन्क्रीमेंट नहीं दे पाते तो वह मेडिकल फैसिलिटीज क्या प्रदान कर सकते हैं ? इसलिये इस सिद्धान्त को स्वीकार करने के बाद भी यह स्थान इस चीज के लिये उचित नहीं है, यह यहां फिट इन नहीं करता और लीगली भी ठीक नहीं बैठता। गवर्नमेंट जब इस पोजीशन में होगी तो वह अपनी ओर से ही इनिशियेट करेगी और जिस तरह से दूसरे लोगों को फैसिलिटीज हैं वे टीचर्स को भी मिलेंगी। आज हमारे जो इन संस्थाओं में एम्प्लायर्स हैं वे इस पोजीशन में नहीं है कि वे उनको ये सहूलियतें दे सकें। उनको भी देने से इन्कार नहीं है लेकिन उनकी शक्ति में नहीं है कि दे सकें। इसलिये यह अभी लागू नहीं हो सकता। आशा है कि श्री गौरीशंकर राय जी मंत्री जी के आश्वासन के बाद इसे वापस ले लेंगे, अगर उन्होंने वापस नहीं लिया तो मुझे जरा यह काम कड़वा लगता है कि किसी मेम्बर की बात को मैं न मानूं लेकिन बात यह है कि यहां पर यह संशोधन कुछ जंचता नहीं, इस वास्ते मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16-G की उपधारा (2) के भाग (b) का शब्द "and" निकाल दिया जाय तथा शब्द "salaries" के पश्चात निम्नलिखित शब्द रख दिये जाय :—

"removal of disparity in salaries, medical facilities and other amenities"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—३२,
विपक्ष में—१०२।)

*श्री जगवीर सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16-G की उपधारा (3) के भाग (a) की पंक्ति १ में शब्द "may" के स्थान पर शब्द "shall" रख दिया जाय तथा पंक्ति २ के शब्द "dismissed" तथा शब्द "from" के बीच में शब्द "or suspended or compulsorily retired" रख दिये जायं।

श्रीमन्, मुझे इस संशोधन के बारे में केवल एक ही बात कहनी है, वह यह कि जहां "में" के स्थान पर "शैल" किया है तो इससे ज्यादा वजन बढ़ जाता है और जहां और सस्पेंडेड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगवीर सिंह]

और कम्पलसरिली रिटायर्ड की बात है वह यह कि उपधारा ३-ए इनकम्पलीट रह जाता है क्योंकि इसमें साफ जाहिर होता है कि प्रिंसपल, हैडमास्टर या टीचर को दंड देने की नीयत नहीं है तो मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस निर्दोष संशोधन को जरूर मान लेंगे। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुःख के साथ इस संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। इस संशोधन का विरोध मेरा शाब्दिक नहीं बल्कि सैद्धांतिक है। मेरा अपना विचार तो यह है, जिसे मैं सेलेक्ट कमेटी का मेम्बर होने के नाते कदाचित इस समय व्यक्त नहीं करना चाहता था, कि १६—जी धारा इसमें होनी ही नहीं चाहिए थी। उसका, श्रीमन्, यह कारण नहीं था कि मैं किसी तरह से यह चाहता हूं कि हमारे शिक्षक वर्ग की सुविधाओं में किंचित् मात्र भी कमी आये। लेकिन, श्रीमन्, मैं यह अवश्य चाहता हूं कि हमारी शिक्षा संस्थाओं में अनुशासनहीनता न बढ़ जाय। अगर इतिहास की ओर देखा जाय तो पता लगेगा कि जब जब डुअल कंट्रोल दिया गया है तब तब उसका परिणाम यह हुआ है कि अनुशासनहीनता आयी है।

श्रीमन्, कल माननीय मंत्री जी ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का जिक्र किया तो जिन सुन्दर शब्दों में उन्होंने उन सारे व्यक्तियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उस समय जब कि सरकार सारी शिक्षा का भार अपने ऊपर नहीं ले सकी इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया और हमारे प्रदेश की एक बड़ी जरूरत को पूरा किया वह ठीक था। लेकिन इस संशोधन से ऐसा लगता है कि उन प्राइवेट इंस्टीट्युशंस के संचालकों के ऊपर घोर संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस भावना के आधार पर बना हुआ कोई भी नियम हमारी शिक्षा के स्तर को ऊंचा नहीं कर सकेगा।

इस संशोधन में दो बातों की मांग की गयी है। एक तो यह कि सस्पेंशन का अधिकार मैनेजमेंट को न हो। दूसरा कम्पलसरी रिटायरमेंट का अधिकार न हो। श्रीमन्, जहां तक कम्पलसरी रिटायरमेंट की बात है यह तो एक काल्पनिक आशंका है। एक ऐसी बात जिसका कहीं अस्तित्व ही नहीं है मैंने जब यह संशोधन देखा तो एजूकेशन कोड को और सम्बन्धित नियम, उपनियमों को देखने की चेष्टा की लेकिन बड़ी खोज के बाद भी नहीं पा सका कि कहां अधिकार दिया गया है किसी मैनेजमेंट को कम्पलसरी रिटायमेंट करने का। यदि ऐसा अधिकार नहीं है तब इस संशोधन को लाने का सवाल ही कैसे पैदा होता है ?

दूसरी बात सस्पेंशन की है। यह ध्यान रखते हुए कि १६—जी धारा इसमें नहीं आनी चाहिए और उसके आने से शिक्षक वर्ग जिनके स्तर को ऊंचा करना इस विधेयक का उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा, इस विचार को रखते हुए भी मैं नहीं चाहता था कि १६—जी का विरोध करूं। परन्तु संशोधन का इसलिये विरोध करना चाहता हूं कि इसमें तो सीमा को लांघा जा रहा है। इसमें यह मांग की जा रही है कि जिस मैनेजमेंट को काम चलाना है उनको आप इतना भी अधिकार नहीं देना चाहते कि यदि वे समझें कि इंस्टीट्यूशंस के हित में ऐसा उचित है तब वे सस्पेंशन भी कर सकें। श्रीमन्, यह सस्पेंशन का अधिकार कोई एबसोलूट अधिकार तो है नहीं। सस्पेंशन लफ्ज के मानी यह है कि टेम्पोरेरी पनिशमेंट है। जो मैनेजमेंट इतना भी समर्थ न हो कि आवश्यकता पड़ने पर टेम्पोरेरी पनिशमेंट दे सके, वह कैसे अनुशासन पैदा कर सकेगा, वह कैसे उसका दायित्व पूरा कर सकेगा ? मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि इस विधेयक में कई जगह ऐसा लगता है कि इसमें शिक्षा संस्थाओं के संस्थापकों के ऊपर बड़ी संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। यह ठीक है कि आज हमारे प्रदेश में ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसमें दुर्व्यवस्था हो। लेकिन यह भी सत्य है कि आज ऐसे प्राइवेट ऐडेड इंस्टीट्यूशन्स हैं जिनकी व्यवस्था इतनी सुन्दर है कि जिनके मुकाबले में सरकारी स्कूलों की भी व्यवस्था नहीं है।

तो हम ऐसे वर्ग को जिसने प्रदेश के गाढ़े समय में, आवश्यकता के समय में और ऐसे समय में जब सरकार उनके बोझ को अपने ऊपर नहीं संभाल सकती थी, तब इन शिक्षा संस्थाओं को संभाला। अगर हम उनसे अप्वाइंटमेंट का अधिकार छीन लेते हैं, अगर हम उनसे वह अधिकार छीन लेते हैं जिससे उनको फाइनल जजमेंट का अधिकार है, जिसके अनुसार सर्विस के टरमिनेट करने का अधिकार है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह उचित नहीं होगा और यह सर्वथा अनुचित होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर उनको ससपेन्शन करने का अधिकार नहीं दिया जायगा तो जो तुरन्त की स्थिति में उनको डील करनी पड़ती है और जिसकी वजह से और जिसके आधारवश उनको ससपेन्शन की बात करनी पड़ती है उस स्थिति पर काबू नहीं पा सकते हैं। ससपेन्शन करने के लिये उनको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उतने समय को कि जितने समय में ऊपर के अधिकारी से उसकी अनुमति आ जाय। मेरा ऐसा विश्वास है कि वह अनुमति इतने समय में प्राप्त होगी कि तब तक वह स्थिति काबू के बाहर हो जायगी। इस वजह से अनुशासन को बड़ा धक्का लगेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को पेश करने वाले महोदय कृपया इसको सोचें और देखें कि वह उस सीमा को लांघ रहे हैं जो मैंने बताई। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं शिक्षकों के संबंध में सेक्योरिटी आफ सर्विस रहे और उनकी सर्विस का पूरा संरक्षण रहे। आपकी बातों के आधार पर कहीं ऐसा न हो जाय कि सारी संस्थाओं में ऐसा अनुशासन पैदा हो जाय, जिससे उनका स्तर गिर जाय .....

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखियेगा।

सिंचाई कर्मशाला मंडल, कानपुर, के कृषि अभियन्ता द्वारा दिये गये कार्य में गबन की शिकायत से सम्बन्धित ११ अगस्त, १९५८ के प्रश्न ३१—३३ के विषय पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब सिंचाई कर्मशाला मंडल के अन्तर्गत मध्य क्षेत्र कानपुर की ५४ तक की बैलेन्स शीट व उक्त क्षेत्र के कृषि अभियन्ता द्वारा श्री भारत इन्डस्ट्रीज, कानपुर को दिये गये कार्य में गबन या कमी की शिकायतों से सम्बन्धित श्री रामस्वरूप वर्मा के ११-८-५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१-३३ पर माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ४२(१) के अन्तर्गत विवाद होगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर आध घंटे का समय विवाद के लिये प्रदान किया है। श्रीमन्, अगर मैं कुछ बढ़कर न कहूं और इसको संक्षेप में ही कहूं तो यह कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमारी लोक सभा में मूंधड़ा कांड की गूंज गूंजी थी उसी प्रकार का यह प्रश्न भी है। आज जो बातें मैं इस माननीय सदन के सदस्यों के समक्ष रखने जा रहा हूं उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि यह साफ गबन का केस है। उस केस को लोक सभा में श्री फिरोज गांधी ने रखा था जो सौभाग्य से प्रधान मंत्री के दामाद हैं। यहां पर मैं इस केस को रख रहा हूं और वह इंजीनियर श्री फिरोज गांधी के बड़े भाई हैं जो इस वाकये के जिम्मेदार हैं। कानपुर में इस वक्त कृषि इंजीनियर के पद पर सिंचाई विभाग में वह काम कर रहे हैं। बस यही फर्क है। इस वजह से मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनें और सरकार से भी गम्भीरता-पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे इन सब बातों को ध्यान से सुनने की कृपा करें और सुनकर शीघ्र ही इस पर कार्यवाही करें क्योंकि यह ऐसा मसला है जो तमाम विभागों में फैल सकता है और खासतौर से जो सिंचाई विभाग है उसमें और भी ज्यादा गड़बड़ फैल सकती है जिससे फिर यहां पर शिकायतें आ सकती हैं।

श्रीमन्, यह घटना किस प्रकार से हुई इसको मैं संक्षेप में सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी के उस दिन के उत्तर से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह गबन है या न हीं।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

तो श्रीमन्, घटना यूं है कि ऐसा पता लगता है कि १९५०–५१ में सिंचाई कर्मशाला मण्डल मध्य क्षेत्र से यह १६,००० फीट पाइप जो ८०० लेन्थ थीं २०, २० फीट की, यह मसर्स भारत इंडस्ट्रीज, कानपुर के पास भेजा गया और उस के बाद वह वापस आया। यह साधारण सा स्टेटमेंट है, लेकिन, श्रीमन्, अगर आप देखें कि किस तरह से यह भारत इंडस्ट्रीज के पास भेजा गया और किस तरह से उन्होंने एकाउन्ट मेन्टेन किया, तो जो कुछ देखने को मिलता है उस से स्पष्ट हो जायगा कि इसमें गबन हुआ।

पहली बात तो यह है कि ८०० लेन्थ पाइप २०, २० फीट का इतना होता है कि जिस को ढोने के लिये २०, २५ ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब सिंचाई कर्मशाला मण्डल से १६,००० फीट पाइप गया तो उसके लिये कुल एक ट्रक लिखा गया। नियम यह है कि जब कोई माल बाहर जाय तो जिस ट्रक से वह बाहर जाता है उसको गेट पास दिया जाता है कि कौन सा सामान गया। २४, २५ ट्रकों की जरूरत उसे ढोने के लिये पड़नी चाहिये थी, लेकिन एक भी गेट पास ईश्यू नहीं हुआ।

दूसरी बात यह कि उसके उठाने धरने में जो खर्च होता है उसका कहीं कोई इंदराज नहीं है। मेजरमेंट की बुक्स होती हैं, उनमें लिखा जाता है कि कितना माल उठाया गया और उस के लिये कितना लेबर एंगेज किया गया। लेकिन उसका न कोई मेजरमेंट है और न कोई खर्च।

तीसरी बात, श्रीमन्, यह है कि १९५०–५१ के बाद १९५२ में जब वर्तमान इंजीनियर साहब ने श्री बी० एम० शर्मा साहब से चार्ज लिया तो उन्होंने अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिये चार्ज में यह लिखा कि मेसर्स भारत इंडस्ट्रीज को यह ८०० लेंथ पाइप दिया गया है, उसका वेरीफिकेशन करा लेना और चार्ज मेमो में उन्होंने लिखा कि "हैवी शार्टेजज आर एक्सपेक्टेड"। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को दूर हटाने के लिये यह किया और उनको मालूम था कि इसमें शार्टेज है और कुछ गोलमाल शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने ऐसा लिख दिया। इस के बाद भी वर्तमान इंजीनियर महोदय ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और १९५०–५१ से ले कर.....

श्री अध्यक्ष—आप यह सब बात जिम्मेदारी ले कर कह रहे हैं ?

श्री राम स्वरूप वर्मा—जितनी सूचना जिम्मेदारी की हो सकती है उसके साथ में कह रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि इस के सब ओरिजिनल डाकूमेंट्स हैं। अगर माननीय मंत्री जी उनको दिखा देंगे तो मामला खत्म हो जायगा। लेकिन जहांतक मुझे यकीन है जो मेरी सूचना है वह सही है। मुसीबत यह है कि मैं सरकारी पक्ष का नहीं हूं। मेरे पास डाकूमेंट नहीं हैं, लेकिन जो सूचना मिली है वह विश्वस्त सूचना है और कोहरेन्ट तरीके से सूचना प्राप्त हुई है कि जिसमें कोई संभावना नहीं रह जाती उसके झूठ होने की। यह बिलकुल सच है।

श्रीमन्, चौथी बात मैं यह कह रहा था कि चार्ज लेने के बाद वर्तमान इंजीनियर साहब ने इसके सम्बन्ध में कोई जांच-पड़ताल नहीं की। इसके अलावा सामान का वार्षिक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। उस समय असिस्टेंट इंजीनियर क्यू० एच० नकवी साहब थे। उन्होंने उसका फिजिकल वेरीफिकेशन १९५५ तक किया। हर साल हुआ और यह लिखा गया कि यह सामान पूरा है। उन्होंने शार्टेज का कभी पता नहीं चलाया। जब १६,००० फीट का फिजिकल वेरीफिकेशन होता है तो उसको उठाने रखने के लिये मजदूर लगे होंगे, लेबर एंगेज किया गया होगा और उसको पेमेंट किया जाता है। साल ब साल उसके उठाने रखने के लिये लेबर एंगेज किया गया उसके वेरीफिकेशन के लिये, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी उसका हिसाब दिखा दें तो मैं मान लूंगा।

दूसरी बात यह कि जब १९५५ में श्री पी० एन० भटनागर, एस० एम० आई० ने उसका फिजिकल वेरीफिकेशन किया तो १९५६ में उन्होंने कहा कि शार्टेज इतनी है, लेकिन उन्होंने कहा कि शार्टेज बहुत लम्बी है और उसके फलस्वरूप उन्होंने जितना लेबर एंगेज किया उस का पेमेंट तथा उस के साथ उसकी नापतौल उन्होंने लिखी। तो यह भी मैं नहीं मान सकता कि इंजीनियर साहब ने जो मुझसे कहा कि कच्चा और पक्का चिट्ठा बनता है। तो कच्चे चिट्ठे में चढ़ा लिया करते हैं, पक्के चिट्ठे में नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन सरकारी विभाग में कहीं कच्चा पक्का चिट्ठा होता नहीं है। यह जरूर सुनते थे कि सेल्स टैक्स को बचाने के लिये कच्चे पक्के चिट्ठे व्यापारी लोग लिखा करते हैं लेकिन यह समझ में नहीं आता कि सरकारी विभागों में यह कैसा कच्चा पक्का चिट्ठा लिखा जाता है। जब कि वह पाइप मेसर्स भारत इंडस्ट्रीज को भेजा गया था और जब उसके बाद वह वापस आया तब कोई उसका वेरीफिकेशन नहीं हुआ है। यह भी एक बेईमानी का सबूत है और यह साबित होता है कि गबन किया गया है।

एक बात और, जब फिजीकल वेरीफिकेशन १९५५–५६ में हुआ तो पता लगा और इसकी रिपोर्ट दी गयी। इसके बाद चार इंक्वायरी कमेटीज बैठीं और सभी इंक्वायरी कमेटीज की यह राय हुई कि जान पड़ता है कि इसमें गबन हुआ है। अभी हाल में शायद मैंने सवाल किया उस सम्बन्ध में जब इंक्वायरी हुई होगी उसके सिलिसिले में जो इंजीनियर हैं उन्होंने कहा कि यह असंभव है कि १६,००० फीट पाइप कटिंग में चला गया। श्रीमन्, अगर उनकी दस्तखती रिपोर्ट को माननीय मंत्री जी दिखा दें तो मैं उसको मान सकता हूं। लेकिन विभाग के इंजीनियर साहबों ने पूरा हिसाब लगा दिया कि कोई कमी नहीं है। फिर भी कृषि इंजीनियर, मध्य क्षेत्र, कानपुर कहते हैं कि कमी है। इसके बावजूद कहा जाता है कि पूरा पाइप आ गया; कृषि इंजीनियर, मध्य क्षेत्र, कानपुर कहता है कि कटिंग में इतना जा ही नहीं सकता। यह तो नहीं हुआ नाव नाव मुद्दयी आवें, पैरत आवें साखी।

आज तक स्टोर में इंदराज इसका नहीं हुआ। मेजरमेंट बुक में इंदराज नहीं हुआ और न कहीं यह लिखा है कि कितने कट पीसेज थे।

श्री अध्यक्ष—आप संक्षेप में कहें। नहीं तो समय यों ही समाप्त हो जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, यह मामला ही ऐसा है। जहां तक हो सकता है म कम से कम कह रहा हूं। श्रीमन्, लेजर में दो साइड्स होती हैं। बायीं तरफ रिसीट लिखा रहता है और दायीं तरफ इश्यू लिखा रहता है। जिस जगह इश्यू की ऐन्ट्री है वहां का सफा मालूम होता है फाड़ डाला गया है। वह पन्ना नहीं है। जरा इसको देख लिया जाय। मंत्री जी इसको देख लें। मेरी जो सूचना है वह यह है कि वह पन्ना गायब है। इश्यू साइड में ८०० लेन्थ है और रिसीट में १२१ लेंथ है। तो २,४२० फीट पाइप लौटा है और १३,५८० फीट पाइप का कहीं हिसाब नहीं है। मंत्री जी ने जवाब दिया कि स्टोर में प्राप्त हो गया। जब कच्चा पक्का चिट्ठा रहता है तब तो हिसाब लग नहीं सकता लेकिन अगर एक ही लेजर है तो माननीय मंत्री जी जरा इसको देख लें कि इस १३,५८० फीट पाइप का कहीं जिक्र तक नहीं है। कोई भी चीज इंडेन्ट के जरिये से जाती है और इनवाइस के जरिये से जाती है और जब वह चीज आ जाती है तो उसको वेरीफाई कर लेते हैं। जब काटने के लिये पाइप गया और वह कहते हैं कि काटने में चला गया और डिसपोजल का पाइप था वह ज्यादा कम हो गया तो उसके इंडेन्ट और इनवाइस भी तो होने चाहिये। ८०० लेंथ पाइप गया जो कि १६,००० फीट की लम्बाई का था। उनमें से जो कटा होगा तो मानी हुई बात है कि कोई ८ फीट का होगा, कोई ७ फीट का होगा, कोई १० फीट का होगा। और जब वह चढ़ाया जाता तो स्वाभाविक है कि नापतौल करके उसे चढ़ाया जाता कि हमारा पाइप ८ फीट का इतना है, ७ और ७ १/२ फीट

[श्री राम स्वरूप वर्मा]

का इतना है, इस हिसाब से १३,५८० फीट पाइप छोटे छोटे हिस्से मे आये। लेकिन उसका कोई मेंजरमेंट सरकार के पास नहीं है। ६७९ लेन्थ पाइप कहां गया और केवल १२१ लेंथ पाइप ही आया। उसका कोई भी हिसाब कागज पर नहीं रक्खा गया है।

श्री अध्यक्ष—अब आप उनको जवाब देने दें क्योंकि समय कम रह गया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, मुझे एक बात और कहनी है, दो तीन मिनट में कह दूंगा। वहां पर नापतोल का कोई मेजरमेंट नहीं है। दूसरी बात, श्रीमन्, यह कही गयी कि चूड़ी काटने के लिये वह गया तो उसमें कमी हो गयी क्योंकि काटने में काफी हिस्सा निकल गया है। श्रीमन्, चूड़ी काटने के बाद जो नीचे गिरता है या बचता है उसको स्क्रैप कहते हैं लेकिन उसका कहीं भी इन्दराज नहीं है। आखिर वह कहां चला गया, इसको सरकार बतलावे।

श्री अध्यक्ष—इसको वे समझ गये, इतनी अक्ल लोगों को है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—तो, श्रीमन्, जो पाइप के स्क्रैप्स थे उनको बतला दिया जाय कि वे क्या हुये ? यह बतलाया गया कि हमारे डिपार्टमेंट का इस तरह का नियम था.....

श्री अध्यक्ष—आप क्या कहना चाहते हैं उसको कह दीजिये। अगर इस तरह से अनेक प्रश्न उठा कर आप ही उनका उत्तर भी देने लगेंगे कि इस तरह से अन्य सदस्य प्रश्न कर सकते हैं या अमुक बात कही जा सकती है, तब तो बहुत देर हो जायंगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—यह तो, श्रीमन्, पाइप के इन्दराज न होने का उदाहरण दिया है। हमको यह बतला दिया जाय कि १६,००० फीट पाइप जो कटने के लिये गये उनके स्क्रेप क्या हुए। आखिर वे कहां जाकर बेंचे गये ? श्रीमन्, मैं एक बात और कह दूं.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के अब बैठें। अब माननीय मंत्री को उत्तर देने दें। १५ मिनट से ज्यादा समय आप को ही मिल गया। आप उसी बात को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। जो कहना था वह सब पहले ही कह चुके हैं।

सिंचाई राज्यमंत्री (श्री राममूर्ति)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामस्वरूप वर्मा जी का इस माने में बड़ा आभारी हूं कि जब उन्हें विभाग की तरफ से कोई कमी महसूस हुई तो उन्होंने फौरन् एक सवाल किया और मुझे इस बात का मौका दिया कि मैं उसकी छानबीन करूं और आप के सामने सभी बातों को रख दूं। इतना ही नहीं, मैंने श्री रामस्वरूप वर्मा को अपने कमरे में बुलाया और अपने मुहकमें के एक आफिसर को भी बुलाया और कागजों के साथ बुलाया और मैंने इस बात की कोशिश की कि वे सारी बातें समझें। दोबारा एक कागज वर्मा जी ने मुझे फिर दिया तो फिर मैंने अपने चीफ इंजीनियर को सारे रेकार्ड्स के साथ बुलाया और उन्हें देखा। वर्मा जी को शुबहा यह है कि कर्मशाला मंडल, कानपुर द्वारा कुछ पाइप खरीदे गये और उसकी चूड़ी काटने के लिये जब वे भारत इंडस्ट्री में गये तो जितने पाइप थे वे सब वापस नहीं आये और उनका कुछ गोलमाल हुआ। सिर्फ उनके दिमाग में इतना शुबहा है। और वह सही है क्योंकि जब एक बात किसी ने उनको बतलायी और यह मालूम हुआ तो स्वभावतः उनके दिमाग में शुबहा हो सकता था।

इस सम्बन्ध में थोड़ी-सी हिस्ट्री मैं आपको बतला देना चाहता हूं। सन् ४७ में एग्री-कल्चरल चीफ इंजीनियर पहले हुआ करते थे। अन्न उपजाओ योजना के सिलसिले में कुछ काम चलाया गया और ३ क्षेत्र हमारे यहां बना दिये गये थे। उनके द्वारा स्वायत्त शासन विभाग सहयोग समितियों अथवा व्यक्तियों का कार्य हुआ। वह काम सन् ५२ तक चलता रहा। ५२ में एग्रिकल्चरल चीफ इंजीनियर की पोस्ट खत्म कर दी गयी और इर्रीगेशन डिपार्टमेंट

के चीफ इंजीनियर को यह काम सुपुर्द कर दिया गया, उसके फलस्वरूप वहां एक सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर कायम कर दिये गये और काम चलता रहा और हर साल जो सामान खरीदा जाता था उसकी चेकिंग होती रही।

महोदय, मैं एक बात अर्ज कर दूं। मुझे इस बात से तकलीफ हुई कि बार-बार रामस्वरूप जी ने आज भी, और उस रोज भी इस बात पर जोर दिया कि श्री गांधी, जो कानपुर में आफीसर हैं श्री फीरोज गांधी के भाई हैं या पंडित जवाहर लाल जी के रिश्तेदार हैं; मैंने उन्हें आश्वासन दिलाया था कि वे चाहे किसी के रिश्तेदार हों या भाई हों उससे सरकारी काम का कोई वास्ता नहीं है। कोई शिकायत पकड़ी जायगी तो पूरी सजा दी जायगी। न भाई चारे का सवाल है, न रिश्दतेदारी का सवाल है। यह गवर्नमेंट है। इसमें इस तरह की बात नहीं देखी जाती है। लेकिन खेद की बात है कि वर्मा जी ने बार-बार वही बात उस रोज रिपीट की और आज भी रिपीट की, इससे कोई अच्छी बात नहीं निकलती है।

श्री अध्यक्ष— जरा संक्षेप में बतला दीजिये ताकि और माननीय सदस्यों को प्रश्न करने का अवसर मिल सके।

श्री राममूर्ति——एक मोटा हिसाब हुआ करता है। हमारी आमदनी १० रुपया है और अगर हमारे खर्चे के हिसाब से पता चलता रहे कि १० रुपया खर्च हुआ है तो फिर किसी को शुबहा नहीं होना चाहिये। हमारे महकमे में १,१०,०३८ फीट पाइप ६ इंच की गोलाई का खरीदा गया जिसमें से २९,५२६ फीट पाइप जिस हालत में खरीदा गया था उसी हालत में अफसरों के पास से इंडेंट आया था, उसे डिपार्टमेंट ने उनको भेज दिया और ८०,५१२ फीट पाइप बचा १३,६८६ टुकड़ों में। जब विभागीय अफसरों से यह मांग आयी कि जो पाइप भेजा जा रहा है यह काम का नहीं है, बजाय इसके १०,१० फीट के टुकड़े काट कर भेजे जायं; इस कारण मुख्तलिफ कम्पनियों के पास पाइप काटने के लिये भेजा गया। ८०० टुकड़े भारत इंडस्ट्रीज के पास भी भेजे गये।

मैं वर्मा जी को फिर बतलाना चाहता हूं कि जितना पाइप हमारे डिपार्टमेंट में आया उसके सब इंडेंट्स मौजूद हैं और जिन-जिन अफसरों के पास वह पाइप भेजा गया वह सब कागजात में दर्ज हैं और अगर वे खुद टोटल करेंगे तो देखेंगे कि आना पाई तक सब अपनी जगह सही है। मैं यह भी दरख्वास्त करता हूं कि आप एक कमेटी बैठा दें जिसमें हमारे गौरी शंकर राय, चन्द्रजीत यादव, वर्मा जी, उग्रसेन जी जो यहां बैठे हैं सदस्य हों और जितने कागजात हैं उनके डिसपोजल पर मैं छोड़ दूंगा और उनको विश्वास दिलाता हूं कि वे यही पायेंगे कि जितना पाइप आया था और जो इंडेंट के जरिये भेजा गया था वह सब सही-सही लिखा हुआ है।

कुछ प्रोसीजर की गलती अवश्य थी और वह यह थी कि होना तो यह चाहिए था कि यदि हम ५० फीट पाइप बाहर भेजना चाहते हैं तो गेट पास उतने का ही बनना चहिये जितना एक समय में बाहर जाय। वैसे ही वापसी गेट पास उतने का ही बने जितना लौटे। लेकिन हुआ यह कि लम्पसम गेट पास बना कर माल बाहर ले जाने व लाने का तरीका रहा। इस में यह कमी हो सकती थी कि ५०० फीट का लम्पसम गेट पास बना हुआ है और वह ५, ६ मर्तबें में बजाय ५०० फीट के ५१० फीट माल जाय। प्रोसीजर की गलती अवश्य हुई जो उस जमाने में आ रही थी और बाद में इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में भी यही प्रोसीजर चलता रहा। जो टोटल पाइप है उसके हिसाब में कोई गलती नहीं है। वर्मा जी ने जो बतलाया कि १३,५३८ फीट पाइप वापस नहीं हुआ। ८०० टूकड़े फुल लैंथ के पाइप गये थे जिसमें २३६ वैसे के वैसे ही लौट आये। उस कम्पनी से जहां पर यह pipe गया था ११२८ पाइप के टुकड़े १०, १० फीट के कट कर आये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमान् जी, प्रश्न करने के लिए भी मौका आप दिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष—(सिंचाई मंत्री से) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री राममूर्ति—मैं खत्म कर रहा हूं, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं।

जिस सामान का बिल आ जाया करता था उसकी एंट्री हो जाया करती थी। उसकी पूरी एंट्री है। जिसका बिल नहीं आता था उसकी एंट्री नहीं होती थी। यही एक शुबहा की चीज उनको हो सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना पाइप गया था वह सब कटे टुकड़ों को छोड़कर वापस आया और उसका इंडेंट है। वह सब हिसाब अपनी जगह पर बिलकुल ठीक है। मैं आपके जरिये से वर्मा जी से यह दरख्वास्त करता हूं कि वह जांच कर लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज के बाद किसी भी दिन फिर आकर के सब कागजात का मुआयना कर लें। इंजीनियर उनकी मदद के लिए होंगे। अपनी मदद के लिए वह चाहें तो अपने साथ के और दो एक मेम्बरान को शामिल कर लें। मैं उनको पूरी जानकारी करा दूंगा कि जो हिसाब है वह बिलकुल सही है। बल्कि जो पाइप के टुकड़े रह गए थे उनके बिल नहीं आये, जो पैसा उसको हमने नहीं दिया, हमारे पास है, कम्पनी डिजाल्व हो गई है। किसी किस्म की न गड़बड़ी है, न कोई गोलमाल है। केवल प्रोसीजर की गलती है जिसके लिए कि मैं आपसे माफी चाहता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी— क्या माननीय मंत्री जी इस सारे मामले को इर्रीगेशन सब-कमेटी या हाउस की किसी नान-आफिशल कमेटी को सुपुर्द करना पसन्द करेंगे?

श्री राममूर्ति— अध्यक्ष महोदय, मैंने तो जिस बात को अवस्थी जी कह रहे हैं उसे पहले ही अर्ज किया कि आप एक कमेटी बना दीजिए दो या तीन आदमियों की। वह आकर के सारे कागजात देख लें। स्टैंडिंग कमेटी में २१ आदमी होते हैं, उसमें दिक्कत हो सकती है और फिर उसमें खर्चा भी बहुत होगा। कोई कमेटी बनाने में हाउस का या गवर्नमेंट का खर्चा हुआ करता है। तो आप क्यों उसके लिए प्रस्ताव करना चाहते हैं? यहां हाउस बैठ रहा है। आप उसके बाद जिस वक्त भी चाहें आकर सारे कागजात देख लें।

श्री गौरीशंकर राय—क्या इस सिलसिले में, जैसा कि रामस्वरूप जी ने कहा, कोई इन्क्वायरी हुई और अगर हुई तो किसी इन्क्वायरी वाले ने यह रिपोर्ट दी कि इसमें कोई गबन हुआ है?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। इनक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें कोई गबन का सवाल नहीं है। उसमें सब चीजें बाकायदा हैं। केवल जरा प्रोसीजर की गलती है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिसको उन्होंने स्वीकार किया है कि प्रोसीजर गलत था तो उसको क्या उन्होंने अब दुरुस्त कर लिया? यदि हां तो कब से?

श्री अध्यक्ष—यह तो आगे की बात है। विवाद के प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता। विवाद के मामले के बारे में कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अब अगर प्रोसीजर उन्होंने दुरुस्त कर लिया है तो उससे क्या असर पड़ेगा?

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इन तमाम अनियमितताओं को देखते हुए जिनसे प्राग्दर्शन में केस मालूम होता है कि इसमें गड़बड़ है, क्या इसको सी० आई० डी० के सुपुर्द करने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—ऐसी गड़बड़ी तो वह मानते ही नहीं, तो सी० आई० डी० के सुपुर्द करने का सवाल ही नहीं उठता है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी जब यह मानते हैं कि इसमें प्रोसीजरल मिस्टेक हुई तो जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया कि प्रोसीजरल मिस्टेक्स भी इस पर्टीकुलर आफिसर की नहीं हैं बल्कि एग्रीकल्चर चीफ इंजिनियर के जमाने से यही सिस्टम चला आ रहा था और आई० डी० को जब ट्रांसफर हुआ तब भी यही सिस्टम चलता रहा । मैंने तो यह अर्ज किया कि अगर और विभागों के प्रोसीजर को देखा जाय जैसे पी० डब्ल्यू० डी० वगैरह का हुआ करता है तो उसको देखते हुए यह प्रोसीजरल मिस्टेक है ।

श्री गौरीशंकर राय— क्या यह सत्य है कि पिछले इंजीनियर साहब से जब मौजूदा इंजीनियर साहब ने चार्ज लिया तो उस समय हैवी शार्टेज की रिपोर्ट दी गई ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, सन् ५६ में जो नीचे के स्टाफ के लोग थे उन्होंने ही यह चेक किया तब उनको मालूम हुआ कि कुछ पाइप कम हो रहे हैं, क्योंकि जो पाइप के टुकड़े कट चुके थे उसकी बात उनके दिमाग में नहीं थी । नतीजा यह हुआ कि मिस्टर गांधी जो ऐग्रीकल्चर इंजीनियर थे उनके नोटिस में यह चीज लायी गई । तब यह कमेटी बनी और सारी कार्यवाही हुई ।

श्री अध्यक्ष—अब आपको जो कुछ कहना हो कह लीजिये, दो मिनट समय बाकी रह गया । अगर आपको जवाब देना हो तो दें, नहीं तो अन्य सदस्य प्रश्न एक दो कर लेंगे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मैं तो प्रश्न करना चाहता हूं । मुझे यह कहना है कि अगर आप मानते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है तो काटने के बाद जो स्क्रैप आया वह कहां इंदराज है और कहां नीलाम किया गया ?

श्री राममूर्ति—उसके इन्दराज का सवाल इसलिये नहीं कि ऐग्रीमेंट के अन्दर यह दर्ज नहीं किया गया था । मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं कि फर्ज कीजिये हम अगर उस स्क्रैप को वापस लेते तो हो सकता था कि जो १ रु० ६ आने का रेट था तो वह फर्म कहती कि हम १ रु० १० आने लेंगे । लेकिन स्क्रैप छोड़ दिया इसलिए उन्होंने १ रु०६ आने का रेट लगाया क्योंकि वह एग्रीमेंट में दर्ज नहीं था, उसका हिसाब आने की हमारे पास जरूरत भी नहीं थी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि झांसी वर्कशाप और मेसर्स असिस्टेंट इंजीनियर रिग्स, कानपुर के पास जो कैपिटल ट्रांसफर हुआ था उसके सम्बन्ध में वहां से बिना स्वीकृति आये बैलेंस शीट बना डाली गई और बाद में उन्होंने पूरी क्वांटिटी स्वीकार नहीं की ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल नया सवाल है । झांसी वर्कशाप का इसमें कोई जिक्र नहीं है लिहाजा मैं जवाब नहीं दे सकता ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि चूड़ी काटने के लिये जब पाइप गया तो उस समय से लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेज का कहीं भी ब्यौरा उस हिसाब में नहीं है ?

श्री राममूर्ति—उस सिलसिले में सिर्फ इतना है कि ये जो 'भारत इंडस्ट्रीज' ने दरख्वास्त की कि उनके पास ट्रक की कमी है सरकार अपनी ट्रक के जरिये सामान वापस मंगा लें, हमारी ट्रक गई थी, किराये की रकम है, उसका हिसाब है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो वहां के पाइप लोडिंग और अनलोडिंग के मेज़रमेंट थे तो वह क्यों नहीं इन्दराज़ किये गये और लेबर चार्जेज़ क्यों नहीं लिखे गये जब कि फ़िजिकल वेरीफिकेशन एस० एम० आई० द्वारा हुआ तब लिखे गये? यह दो तरह की बातें क्यों हुईं?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया, जब कोई बिल आता था तब एंट्री होती थी।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और १ सितम्बर, १९५८ को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३१ मिनट पर सोमवार, १ सितम्बर, १९५८ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२८ अगस्त, १९५८।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७३ पर)

राज्य सरकार की ओर से रबी आन्दोलन का शिक्षण कार्यक्रम पहली अगस्त से आरम्भ हुआ है जिसके अन्तर्गत मंडल स्तर पर गोष्ठियां आयोजित की गई हैं। इन गोष्ठियों में अधिकारियों को रबी कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी कराई जा रही है और साथ ही साथ प्रत्येक ब्लाक व जिले का कार्यक्रम व लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इन गोष्ठियों में कार्यक्रम सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान कराने हेतु प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। यह कार्यक्रम इस मास के अन्त तक सभी मंडलों में समाप्त हो जाएगा।

ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं, ग्राम सहायकों, प्रधानों तथा सहकारी समितियों के सरपंचों का प्रशिक्षण १५ अगस्त से आरम्भ हो गया है और १५ सितम्बर तक समाप्त हो जायगा।

इसके पश्चात् गांव सभाओं की बैठकें आयोजित की जायंगी जिनमें कि किसानों को रबी कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी कराई जायगी और उन्हें इस कार्यक्रम को अपनाने के लिए प्रेरित किया जायगा।

रबी आन्दोलन का क्रियात्मक कार्य २ अक्टूबर, १९५८ से प्रारम्भ होगा।

इस योजना को सफल बनाने के लिए विकास सम्बन्धी सभी विभागों के अध्यक्षों ने अपने कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ कार्य करने के आदेश दिए हैं। बिभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में बीज, रासायनिक खादों तथा यन्त्रों की जो आवश्यकता होगी उसका भी प्रबन्ध किया जा रहा है और सितम्बर के अन्त तक सभी आवश्यक सामग्री जिलों में पहुंचाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। उन्नतिशील बीजों की कमी दूर करने के लिए लगभग ९ लाख मन बीजों का आयोजन पंजाब व काश्मीर से किया जा रहा है। साथ ही साथ रासायनिक खादों के लिए केन्द्र से ३५ हजार टन की और मांग की गई है। इस आन्दोलन के व्यापक प्रचार व जानकारी के लिए आवश्यक प्रचार सामग्री भी तैयार की गई है तथा सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के पास प्रेषित की जा चुकी है।

इस आन्दोलन में पंचायतों व सहकारी समितियों के सहयोग के साथ-साथ ग्राम सहायकों को प्रशिक्षित कर गैर-सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों को इसका उत्तरदायित्व संभालने के लिये तैयार किया जा रहा है जिससे शनैः शनैः कृषि उत्पादन वृद्धि का कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम बन सके।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २८२ पर)

झांसी जिले की प्राइवेट बसें जो मध्य प्रदेश के रूटों पर चलती हैं

मार्ग का नाम	प्राइवेट बसों की संख्या
१	२
१—झांसी, माताटीला वाया बबिना, बसई	२
२—बबिना-दतियां वाया झांसी	३
३—समथर-दतियां	१
४—टीकमगढ़-मऊरानीपुर	२
५—छतरपुर-मऊरानीपुर	१
६—टीकमगढ़-नेवाड़ी वाया मऊरानीपुर	२
७—टीकमगढ़-ललितपुर	४
८—झांसी-लहर वाया चिरगांव, विधादना-आलमपुर और मांडेर	१
९—झांसी-मांडेर	३
१०—ललितपुर-दतिया वाया झांसी	१
	२०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८२ पर)

मध्य प्रदेश की सरकारी तथा प्राइवेट बसें जो झांसी जिले के रूटों पर चलती हैं

मार्ग का नाम	बसों की संख्या
१	२
सरकारी बसें	
१—ग्वालियर, झांसी वाया दोवारा, दतिया	१
२—खनिया दाना-झांसी वाया पिचौर, बसई-माताटीला	१
३—झांसी-शिवपुर	४
४—ललितपुर-चन्देरी	१
	७
प्राइवेट बसें—	
१—झांसी-माताटीला वाया बबिना वसई	१
२—दतिया-समथर	१
३—दतिया-झांसी	३
४—टीकमगढ़-मऊरानीपुर	३
५—छतरपुर-मऊरानीपुर	३
६—टीकमगढ़-निवाड़ी वाया मऊरानीपुर	२
७—टीकमगढ़-ललितपुर	२
८—लहर-चिरगांव वाया विधादना	२
९—दतिया, ओरछा वाया झांसी	२
१०—दतिया-नौगांव	२
११—दतिया-झांसी वाया उन्नाव	२
१२—नौगांव-टीकमगढ़	२
१३—हरपालपुर-टीकमगढ़	१
१४—रीवां-टीकमगढ़	४
	३०

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८७ पर)

१—अच्छे फलदार पौदे निकटतम मोटर या रेलवे स्टेशन तक राजकीय खर्चे पर पहुंचाये जाते हैं और उनका वितरण किया जाता है।

२—राजकीय पौदालयों तथा उद्यानों में अच्छी किस्म व निरोग पौदों का उत्पादन किया जा रहा है।

३—सचल दल द्वारा लोगों को बागबानी के कार्य में प्राविधिक परामर्श (technical guidance) और पेड़ों को बीमारी से रोकथाम करने में सहायता दी जाती है।

४—बागबानी के लिए लम्बी अवधि के ऋण दिए गये हैं।

५— विभाग द्वारा जनता को फल –संरक्षण में २० दिन की अवधि की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है।

६—भारत-तिब्बत सीमा योजना के अन्तर्गत बहुधंधी–बागबानी के क्षेत्रों की तथा सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९२ पर)

संख्या २३२२/दो–बी—१४९-१९५७

प्रेषक ,

श्री गोविन्द नारायण, आई० सी० एस०,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष, तथा

प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ।

दिनांक लखनऊ, २७ जून, १९५८

विषय —सरकारी कर्मचारियों द्वारा दहेज का स्वीकार किया जाना ।

महोदय,

नियुक्ति (ख) विभाग । मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने इस आशय के अनुदेश जारी किये हैं कि विवाह के समय बधू के माता-पिता या अन्य सम्बन्धियों, आदि से किसी आई० ए० एस० अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से या उसके आश्रितों द्वारा नकद में या वस्तुओं के रूप में दहेज के स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में यह समझा जाना चाहिये कि वह एक ऐसा प्रथागत उपहार (customary gift) है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति (recipient), पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना भी स्वीकार कर सकता है, किन्तु आल-इंडिया सर्विसेज (कान्डक्ट) रूल्स के नियम १० और १५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, यह आवश्यक है कि ऐसे समस्त उपहारों की सूचना सरकार को या अन्य निर्धारित प्राधिकारी को दे दी जाय । भारत सरकार ने यह भी निदेश किया है कि यदि दहेज किसी आई० ए० एस० अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से दिया गया हो, तो नियम १५ के उपबंध लागू होंगे और उस अधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह तथ्यों की सूचना जहां कहीं ऐसी सूचना देने की आवश्यकता हो, निर्धारित प्राधिकारी को दे दे ।

२—इस सरकार ने भी यह विनिश्चय किया है कि वह इस सम्बन्ध में भारत सरकार का अनुसरण करे तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नियामक नियंत्रण के अधीन सरकारी सेवाओं तथा पदों में नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में इसी प्रकार के अनुदेश जारी करे । तदनुसार, राज्य सरकार निदेश करती है कि विवाह के समय बधू के माता-पिता या अन्य सम्बन्धियों, आदि, से किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से या उसके आश्रितों द्वारा नगद में या वस्तुओं के रूप में दहेज के स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में यह समझा जाना चाहिये कि वह एक ऐसा प्रथागत उपहार(customary gift) है जिसे प्राप्त करनेवाला व्यक्ति पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना भी स्वीकार कर सकता है, किन्तु, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण-नियमावली, १९५६ के नियम २४ के उपबन्धों के अनुसार यह आवश्यक है कि ऐसे समस्त उपहारों की सूचना सरकार को या अन्य निर्धारित प्राधिकारी को दे दी जाय । जब दहेज किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से दिया जाय, उस दशा में

भी उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण-नियमावली, १९५६ के नियम २४ के उपबन्ध लागू होंगे, और जहां कहीं ऐसी सूचना देने की आवश्यकता हो, तथ्यों की सूचना निर्धारित प्राधिकारी को दे देनी चाहिये ।

भवदीय,
गोविन्द नारायन,
मुख्य सचिव ।

संख्या २३२२(१)/दो-बी—१४९-१९५७

प्रतिलिपि सूचनार्थ सचिवालय के समस्त विभागों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे उपरोक्त आदेशों की सूचना समस्त सरकारी कर्मचारियों को दे दें ।

आज्ञा से,
एस० वी० एस० जुनेजा,
अनुसचिव ।

No. 2322/II-B—149-1957

From

SRI GOVIND NARAIN, I.C.S.,
MUKHYA SACHIVA,
UTTAR PRADESH SHASAN.

To

ALL HEADS OF DEPARTMENTS AND
PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, June 27, 1958.

Subject—**Acceptance of dowry by Government servants**

Sir,

Appointment (B) Deptt. I AM directed to say that the Government of India have issued instructions to the effect that the acceptance of dowry, either in cash or in kind, by or on behalf of an I. A. S. officer or his dependents, from the parents or other relatives, etc., of the bride at the time of marriage should be regarded as a customary gift which the recipient may accept without prior sanction ; but subject to the provisions of rules 10 and 15 of the All-India Services (Conduct) Rules all such gifts should be reported to the Government or other prescribed authority. They have also directed that if the dowry is given by or on behalf of an I. A. S. officer, the provisions of rule 15 will apply and the facts should be reported by him to the prescribed authority where such a report is necessary.

2. This Government have also decided to fall in line with the Government of India and issue similar instructions in regard to persons appointed to public services and posts under the rule making control of the Governor of Uttar Pradesh. They have accordingly directed that the acceptance of dowry, either in cash or in kind, by or on behalf of a government servant or his dependents, from the parents or other relatives, etc., of the bride at the time of marriage should be regarded as a customary gift which the recipient may accept without prior sanction, but, in accordance with provisions of rule 24 of the Uttar Pradesh Government Servants' Conduct Rules, 1956, all such gifts should be reported to the Government or other prescribed authority. If the dowry is given by or on behalf of a government servant, then also the provisions of rule 24 of the Uttar Pradesh Government Servants' Conduct Rules, 1956, will apply and the facts should be eported to the prescribed authority, where such a report is necessary.

Yours faithfully,

GOVIND NARAIN,

Mukhya Sachiva.

No. 2322(1)/II-B—149-1957

Copy forwarded for information to all Departments of the Secretariat with the request that the above orders may be brought to the notice of all government servants.

By order,

S. V. S. JUNEJA,

Anu Sachiva.

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१४३ एल० ए०—१९५८—८३७।